कृषि क्षेत्र में

दरबदर मजदूर

अनुष्का रोज़ एवं विजेता

अनुवादक: गोपाल मिश्रा

संपादक: विजेता

मैप: ध्रुव जैन

डिजाइन : बिंदू

मुद्रण: अमायरा क्रिएशन

विषय सूची

2 आभार

3 प्रस्तावना

4 कार्यकारी सारांश

6 अध्याय 1: भूमिका

9 अध्याय 2: साहित्य की समीक्षा

14 अध्याय 3: अध्ययन पद्धति एवंउसका ढांचा

20 अध्याय 4: पलायन क्षेत्रो की मैपिंग

26 अध्याय 5: गांवों की रूपरेखा एवं जनसंख्या से संबंधी विवरण

34 अध्याय 6: प्रवासी आदिवासी खेत मजदूरों के काम करने एवं रहन-सहन की स्थिति

52 अध्याय 7: समापन टिप्पणी

टेबल्स, मैप एवं चित्रों की सूची **6 2**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: **6 4**
प्रश्नावली गाँव अनुसूची 1

परिशिष्ट 2: **6 6**
प्रश्नावली गाँव अनुसूची 2

परिशिष्ट 3: **6 6**
प्रश्नावली परिवार अनुसूची 1

परिशिष्ट 4: **6 8**
प्रश्नावली परिवार अनुसूची 2

परिशिष्ट 5: **7 2**
खेत मजदूरों के साथ एफजीडी (लक्षित समूह चर्चा)

परिशिष्ट 6: **7 6**
महिला खेत मजदूरों के साथ एफजीडी

परिशिष्ट 7: **8 0**
जमीन मालिकों के साथ एफजीडी संदर्भ

शब्दावली **8 2**

संदर्भ **8 3**

आभार

हम सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा तहेदिल से उन पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों, भागिया एवं खेत मजूर, क
आभार जताना चाहते हैं जिन्होंने हमारे प्रयास का हिस्सा बनने पर सहमति दी थी। उन्होंने खुले मन एवं धीरज
हमें उनकी जिन्दगी, अनुभव एवं उनके काम के संबंध में अंतर्दृष्टि दी। यह अध्ययन इन लोगों के समर्थन एवं सहयो
के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था।

हम अपने पार्टनरों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस अध्ययन के कई पहलुओं में मदद की
इनके समर्पित एवं प्रतिबद्ध मजदूरों के नेटवर्क ने हमें भागिया एवं खेत मजूरों को उनके मूलनिवास एवं पलायन जग
तक पहुंचाया। हम इस अवसर पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों सौराष्ट्र दलित संगठन, जूनाग
गुजरात; आनंदी, मालिया, गुजरात; राजकोट दलित युवा विकास संगठन, गुजरात; जागृत दलित आदिवासी संगठ
बड़वानी, मध्य प्रदेश; आधारशिला शिक्षण केंद्र, सेंधवा, मध्य प्रदेश; खेड़ुत मजदूर चेतना संगठन, अलीराजपुर, मध
प्रदेश; विचारधारा संगठन, नंदुरबार, महाराष्ट्र; मजूर अधिकार मंच, दाहोद, गुजरात का विशेष रूप से जिक्र करना
चाहेंगे जिन्होंने अध्ययन के शुरूआती समय से हमारे साथ चलना शुरू किया एवं वे इस यात्रा को भागिया एवं खे
मजूरों को मदद करने के लिए नेटवर्क बनाकर जारी रखना चाहते हैं।

हमारे अध्ययन के वित्तीय पोषक रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टिफटुंग के अटूट समर्थन का जिक्र किए बगैर आभा
पूरा नहीं होगा। हम विशेष रूप से राजीव कुमार एवं उनकी टीम के आभारी हैं जिन्होंने हमारे सभी प्रयासों में मद
एवं सहयोग किया। जिन्होंने हमें सुदृढ़ होकर असंगठित क्षेत्र के अनियमित मजदूरों के बीच काम जारी रखने के लि
प्रोत्साहित किया।

अंत में हम सीएलआरए (सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन) की टीम एवं हमारे सहकर्मियों के प्रति विन
आभार व्यक्त करना चाहते हैं। विशेष रूप से हमारे सचिव सुधीर कटियार एवं हमारे सहकर्मियों के प्रति आभा
जिन्होंने अध्ययन शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक हमारी बहुत मदद की। यह अध्ययन भागीदारों प्रयास एं
सामूहिक श्रम का फल है। हालांकि त्रुटि की ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी है।

दिसंबर 2020

अनुष्का एवं विजेता

फील्ड अध्ययन टीम के सदस्य:

बड़वानी, मध्य प्रदेश

दिनेश जादव

केशर सिंह

सुप्रीथ रविश

नंदुरबार, महाराष्ट्र

रेखाबेन नायका

मोरबी , गुजरात

अरबाज़ कलाड़िया

काजल पटेल मानवी दास

जूनागढ़, गुजरात

प्रवीणभाई काकवड्यु

सुप्रीथ रविश

महाराष्ट्र–

तात्याजी पवार

दाहोद और छोटा उदयपुर

-अनुष्का रोज़, गोवाभाई राठोड़, सुधीर कटियार, सुनीता मोहनिया, विजेता

विजेता

मोरबी –मानवी दास , रमेश परमार, सुमित्राबेन ठक्कर

प्रस्तावना

केंद्र सरकार के नए तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष पिछले तीन महीनों से मजबूती से चल रहा है। इस स्थिति में कृषि समस्या राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गया है। एनएसएसओ के 70 राउंड के आंकड़ों में खेती की औसत जोत घटने की बात सामने आई है। इसमें वास्तव में भूमिहीनों के 66 प्रतिशत तक हो जाने की ओर इशारा किया गया है। इसी तरह से लघु एवं सीमांत जोतों का प्रतिशत बढ़ने की बात सामने आई है। इन स्थितियों में मुक्त-बाजार के सिद्धान्त की आड़ में कॉर्पोरेट द्वारा किसानों के छोटे-छोटे जोत को हड़पने की कोशिश को लेकर किसान आंदोलन ने सवाल खड़े किए हैं। जमीन खोने वाले किसानों को गुजर बसर करने के लिए वैकल्पिक रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। संकट के कारण किया गया पलायन किसानों की बढ़ती आर्थिक असुरक्षा का नतीजा है।

ग्रामीण क्षेत्र से गुजर-बसर हेतु वैकल्पिक अवसर खोजने के लिये किया गया पलायन देश-व्यापी परिघटना है। लेकिन सरकारी आंकड़े या शोध-आधारित सूचनाओं से प्रवासियों की संख्या का सटीक आकंलन करना कठिन है। हर साल पलायन करने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से 12 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रवासियों की वास्तविक संख्या का आंकलन नहीं हो पाया है। बहुत सारे अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन के बारे में पता चलता है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन प्रवाह के बारे में विस्तार से बहुत कम अध्ययन हुआ है। गुजरात में इस तरह के पलायन के बारे में अध्यापक जान ब्रेमन एवं कुछ अन्य लोगों ने अध्ययन किया है, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात से पलायन के संबंध में अध्ययन किया गया है।

इस एक्शन रिसर्च में शेष गुजरात यानी, उत्तर तथा मध्य गुजरात एवं सौराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन प्रवाह का अध्ययन किया गया है। ब्रेमन ने फूटलूज़ खेतिहर प्रवासी मजदूरों की बात की है। यह मजदूर दो तरह के हैं : एक हिस्सा कम समय के लिये किसी विशेष तरह के काम के लिये हर साल नियमित रूप से पलायन करता है एवं दूसरा हिस्सा भाग-खेती करने के लिए ज्यादा समय के लिये पलायन करता है, इन्हें भागिया कहा जाता है। क्या पलायन उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है? क्या पलायन उन्हें आर्थिक असुरक्षा एवं अनिश्चयता से मुक्ति दिलाता है? आर्थिक संकट के कारण मजबूरी में किए गए पलायनों पर किये गये अन्य अध्ययनों की तरह इस अध्ययन में भी स्रोत की तरह गंतव्य में भी मजदूरों की असुरक्षित स्थिति के बरकरार रहने या बदतर होने की ओर इशारा है।

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन असंगठित क्षेत्र में अलग-अलग रोजगार में अस्तित्व के लिये संघर्ष करने वाले मजदूरों के मुद्दों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले सीएलआरए ने ईंट-भट्टा मजदूर, गन्ना-कटाई करने वाले मजदूर एवं निर्माण मजदूरों पर इसी तरह का अध्ययन किया था। आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों पर अध्ययन इन्हें संगठित करने के बड़ा उद्देश्य को पूरा करने में जरूर मददगार होगा।

23 दिसंबर, 2020

प्राध्यापक किरण देसाई
डायरेक्टर, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़, सूरत

कार्यकारी सारांश

यह अध्ययन पूरे गुजरात में आदिवासियों द्वारा खेतों में मजदूरी करने के लिए पलायन करने के चलन क
समझने तथा उसके बारे में जमीनी समझदारी बनाना चाहता है। अपर्याप्त जमीन, जल-वायु परिवर्तन एवं अप
मूलनिवास पर वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़े पैमाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को प
गुजरात में मजदूरों को संविदा खेत मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया है। खेती के हर मौसम
हजारों की संख्या में मजदूर उत्तरी गुजरात, मध्य गुजरात एवं सौराष्ट्र तथा कच्छ में दिहाड़ी मजदूर के रूप
पलायन करने के लिए विवश हैं। इनमें से कुछ फूटलूज़[1] मजदूर अनियमित कृषि मजदूर के रूप में पीक सीज़न में धा
रोपने, फसल काटने जैसे काम करने के लिए छोटे अवधि के लिए पलायन करते हैं। मजदूरों का एक दूसरा समूह है
लंबे समय के लिए दिहाड़ी, बटाईदारी या भाग खेती करने के लिए पलायन करते हैं। भाग खेती का चलन विशेष रू
से गुजरात में है। भाग-खेती बटाईदारी से मिलता जुलता है जहां जमीन के मालिक एवं खेती करने वाले कृषि लाग
को साझा करते हैं। भाग खेती में मजदूर को अपनी मेहनत देनी पड़ती है जबकि जमीन मालिक बीज, खाद, सिंचा
कीटनाशक जैसे सभी कुछ देता है एवं इसके बदले में उसे उत्पाद का एक हिस्सा मिलता है। खेती के इस चलन
मजदूरों के पलायन को बढ़ावा मिलता है। पलायन न सिर्फ राज्य से होता है बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ए
राजस्थान के सटे हुए जिलों से उत्तरी तथा मध्य गुजरात के अलग-अलग इलाके में खेती के सभी मौसम में मजद
पलायन करते हैं। भाग खेती का व्यापक चलन एवं उसमें शामिल बड़ी संख्या में परिवारों के बावजूद इस पर बहु
कम डॉक्युमेंटेशन हुआ है। .

यह अध्ययन सामान्यतः प्रवासी खेतिहर मजदूरों का डॉक्यूमेंट करने एवं गुजरात में भागिया खेती के चल
की बारीकियों को समझने का प्रयास है। यह अध्ययन एक्शन रिसर्च की पद्धति को अपनाता है। अध्ययन गुजरात
खेत मजदूरी के लिए पलायन के चलन एवं घटनाओं पर समझदारी बनाने की कोशिश करता है। यह अध्ययन गुजरा
के अलग-अलग क्षेत्र में भाग-खेती के बारे में प्रारम्भिक समझ बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अध्ययन में पलाय
प्रवाह एवं पलायन क्षेत्रों की पहचान की गई है, साथ में भागिया के संविदात्मक व्यवस्था पर समझ तथा इस व्यवस्
में काम की स्थिति, शर्तों एवं मजदूरी पर नजदीकी से अध्ययन किया गया है। खेत मजदूर तथा उसके परिवार
पलायन के प्रभाव तथा मानव एवं श्रम अधिकारों के उल्लंघन पर जमीनी समझ बनाने के लिए इन उद्देश्यों को पू
करना जरूरी था। अध्ययन से मिली समझ खेत मजदूरों की जरूरतों एवं सरोकारों को पूरा करने के लिए समर्थ
नेटवर्क बनाने एवं उसे सूत्रित करने के काम में आयेगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर लेबर रिसर्च ए
एक्शन ने गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के 8 जिलों के 12 तहसील के खेत मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा करने
डॉक्यूमेंट करने एवं मैपिंग करने के लिए 8 जमीनी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। अध्ययन की अवधि (जुल
से दिसंबर) में सीएलआरए ने भागीदारों के साथ मिलकर आदिवासी प्रवासी खेत मजदूरों से संबन्धित डाटा संग्र
किया एवं उसकी तुलना की। उन इलाकों में डाटा संग्रह किया गया जिन इलाकों में अध्ययन के सहयोगियों
दशकों तक काम करने का समृद्ध अनुभव है।

अध्ययन से मजदूरों के पलायन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिली, मजदूरों के जनसांख्यिकी एवं मजदूरों को कृषि क्षेत्र में पलायन की ओर धकेलने वाले कारकों का पता चला। इसके अलावा भाग खेती व्यवस्था, काम के बारे में अवधारणा एवं हिंसा के बारे में समझ बनी। अध्ययन से प्रवासी मजदूरों का अपने समुदाय से अलग-थलग एवं अलगाव महसूस करने की बात सामने आई। प्रवासी मजदूर अलग-अलग पलायन गंतव्य में बिखरे हुए हैं। इसके ऊपर स्थानीय जमीन मालिकों द्वारा बाहरी लोगों के प्रति पूर्वाग्रह एवं डर का माहौल बनाने के कारण प्रवासी मजदूर हाशिये पर रहने वाले स्थानीय मजदूरों के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते। जमीन मालिकों का राजनीतिक तथा स्थानीय दबदबा एवं गंतव्य स्थल पर सामाजिक गतिशीलता में अंतर्निहित असमानता के कारण सत्ता समीकरण मालिक किसानों के पक्ष में रहता है। प्रवासी मजदूरों ने सरकारी सेवा एवं बुनियादी सुविधा के बगैर दयनीय स्थिति में रहने के बारे में बताया।

यह अध्ययन मजदूरों की असुरक्षा तथा उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए कारवाई का सूत्रीकरण करने को अंजाम देने के लिए किया गया है। पलायन के स्रोत तथा गंतव्य में मौजूद सामाजिक-राजनीतिक साँचा एवं मजदूरों की चिंताओं पर सामूहिक कारवाई की रूप-रेखा स्थापित की जाती है। आदिवासी प्रवासी खेत मजदूरों एवं उनके परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उनके द्वारा गरिमापूर्ण जिंदगी के प्रयास को अंजाम देने के लिए मजदूरों की सामूहिक ताकत को मजबूत करने एवं उनके मोल-तोल करने की क्षमता में सुधार करने की जरूरत है। इसे करने के लिए जमीनी सहयोगियों द्वारा सूत्रित सामूहिक कारवाई को अंजाम देने की जरूरत है। सामूहिक कारवाई का सूत्रीकरण अध्ययन निष्कर्षो द्वारा आकार लेता है।

कृषि क्षेत्र में दरबदर मजदूर

अध्याय 1 :

भूमिका

गुजरात की कृषि अर्थनीति में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में प्रवासी दिहाड़ी खेत मजदूरों का अनुपात काफी ज्यादा है। मौसमी पलायन (कम या ज्यादा समय के लिये) करने वाले कृषि क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा पश्चिम भारत के आदिवासी क्षेत्र से आता है। ग्रामीण रोजगार में पलायन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह पश्चिमी भारत के आदिवासी क्षेत्र की अत्यधिक आर्थिक असुरक्षा का सामना करने वालों के लिये रक्षात्मक उपाय है। अपर्याप्त तथा कमजोर संसाधन पर ज्यादा दवाब के करण बहुत सारे आदिवासी परिवारों के लिये गुजर-बसर करना भी मुश्किल हो गया है। कई तरह के जटिल सामाजिक संबंधों जैसे कर्ज तथा निर्भरता का प्रतिकार पलायन द्वारा किया जा रहा है। इन स्थितियों के कारण खेती के हर मौसम में हजारों मजदूर उत्तरी गुजरात एवं सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी के लिये पलायन करते हैं। इनमें कुछ मजदूर कम समय के लिये पीक मौसम में बुवाई, धान रोपने एवं फसल काटने के काम के लिये पलायन करते हैं। दूसरा समूह भाग-खेती करने के लिये पलायन करता है। भाग-खेती भूमि एवं श्रम बाजार में संविदात्मक बंदोबस्त है। बड़े जोत के मालिक भाग-खेती करवाने के लिये मजदूरों को रखते हैं। भाग-खेती में मजदूरों को श्रम करने एवं श्रम से जुड़े खर्च में योगदान करना पड़ता है एवं जमीन मालिक अन्य सभी साधन (खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई) मुहैया करता है। खेती से जुड़े कुछ काम एवं गतिविधि में पीक मौसम में बुवाई, निराई एवं कटाई के लिये अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होने पर उन्हें काम पर रखने का खर्चा भागिया को उठाना पड़ता है। दूसरी ओर भागिया को उत्पादित फसल का एक छट्ठा से एक चौथा भाग मिलता है। भाग फसल एवं क्षेत्र की भिन्नता के अनुसार अलग-अलग होता है। खेती के पीक सीज़न में अनियमित मजदूर 30-90 दिन के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पलायन करते हैं। मार्च से अप्रैल, नवम्बर से दिसंबर एवं जून से जुलाई के बीच मूँगफली, कपास एवं गेहूँ कटाई के काम के लिए अनियमित मजदूरों की

दशकों से स्रोत तथा गंतव्यों में पलायन क्षेत्र एवं क्लस्टर को चिन्हित किया गया है। एक स्रोत क्लस्टर का मजदूर खेती के काम के लिए एक विशेष गंतव्य क्लस्टर में पलायन करता है।

पलायन मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा से बचने का रास्ता सूझाता है लेकिन गंतव्य पर भी उनकी जिंदगी अनिश्चितता से भरी रहती है। भाग खेती का अंजाम मजदूरी को लेकर विवाद, भागिया का काम करने तथा रहन सहन की दयनीय स्थिति एवं काम की जगह पर सभी तरह की सामाजिक सुविधा से वंचित रहना होता है। खेती के काम के लिए पलायन करने वाले मजदूरों के साथ लगातार संवाद से मोलतोल करने एवं सामूहिक ताकत की कमी के कारण उनकी असुविधा जारी रहने की बात सामने आई है। इसलिए मजदूर तथा उनके परिवार की स्थिति में सुधार करने के लिए कारवाई तय करने की जरूरत हुई। हालांकि कृषि क्षेत्र में पलायन की बारीकियों, पलायन के पीछे कारकों, पलायन के स्रोत एवं गंतव्यों में मजदूरों के काम तथा रहन-सहन की स्थिति एवं ग्रामीण गुजरात में पलायन करने वाले परिवारों की बारीकियों को समझे बगैर कारवाई तय करना संभव नहीं है।

शोध अध्ययन नीचे दिये गये उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया:

- गुजरात में प्रवासी खेत मजदूरों के चलन एवं घटनाओं को समझना
- भागियाओं के लिए संविदा व्यवस्था को समझना
- गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों में भागिया व्यवस्था के चलन के बारे में प्रारम्भिक समझदारी बनाना
- पलायन प्रवाह एवं गलियारों को चिन्हित करना

अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन निष्कर्षों को पाँच अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में अध्ययन के बुनियादी साहित्यों के सर्वे पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में सैद्धान्तिक समझदारी एवं सरकारी रिपोर्ट तथा कृषि मजदूरों पर अन्य अध्ययनों पर चर्चा की गई है। तीसरे अध्याय में शोध पद्धति की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। चौथा अध्याय पलायन के आंकड़ों का अनुमान एवं खेत मजदूरों के स्रोत एवं गंतव्य पर चर्चा करता है। य
अध्याय भागियाओं एवं अनियमित खेत मजदूरों
पलायन क्षेत्रों पर चर्चा करता है। पांचवें अध्याय
पहले भाग में पलायन का इतिहास एवं गाँव क
जनसांख्यिकी एवं दूसरे भाग में अध्ययन में हिस्सा ले
वाले परिवारों की जनसांख्यिकी की विस्तार से चर्
की गई है। छठे अध्याय में विस्तार से किए ग
पारिवारिक सर्वे के नतीजों पर चर्चा की गई है। इ
अध्याय में भागिया एवं अनियमित खेत मजदूरों क
बारीक विशेषताओं पर चर्चा की गई है। अध्यय
समापन टिप्पणी एवं अध्ययन से निकले आदिवास
प्रवासी खेत मजदूरों के लिए समर्थन नेटवर्क बनाने क
कारवाई पर चर्चा के साथ समाप्त होता है।

अध्याय 2:

साहित्य की समीक्षा

भारत के आर्थिक विकास में कृषि कार्यबल का अहम योगदान है एवं यह देश के पूरे कार्यबल का 52 प्रतिशत है (सेंसस, 2011)। 2011 सेंसस के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र में 26 करोड़ 31 लाख लोग काम करते हैं। इनमें 11 करोड़ 88 लाख लोग खेती करते हैं एवं 14 करोड़ 43 लाख लोग दूसरों के खेतों में अनियमित मजदूर के रूप में काम करते हैं। रिपोर्ट में पूरे ग्रामीण मजदूरों में लगभग 30 प्रतिशत दिहाड़ी खेत मजदूर होने का अनुमान लगाया गया। सेंसस डॉकयुमेंट के अनुसार खेत मजदूरों को दूसरे के खेत में तकनीकी रूप से अकुशल है, असंगठित है एवं गुजर बसर के लिए उसके पास श्रम शक्ति के अलावा बहुत कम संसाधन है। कृषि मजदूरों को भूमिहीन एवं छोटे किसान के रूप में दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन छोटे किसानों के पास बहुत कम जमीन होने के कारण दिहाड़ी मजदूरी इनकी आमदनी का प्राथमिक स्रोत है (कुलमणि, 2007)। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि संसाधन की कमी, विशेष रूप से जमीन की कमी एवं भूमिहीनता पलायन का एक महत्वपूर्ण कारक है। गुजर बसर करने के कई तरह के

वाले दोनों प्रकार के मजदूर शामिल हैं। इस अध्ययन में हमारी रुचि दूसरी श्रेणी के मजदूरों में हैं जो कम समय (पीक सीजन) के लिये या लंबे समय के लिये (कई बार पूरे एक साल के लिये) पलायन करते हैं एवं बहुत कम समय के लिये अपने मूलनिवास पर लौटते हैं। अस्थायी प्रवासन को अक्सर चक्राकार, मौसमी, स्वल्प-कालिक एवं स्वत: स्फुर्त प्रवसन के नाम के बतौर लिखा जाता है। अस्थायी पलायन पर विस्तार से चर्चा है एवं यह अकेडेमिक एवं शोध का विषय है। बिल्सबोरोव्स (1984) ने अस्थायी पलायन को व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि की जगह बदल जाने लेकिन उनके सामान्य निवास नहीं बदलने की परिघटना कहा है (सपकोता, 2018)। ब्रेमन (1996) ने प्रवासी कृषि मजदूर को फूटलूज़ मजदूर के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने प्रवासियों को मजदूरों की आरक्षित सेना का हिस्सा कहा है जो अपने निवास छोड़ देते हैं लेकिन जिन्हें दूसरे किसी जगह पर बसने नहीं दिया जाता। इसलिए यह काम के औपचारिक स्वरूप को चुनौती देता है। ब्रेमन ने मौसमी पलायन की धारणा को काम के टाइम लाइन की असमान लय के मद्देनजर चुनौती दी है एवं इसे चक्राकार पलायन का नाम दिया है क्योंकि ये हमेशा अस्थिर तरीका से

को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उपयो
करने में समर्थ होने के बारे में चर्चा की है। लेकिन कु
परिवारों का सामाजिक साँचा उन्हें कर्ज तथा निर्भरता
फंसे रहने के लिये मजबूर करता है। पलायन संकट क
प्रतिक्रिया है। यह स्थिति पलायन द्वारा रोजगार सुरक्षा
सुधार होने के दावे को झुठलाता है क्योंकि पलायन ने क
एवं निर्भरता को बरकरार रखा है। यह जीवित रहने
उपाय के रूप में चलते रहता है (मोस्से, आदि अल 2002
पृष्ठ 60)। दशकों से देश से बाहर श्रम के पलायन क
वास्तविक पैमाना एवं परिमाण को लेकर बहस होती
रही है। देश के अंदर पलायन का अनुमान लगाने के लि
नेशनल नमूना सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) एवं सेंस
ऑफ इंडिया आधिकारिक स्रोत है। इनके आंकड़े के आधा
पर पलायन का अनुमान लगाया जाता है। इन दो
संस्थानों द्वारा अपनाई गई पद्धति को अक्सर सामान्य रू
में विस्तार से मौसमी/चक्राकार पलायन के पैमाने क
पर्याप्त तरह से आंकलन नहीं करने के लिये आलोचना क
जाती है। यह आलोचना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र
ग्रामीण पलायन के बारे में की जाती है। 2011 के सेंस
आंकड़े के अनुसार भारत में 45 करोड़ 40 लाख प्रवासी है

इस परिघटना को चार श्रेणी में बांटा है, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र। अगर हम लोगों के अंतिम निवास को ध्यान में रखें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में पलायन करने वालों की संख्या 21 करोड़ थी जो कुल पलायन का 54 प्रतिशत है। हालांकि 2016 के आर्थिक सर्वे ने एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन एवं राज्य के अंदर पलायन करने वालों की कुल संख्या 10 करोड़ होने का अनुमान लगाया। सेंसस के अनुसार 2011 में 7 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे एवं आर्थिक सर्वे 2016-2017 ने 2000-2001 के बीच 6 करोड़ (अय्यर,2020) अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर होने का अनुमान लगाया। अकेडेमिक एवं दशकों से विकास क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के साथ काम करने वालों ने इस अनुमान की आलोचना की एवं कहा कि यह आंकड़ा प्रवासी मजदूरों की संख्या को कम करके आंक रहा है। मोस्से, आदि का कहना है कि पश्चिम भारत में ग्रामीण पलायन के पैमाने एवं परिमाण को समझने की कोशिश करने पर ब्रेमन (1996) को छोड़कर पलायन परिघटना पर बहुत कम शोध होने की बात सामने आती है (2002)। यह स्थिति

करने एवं रोजगार खोजने के उपायों के अभिन्न हिस्से के रूप में देखना चाहिए। ग्रामीण से शहरी पलायन को अक्सर पर्यावरण संकट का नतीजा समझा जाता है। इस संकट के कारण प्रवासियों को "पारिस्थितिक शरणार्थी" (गेडगिल एवं गुहा ,1995) समझा जाता है जिन्हें जंगल कटाई, भूमि कटाई, पानी का संकट, भूमि का विखंडन, घटती कृषि उत्पादकता एवं आबादी बढ़ने की प्रक्रिया में विस्थापित किया गया। आदिवासी परिवारों के गुजर बसर की जरूरत पूरा कर पाने में व्यापक असफलता के कारण निश्चित रूप से सीमित तथा नाजुक संसाधन पर बढ़ते दबाव हैं। मोस्से, आदि ने अपने अध्ययन (2002) में दिखाया है कि पलायन को मजबूर करने में निर्भरता एवं कर्ज के सामाजिक संबंध जिम्मेदार है। यही संबंध गुजर बसर के संकट एवं पारिस्थितिक विनाश का कारण है। कृषि क्षेत्र की घटती उत्पादकता समस्या से ज्यादा समस्या ब्याजखोरी, श्रम संविदा एवं शोषण है। पलायन का सामाजिक अनुभव एवं नतीजा एकरूप नहीं है बल्कि वह वर्ग तथा लिंग द्वारा प्रभावित होता है। भील परिवारों के छोटे से हिस्से के लिये पलायन बचत करने, निवेश करने एवं आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने का अवसर देता है। लेकिन बहुसंख्यक गरीब भील परिवारों के लिये पलायन कर्जा चुकाने तथा अत्यधिक आर्थिक असुरक्षा के मद्देनजर उठाए गये रक्षणात्मक रूप से सामना करने का तरीका है। असमान एवं व्यतिगत आय संयोजन को संयुक्त परिवार की आजीविका उपाय के साथ जोड़ने के कारण पलायन का अंतर-घरेलू सम्बन्धों पर प्रभाव होता है। भील समुदाय के अधिकांश प्रवासी गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में राज्य के भीतरी इलाकों में रोजगार के लिये पहुँचते हैं।

गुजरात अंतर-राज्य पलायन में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। 2011 तक भारत के अलग-अलग राज्यों से करीब 23 लाख लोग गुजरात में पलायन कर चुके हैं। एनएसएसओ के 64 चक्र (2007-2008) ने स्वल्प-कालीन प्रवास का आंकड़ा दिया है। गुजरात में इस श्रेणी का प्रवासन आबादी के प्रतिशत में सबसे ज्यादा है, आबादी का 3.8 प्रतिशत (थापा, आदि, 2015)प्रवासी हैं। सेंसस 2011 का अनुमान है कि 65 लाख लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। गुजरात में प्रवासी मजदूरों के साथ दशकों से काम करने वाले समुदाय आधारित संगठन एवं एनजीओ से अक्सर गुजरात में राज्य के दूसरे हिस्से से एवं पड़ोसी राज्यों के सटे हुए जिलों से आदिवासी मजदूरों के आने की

लगाने के लिये अध्ययन किया। अध्ययन की रिपोर्ट में क्षेत्र के 65 प्रतिशत परिवार एवं 48 प्रतिशत बालिग आबादी मौसमी पलायन करते हैं। इसमें 42 प्रतिशत महिलाओं का मौसमी पलायन करने का पता चला। महिलाओं का पलायन परिवार के पलायन को दिखाता है। परिवार के साथ महिलाओं का पलायन उनके द्वारा अपने श्रम शक्ति को सबसे ज्यादा उत्पादक बनाने के लिये है (मोस्से आदि, 2002)।

ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पलायन के पैमाने को समझने की कोशिश में इस अध्ययन ने गुजरात के कम समय तथा लंबे समय के लिये मौसमी पलायन करने वाले कृषि मजदूरों पर ध्यान केन्द्रित किया है। साहित्य के सर्वे से अंतर-राज्य एवं राज्य के अंदर पलायन करने वाले कृषि मजदूर एवं बटाईदारों के बारे में बहुत कम रिपोर्ट /शोध होने की बात सामने आती है। भारत में भूमि एवं श्रम बाजार में संविदा का पुराना इतिहास रहा है। संविदा व्यवस्था का स्वरूप तथा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी एवं कृषि-जलवायु कारकों की भिन्नता के कारण समय एवं जगह के अनुसार अलग-अलग होगा। संविदा व्यवस्था दशकों में प्रवासी मजदूरों के स्रोत तथा गंतव्यों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक-प्रौद्योगिकी कारकों के प्रभाव से विकसित हुआ है। इसी तरह की एक संविदा व्यवस्था गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित है, इसे मजदूरी-बटाईदारी व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को मारकुईस डे मिराबेऔ ने "खेती की दैयनीय विधि, आवश्यकता की बेटी एवं पीड़ा की जननी" (आजीविका ब्यूरो, 2010, पृष्ठ 3, में उद्धृत) के रूप में वर्णन किया है।

इस व्यवस्था पर बहुत कम अध्ययन हुआ है, इनमें एक अध्ययन बिहेवियरल साइन्स केंद्र (बीएससी) (2009) ने किया है एवं उसमें उत्तरी गुजरात के साबरकांठा एवं बनासकांठा जिले के प्रवासी आदिवासी मजदूरों की स्थिति का प्रलेखन किया है। रिपोर्ट में बटाईदारों को फसल के एक चौथाई हिस्से से लेकर एक –सातवाँ हिस्सा मिलने का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट में बटाईदारों को जमीन मालिकों द्वारा भुगतान करने को लेकर अनिश्चयता, हिसाब में हेरा-फेरी एवं बटाईदारों को उनका हिस्सा नहीं देने जैसे कई तरह की आर्थिक हिंसा का वर्णन किया है। बीएससी के अध्ययन में प्रवासी मजदूरों ने मेहसाना एवं गांधीनगर जिला में बटाईदारी करने के लिये पलायन किया था।

से

गुजरात में बटाईदारी एवं इजारा व्यवस्था पर अध्यय
किया है। उनके अध्ययन में गुजरात के विचित्र तरह
इजारा/टीनेंसी पर प्रकाश डाला गया है। लेखक
आनंद,हिम्मतनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, सुरेन्द्रनग
राजकोट, एवं पाटन जिला में प्रचलित टीनेंसी व्यवस्था
भागीदारी व्यवस्था का नाम दिया है। इस व्यवस्था में खे
करने वाले को फसल का 15 प्रतिशत से 30 प्रतिश
हिस्सा मिलता है एवं यह जमीन एवं फसल के अनुसार त
किया जाता है। 2017 के अध्ययन में इस व्यवस्था
पिछले 20 साल से जारी रहने की बात कही गई है। रिपो
में ऊपर दिये गये जिले में इस व्यवस्था का बोलबाला हो
का दावा किया गया है एवं 95 प्रतिशत मजदूरों के इ
व्यवस्था के तहत काम करने की बात कही गई है। .

अध्ययन में किस तरह कई दशकों से पूरे साल मजदू
की पूर्ति को आसान बनाने के लिये ज्यादा से ज्या
मालिक किसानों द्वारा भागीदारी व्यवस्था को तरजीह दे
पर चर्चा की गई है।

आजीविका ब्यूरो (2010) ने ईडर (साबरकाँठ
गुजरात) एवं कोतड़ा (उदयपुर, राजस्थान) में भाग खे
पर व्यापक अध्ययन किया। कारवाई अध्ययन के रूप
अध्ययन में मालिक किसान एवं बटाईदार के बीच संवि
के अभाव पर रोशनी डाली गई। इस अध्ययन का मुख
ध्यान राजस्थान के उदयपुर जिला के कोतड़ा तहसील

तकनीकी कौशल हासिल करने से वंचित करता है एवं उनके लिये वैकल्पिक रोजगार के अवसर को सीमित करता है।

अध्ययन रिपोर्ट में गुजरात के कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकसित होने, सघन भूजल सिंचाई की सुविधा के साथ उच्च मूल्य के फसल की खेती होने के कारण किस तरह से उसने कृषि मजदूर के लिये रोजगार का अवसर पैदा किया है एवं किस तरह से गुजरात एवं बाहर से मजदूरों को आकर्षित किया है, को प्रमुखता दी गई है। अध्ययन का अनुमान है कि साबरकाँठा जिले में 5000 प्रवासी मजदूर परिवार बटाईदार के रूप में काम करते हैं। बटाईदारों की रोजाना औसत आमदनी 42 रुपए है। अध्ययन का निष्कर्ष था कि भागीदारी व्यवस्था के व्यापक चलन के बावजूद इसमें भागीदारी जैसी कोई चीज नहीं है। लेखकों का मानना है कि बटाईदार (भागिया) की भूमिका पार्टनर जैसी न होकर नौकर जैसी है। इस तरह से इस व्यवस्था का तार्किक औचित्य नहीं रह पाता। ऊपर उद्धृत किये गये अध्ययनों में उत्तरी तथा मध्य गुजरात की स्थिति पर विस्तार से चर्चा है लेकिन पूरे गुजरात के कृषि मजदूरों की स्थिति, पलायन के पैमाने तथा परिमाण, मजदूरों के काम करने तथा रहन-सहन की स्थिति एवं उनके अधिकार तथा सरकारी सेवा में उनकी पात्रता पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

इसी तरह से आदिवासी समुदाय का गुजरात के कृषि

गांवों से अलग-अलग आर्थिक क्षेत्र में पलायन करने वाले 502 परिवारों के बारे में प्रारम्भिक धारणा दी गई है एवं जनसांख्यिकीय को दर्शाया गया है। अध्ययन में पूरे नमूने के 45.57 प्रतिशत लोगों ने महाराष्ट्र तथा गुजरात के कृषि क्षेत्र में पलायन किया है। सर्वे में हिस्सा लेने वालों में कृषि क्षेत्र में काम पाने वालों को प्याज, लहसुन, अदरक, गन्ना, गेंहू, मक्का, बादाम की खेती में काम मिला है। अध्ययन रिपोर्ट के लेखकों ने बड़वानी के आदिवासी समुदाय में पलायन का उनके रोजगार के उपाय का अभिन्न हिस्सा बनने के बारे में बताया। यहाँ आदिवासी परिवार कृषि के काम के लिये पलायन करते हैं एवं दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं। यह रिपोर्ट कृषि मजदूरों के महत्वपूर्ण स्रोत क्लस्टर में किया गया डॉक्युमेंटेशन होने के कारण महत्वपूर्ण है।

आजीविका ब्यूरो एवं आधारशिला शिक्षण केंद्र के अलावा हमें गुजरात पलायन करने वाले आदिवासी खेत मजदूरों की मैपिंग या उनका डॉक्युमेंटेशन करने वाला कोई अध्ययन नहीं दिखा। इस शोध अध्ययन पर विचार करते समय एवं अध्ययन की शुरुआत में गुजरात के कृषि क्षेत्र में काम करने के लिये पलायन करने वाले आदिवासी समुदाय के साथ काम करने वाले समुदाय आधारित संगठनों एवं समूहों के साथ गहन चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान शोध टीम ने मजूर अधिकार मंच (असंगठित क्षेत्र के अनियमित मजदूरों का एक कार्यकर्ता समूह) के कानूनी टीम के साथ मुलाक़ात की। मजूर अधिकार मंच की टीम ने बताया कि पिछले एक दशक से उन्हें मजदूरी में हेरा-फेरी करके मजदूरों को उनके प्राप्य से वंचित करने, मजदूरी का भुगतान नहीं करने, उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की सूचना मिलती आ रही है। इन घटनाओं से खेत मजदूरों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। अध्ययन शुरू करने के समय जमीनी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विस्तार से पिछले एक दशकों में फूटलूज़ मजदूरों का रोजगार की तलाश में पलायन करने एवं गुजरात के कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें फुसलाने के बारे में बताया। लेकिन इस पलायन का किसी तरह का डॉक्युमेंटेशन या मैपिंग नहीं है। इन परिस्थितियों से यह दिखाई देता है कि पलायन करने वाली आबादी का गंतव्य में मजदूर के रूप में उनकी कार्यस्थिति एवं तादाद के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है।

साहित्य के सर्वे ने आदिवासी प्रवासी (कम समय या लंबे समय के लिए) कृषि मजदूरों के बारे में डॉक्युमेंटेशन

अध्याय 3:

अध्ययन पद्धति एवं उसका ढांचा

साहित्यों की समीक्षा ने मौजूदा अध्ययन की उभरती जरूरत को दोहराया। यह अध्ययन पूरे गुजरात में आदिवासी खेत मजदूरों के पलायन के बारे में जमीनी समझ बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यह अध्ययन अपने जगह पर संसाधन से वंचित तबकों जो अपनी जमीन पर पैर नहीं जमा सकते एवं जो पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, उनके बारे में ज्ञान पैदा करने तक सीमित नहीं है। यह अध्ययन मजदूर तथा उनके परिवारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करने में योगदान करने के लिए किया गया है। इस कारण से शोध टीम ने एक्शन रिसर्च की पद्धति को उपयुक्त समझा।

रीज़न तथा ब्रैडबरी (2008) ने एक्शन रिसर्च पद्धति के उभरने के बारे में चर्चा की है। उन्होंने तुलना से अधिक विस्तृत होने की बात कही। इस पद्धति में जांच के विषय को जांच का सहभागी बनाने एवं उसके अंदर महत्वपूर्ण व्यावहारिक मुद्दों पर जुड़ाव, जिज्ञासा एवं प्रश्न करने का गुण लाया जाता है। एक्शन रिसर्च
पद्धति अकेडेमिक तथा सामाजिक परिवर्तन
विकास कार्यकर्ताओं की समझ को चुनौती देता
इसके सहभागी शोध पद्धति होने से यह शोध के विष
के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है

एवं उसे अंजाम देने की कोशिश करता है। यहाँ यह 'दूसरे' पलायन करने वाले खेत मजदूरों के साथ सीधे तौर से जुड़ा एवं उनके साथ काम करने वाला संगठन है। शोध की इस पद्धति एवं लोगों के साथ जुडने के

मुद्दों तथा सरोकारों के साथ इंसाफ करने वाली कार्ययोजना बनाना। यह कार्ययोजना मजदूरों की स्थिति को बारीकी से समझने के बाद बनाना संभव होगा। यह लोगों के अधिकार तथा पात्रता को

समुदायों के अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर एवं प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को लेकर काम करने का समृद्ध अनुभव है। शोध का मकसद सीएलआरए एवं उसके भागीदारों 8 संगठनों को पारस्परिक सहयोग से कृषि मजदूरों की भौतिक स्थिति के बारे में सामूहिक समझ को विकसित करने का अवसर देना था। यह समझ शोध करने वालों को विकास कार्यकर्ता के रूप में उनकी अपनी समझ एवं अभ्यास पर विचार करने का मौका देगा। इस अध्ययन के लिए (डाटा इकट्ठा करने एवं मैपिंग करने) एवं कारवाई तय करने के लिए सीएलआरए के शोध टीम ने नीचे दिये गए जमीनी संगठनों के साथ संपर्क किया एवं शोध के शुरू होने से लेकर अंत तक घनिष्ठ रूप से सहयोग किया।

- सौराष्ट्र दलित संगठन, जूनागढ़, गुजरात
- आनंदी, मालिया, गुजरात
- राजकोट दलित युवा विकास संगठन, गुजरात
- जागृत दलित आदिवासी संगठन, बड़वानी, मध्य प्रदेश
- आधारशिला शिक्षण केंद्र, सेंधवा, मध्य प्रदेश
- खेड़ुत मजदूर चेतना संगठन, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश
- विचारधारा संगठन, नंदुरबार, महाराष्ट्र
- मजदूर अधिकार मंच, दाहोद, गुजरात

आदिवासी प्रवासी खेत मजदूरों की चिंताओं एवं समस्याओं में आंतरिक भिन्नता है। इसलिए डाटा संग्रह करने वाले जमीनी संगठनों का अलग-अलग समुदायों के मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में गहरा एवं बारीक समझदारी होना जरूरी था।

नमूना चयन :

शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गुजरात के कृषि क्षेत्र में काम करने के लिये मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों को सर्वे में शामिल किया गया। नमूने में कम समय के लिये पलायन

साथ काम करने वाले भागीदार संगठनो के कार्यक्षेत्र के
जिले के ब्लॉक या क्लस्टर का चयन किया गया।
अध्ययन क्षेत्र के लिये स्रोत तथा गंतव्य के चयनित क्षे
का नाम दिया गया है।

उद्देश्यपूर्ण सेंपलिंग द्वारा सर्वे के लिये लो
को चुना गया। कोविड 19 के सुरक्षा नियमन को देख
हुए सर्वे करने वाले लोगों का सर्वे के लिये लोगों त
पहुँच सीमित हो गया था। इसलिए शोध टीम क
जमीनी सहयोगियों के ज्ञान पर भरोसा करने क
विचार आया क्योंकि उनके पास दशकों से आदिवास
प्रवासी खेत मजदूरों के साथ काम करने का अनुभव
उद्देश्यपूर्ण सेंपलिंग का मकसद गुजरात में पलाय
करने वाले कृषि मजदूरों के तार्किक रूप से प्रतिनिधि

Table 1: Field Locations in Source of Migration

Source Area	District Name	Block
Gujarat	Chhota Udaipur	Chhota Udaip
		Bodeli
	Dahod	Fatehpura
		Sanjeli
	Mahisagar	Santrampur
Madhya Pradesh	Badwani	Pati
		Rajpur
		Barwani
Maharashtra	Nandurbar	Shahada

Table 2: Field Locations in Destination of Migration

Destination Area	District Name	Block
Gujarat	Junagadh	Visavadar
	Amreli	Bagesara

मैप 1: पलायन स्रोत क्षेत्र का स्थान

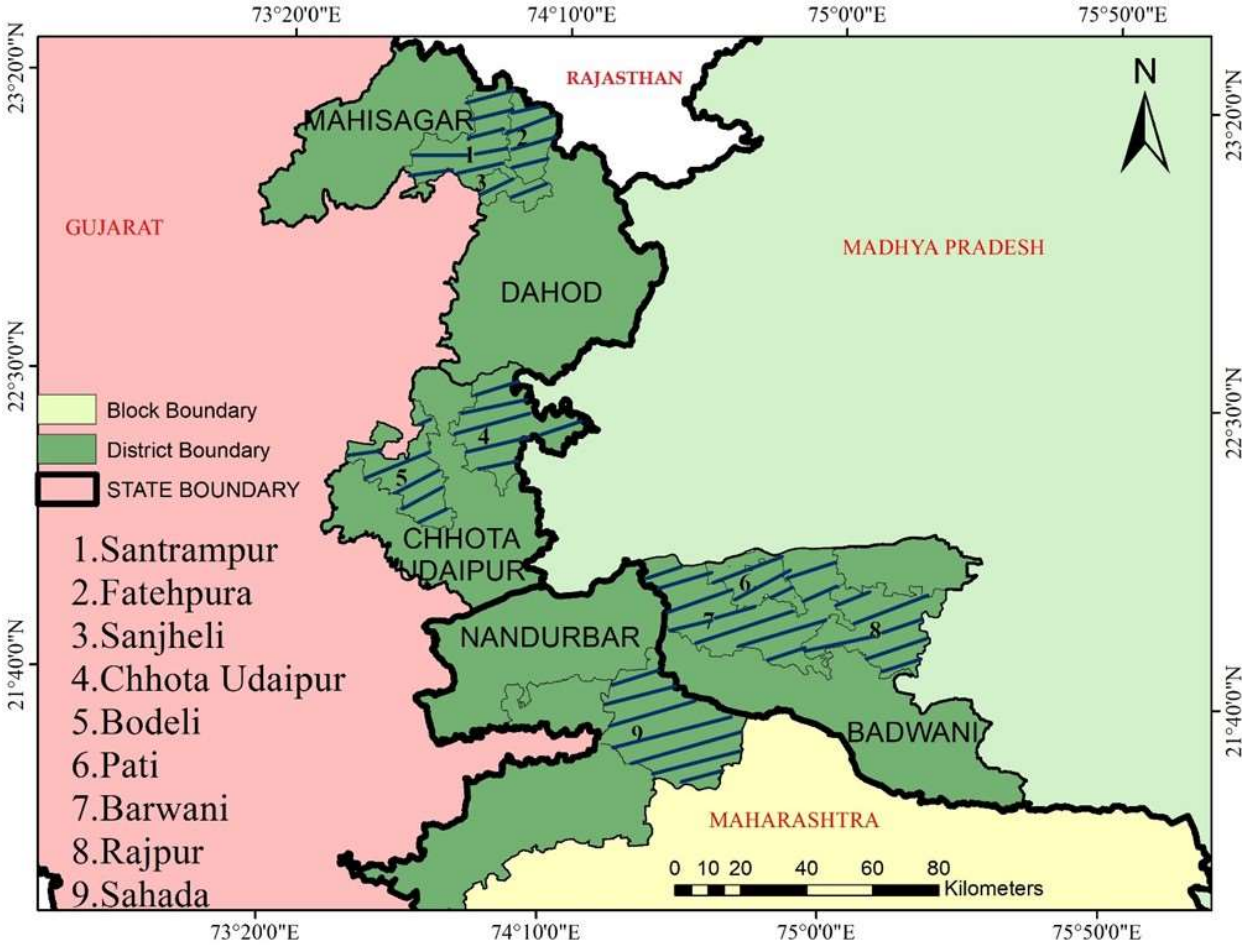

करने वाले नमूने का चयन करना था।

खेत मजदूरों की पलायन यात्रा का मैपिंग करने का पहला कदम पलायन प्रवाह को डॉक्यूमेंट करना है। साहित्य का सर्वे एवं भागिया तथा मौसमी खेत मजदूरों के साथ काम करने वाले जमीनी संगठनों के अनुभव ने हमें अध्ययन क्षेत्र चुनने में मदद की। प्रारंभिक चर्चा से हमें उत्तरी गुजरात से लेकर सौराष्ट्र तथा कच्छ में मजदूरों के पलायन का पता चला। ये प्रवासी मजदूर गुजरात की आदिवासी पट्टी एवं उसके साथ सटे मध्य प्रदेश (पश्चिमी हिस्सा), उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात के आदिवासी पट्टी से पलायन करते हैं। सीएलआरए के जमीनी संगठनों के मौजूदा नेटवर्क से शोध टीम ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के 9 ब्लॉक/तहसील को पलायन के स्रोत एवं गुजरात के चार ब्लॉक को पलायन के गंतव्य के रूप में चयन किया।

अध्ययन समय में मीटिंग, समीक्षा, एवं फीडबैक ऑनलाइन हुई। मैपिंग के लिये गूगल फॉर्म का मदद लिया गया। गूगल सर्वे करने वालों को अपने-अपने स्थान से मैपिंग करने एवं डाटा अपलोड करने की अनुमति दी गई।

शोध टीम ने चार सर्वे अनुसूची तैयार की। इसमें गाँव की प्रोफ़ाइल, कृषि क्षेत्र में मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की सूची शामिल है। मजदूरों की सूची में विस्तारित पारिवारिक जानकारी की सूची शामिल है। इन अनुसूचियों के बारे में नीचे संक्षिप्त चर्चा की गई है।

गाँव की मैपिंग (वीएस 1 & वीएस 2): अनुसूची के अनुसार सर्वे करने वालों को चयनित गांवों (एक क्लस्टर में कम से कम 10 गांवों) की मैपिंग करनी थी। चयनित गांवों को क्लस्टर के भौगोलिक रूप से

मैप 2: पलायन गंतव्य क्षेत्र का स्थान

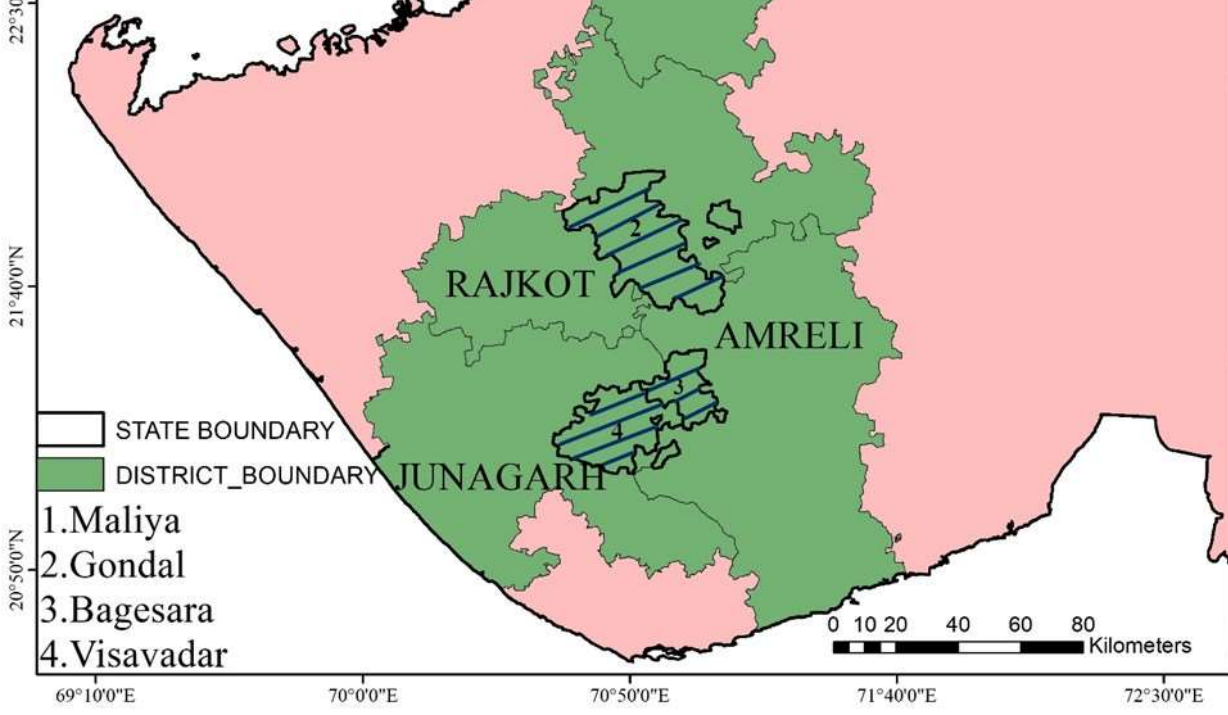

बेसलाइन आंकड़ा (वीएस 2) इकट्ठा करना था। पहली अनुसूची को सहभागी प्रक्रिया द्वारा गाँव में बैठक एवं पूरे गाँव में पैदल चल कर पूरा करना था।[2] बेसलाइन सूची को पलायन करने वाले मजदूरों के रिश्तेदारों की मदद से पूरा करना था। यह दोनों अनुसूची मजदूरों के पलायन क्षेत्रों को चिन्हित करने एवं स्रोत के गांवों के मजदूरों को पलायन करने के लिये मजबूर करने वाले सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में समझ बनाने का अभिन्न हिस्सा था।

परिवार की मैपिंग – (एचएस1): अगला कदम 20 लोगों (10 कम समय के लिये पलायन करने वाले एवं 10 ज्यादा समय के लिये पलायन करने वाले) का चयन। यह संख्या गाँव से कृषि क्षेत्र में पलायन करने वाले मजदूरों की सूची का 10 प्रतिशत होगा। बेसलाइन डाटा इकट्ठा करने के समय इन लोगों से

इकट्ठा करना था एवं इस जानकारी को सीएलआर
द्वारा विकसित एंड्रोयड मोबाइल एप्लिकेश
'श्रमशक्ति' में दर्ज किया गया। इस एप्लिकेशन क
उपयोग करके परिवार की मैपिंग में मजदूरों क
प्रोफ़ाइल, मजदूर के काम की प्रोफ़ाइल, परिवार
सदस्यों की विस्तृत जानकारी, साथ पलायन करने वा
परिवार के सदस्य एवं सरकारी सेवा तक पहुँच के ब
में जानकारी इकट्ठी की गई।

परिवार सर्वे 2 (एचएस 2) : काम क
बंदोबस्त, काम करने तथा रहन-सहन की स्थिति ए
गंतव्य में सरकारी सेवा तक पहुँच के बारे में विस्तार
जानकारी जुटाने के लिये अनुसूची तैयार की गई। इ
अनुसूची का उपयोग चयनित 10 प्रतिशत परिव
(एचएस 1 से चयनित 10 प्रतिशत) से संवि
समझौता में मजदूरी एवं भाग, रहने एवं काम करने

जानकारी जुटाई गई। इस अनुसूची से पिछले बार की खेती के बारे में जानकारी जुटाई गई। इस अनुसूची को मौसमी खेत मजदूर एवं भागिया के साथ विस्तृत बातचीत करके भरना था।

काम के बारे में विचार, काम खोजने का अनुभव, संविदा समझौता में मोलतोल, काम के विषय में मजदूरों की राय, काम की जगह का सामाजिक समीकरण ,पलायन के कारण के बारे में ठोस एवं जमीनी समझ बनाने के लिए शोध टीम ने लक्षित सामूहिक चर्चा (एफजीडी)का सहारा लिया। चर्चा के लिये स्क्रिप्ट[3] तैयार की गई एवं मजदूर, महिला मजदूर एवं किसानों के साथ अलग-अलग चर्चा की गई।

शोध टीम को पता था कि स्रोत में जिस तरह विस्तार से जानकारी जुटाई गई थी उसे गंतव्य में दोहराना कठिन होगा। इसलिए शोध टीम ने समूह में चर्चा एवं मजदूर तथा उसके परिवार के साथ निर्देशित चर्चा पर भरोसा किया। जमीन मालिक की निगरानी एवं उसके द्वारा सर्वे करने वालों को मजदूरों के साथ बातचीत नहीं करने देने की आशंका से टीम ने जूनागढ़, गोंडल एवं मोरबी में सामूहिक रूप से चर्चा की। भागीदार संगठनों के साथ मिलकर तीन एफजीडी स्क्रिप्ट तैयार की गई ताकि गंतव्य में हितधारकों के नजरियों के बारे में ठोस समझदारी बन सके। इसमें मजदूरों के साथ चर्चा शामिल थी एवं किसान (खेडुत) के साथ प्रवासी मजदूरों के बारे में उसकी सोच को समझने की चर्चा की गई। मजदूर परिवारों की महिलाओं के साथ चर्चा की गई। भागीदार संगठनों ने बातचीत के लिये अनुकूल माहौल बनाने को सुनिश्चित किया। उन्होंने जमीन मालिक के हस्तक्षेप के बगैर एवं उनके द्वारा मजदूरों को किसी तरह से धमकी नहीं देने को सुनिश्चित किया। पाठकों की सहूलियत के लिये समूह चर्चा का विस्तृत व्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है।

भागिया एवं खेत मजदूरों के साथ लक्षित समूह चर्चा (एफजीडी): गाँव एवं क्लस्टर के सामान्य रुझान को समझने के लिये सवालों की एक सूची तैयार चर्चा में भागिया मजदूर पर ध्यान केन्द्रित था, भागिया को काम पर रखने के तरीके, समझौते की शर्तें, काम करने एवं रहने की स्थिति, विवाद की घटनाएँ एवं कोविड 19 के कारण का प्रवासी परिवारों की तालाबंदी के अनुभव पर चर्चा की गई। एफजीडी का पलायन रुझान एवं खेत मजूरी एवं भागिया खेती की समग्र तस्वीर बनाने में अहम योगदान रहा।

महिलाओं के साथ समूह चर्चा (एफजीडी): गाँव के स्तर पर महिलाओं के काम की स्थिति को समझने के लिये सवालों की सूची तैयार की गई। यह चर्चा महिला समूह में या काम करने के लिये बाहर पलायन करने वाली एक महिला के साथ की गई। इस चर्चा का मकसद काम का बंटवारा एवं महिलाओं पर काम के बोझ, काम के बारे में निर्णय, काम के बारे में महिलाओं के विचार एवं हिंसा तथा स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी जुटानी थी। इस चर्चा से प्रवासी महिलाओं की समग्र स्थिति के बारे में समझदारी बनने की उम्मीद थी।

किसानों के साथ समूह में चर्चा :गंतव्य में गाँव या तालुका स्तर पर किसानों)खेडुत (के साथ चर्चा करने के लिये सवालों की सूची तैयार की गई। यह चर्चा भागिया /खेत मजदूर को काम पर रखने वाले किसानों के साथ की गई। इसका मकसद किसानों के विचार समझना था। शोध टीम को यह चर्चा हो पाने की कम उम्मीद थी। इसके बावजूद हमें किसानों के साथ चर्चा से प्रवासी आदिवासी मजदूरों एवं उनके काम करने तथा रहने की स्थिति के बारे में उनके नजरिए का पता चलने की उम्मीद थी।

अध्याय 4:

पलायन क्षेत्रो की मैपिंग

भारत के ग्रामीण आदिवासी परिवारों में बहुतों के लिये मौसमी पलायन उनकी जिंदगी का नहीं बदलने वाला पहलू बन गया है। टिकाव रोजगार की तलाश में खेत मजदूर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं। यह पलायन गुजर–बसर के लिए बहुत सीमित साधन से लैस अविकसित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र/अंचल की ओर हो रहा है। बड़े किसानों में रोजगार तलाशने वाले गरीब एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों को काम

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र से खे
मजदूरों का पलायन प्रवाह ग्रामीण गुजरात के जिलों

संक्षिप्त सर्वे द्वारा की गई। भाग खेती या खेत मजूरी के लिए पलायन करने वालों का डाटा बेस तैयार किया गया। संक्षिप्त अनुसूची होने के कारण इसका उपयोग गंतव्यों में सर्वे के लिए भी किया जा सका। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के 12 ब्लॉकों में फैले कुल 99 गांवों[4] की मैपिंग की गई। इनमें 3548

Table 3: *Number of Villages Mapped in Baseline Survey*			
State	**District**	**Block**	**Number of Villages**
Madhya Pradesh	Barwani	Rajpur	10
		Barwani	10
		Pati	10
	Alirajpur	Sendwa	10
Gujarat	Dahod	Sanjeli	10
		Fatepura	9
	Chhota Udaipur	Chhota Udaipur	2
	Amreli	Bagasara	9
	Junagadh	Visavadar	4
	Morbi	Maliya	5
	Mahisagar	Santrampur	10
Maharashtra	Nandurbar	Sahada	10
Total	**9**	**12**	**99**

मैप 3: आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूर का स्रोत क्षेत्र

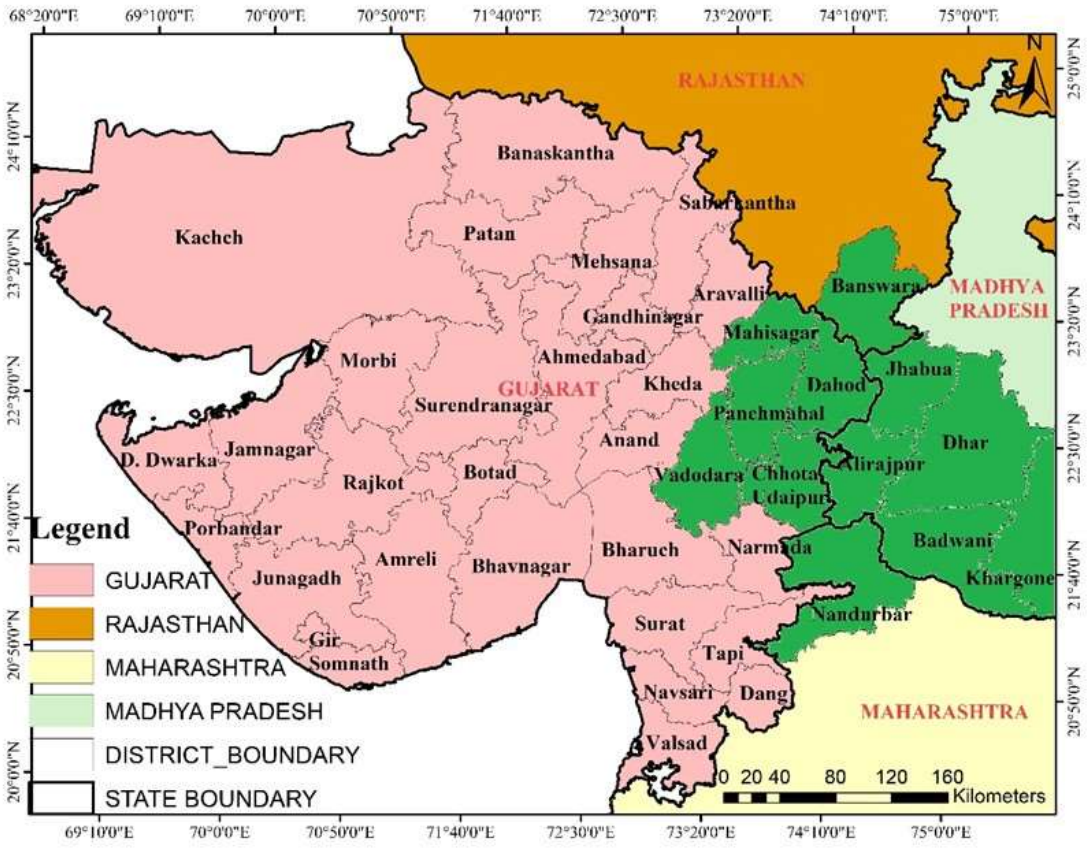

खेत मजूर एवं 1253 भागिया पाए गए (यह संख्या डाटा को परिष्कृत करने के बाद की है)। चयनित गांवों

वितरण एवं बिखरे होने की
समग्र तस्वीर को दिखाता है
मैप 3 में मौसमी एवं भाग
खेती काम के लिये पलाय
के स्रोत को दर्शाया गया है
अध्ययन में 6 जिलों के
ब्लॉकों को उनमें उल्लेखनी
संख्या में आदिवासी होने
कारण स्रोत क्षेत्र के रूप
चुना गया है। गुजरात, मध
प्रदेश, महाराष्ट्र ए
राजस्थान के 12 जिलों
मजदूर कृषि क्षेत्र में पलाय
करते हैं। राजस्थान
बांसवारा जिले से, मध
प्रदेश के झबुआ, धा
खरगोन, अलीराजपुर ए
बड़वानी जिले से, महारा
के नंदुरबार जिले ए
गुजरात के दाहो
महिसागर, पंचमहल, छोट

उदयपुर एवं बड़ोदरा जिले से कृषि मजदूर गुजरात

Table 4: *Distribution of Sample Population Across its Source and Destination of Migration*

State	Gujarat Regions/District Name	Saurashtra-Kutchh	Central	North	South	Sub Total	Total
Gujarat	Chhota-Udaipur	35	0	17	2	54	2668
	Dahod	577	124	917	29	1647	
	Mahisagar	185	241	534	6	966	
	Panchmahal	1	0	0	0	1	
Madhya-Pradesh	Barwani	259	49	4	0	312	345
	Alirajpur	16		0	0	16	
	Jhabua	2		0	0	2	
	Dhar	15		0	0	15	
Maharash-tra	Nandurbar	435		0	17	452	452
Rajasthan	Banswara	83		0	0	83	83
	Total	1608	414	1472	54	3548	3548

विस्तार:

टेबल 4 को गांवों के बेसलाइन सर्वे से लिया गया है। अध्ययन के इस चरण में कुल 3548 खेत मजदूरों का चयन किया गया। सर्वे से सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रवासी कृषि मजदूर होने की बात सामने आई।

इन क्षेत्रों से 3548 कृषि मजदूरों ने पलायन किया। गुजरात के छोटा-उदयपुर,दाहोद,पंचमहल एवं महिसागर जिला, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ,बड़वानी एवं धार जिला, महाराष्ट्र के नंदुरबार एवं राजस्थान के बांसवारा[5] जिला के खेत मजदूर गुजरात में पलायन करते हैं। सौराष्ट्र-कच्छ में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पट्टी से मजदूर पलायन करते हैं। उत्तरी गुजरात में मध्य गुजरात एवं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला से मजदूर पलायन करके आते हैं। उत्तरी गुजरात के सभी जिलों में कृषि-मजदूर मुख्यत नजदीकी जिला से आते हैं। गुजरात से पलायन करने वाले कृषि मजदूरों के लिए साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर एवं अहमदाबाद जाना माना गंतव्य है। मध्य गुजरात में अंतर-जिला, अंतर-ब्लॉक एवं अंतर-गाँव पलायन होता है। पड़ोसी नजदीक के गांवों से महिसागर ब्लॉक में पलायन करते हैं। दक्षिण गुजरात , विशेष रूप से सूरत एवं नवसारी जिला में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला एवं गुजरात के दाहोद जिला से कृषि मजदूर पलायन करते हैं। नवसारी तथा सूरत जिला के गन्ना खेती के इलाके में बहुत सारे मजदूर पलायन करते है एवं ये मजदूर मुख्यतः महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से आते हैं।

टेबल 5 में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में प्रवासी कृषि मजदूरों का वितरण दर्शाया गया है। यह टेबल 3 एवं 4 नंबर टेबल से लिया गया है। इस टेबल में जिला वार भिन्नता दिखती है। हमारे अध्ययन में इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि मजदूर पलायन करते हैं। चयनित डाटा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात जैसे स्रोत राज्य से सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में मजदूरों के पलायन को दिखाता है। प्रवासी कृषि मजदूरों के लिए कच्छ के साथ जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली, मोर्बी आकर्षक गंतव्य है। सौराष्ट्र के शेष छः जिले में कम संख्या में कृषि मजदूर पलायन करते हैं।

गुजरात के आदिवासी पट्टी के मजदूर राज्य के मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सा में पलायन करते हैं।

Table 5: *Distribution Across Saurashtra-Kutch Region*					
Region/Source State	**Gujarat**	**Madhya Pradesh**	**Maharashtra**	**Rajasthan**	**Total**
Junagadh	193	117	302	50	662
Rajkot	133	106	96	0	335
Jamnagar	178	1	35	0	214
Amreli	115	46	2	33	196
Kutch	105	1	0	0	106
Morbi	32	13	0	0	45
Surendranagar	21	0	0	0	21
Porbandar	5	6	0	0	11
Bhavnagar	10	0	0	0	10
Dwarka	3	0	0	0	3
Gir Somnath	0	2	0	0	2
Botad	3	0	0	0	3
Total	**798**	**292**	**435**	**83**	**1,608**

मेहसाना प्रमुख गंतव्य जिला है। बनासकांठा एवं पाटन में भी कम संख्या में खेत मजदूर पलायन करते हैं।

भागियाओं की पलायन का विस्तार:

टेबल 6 में गुजरात में भागिया मजदूरों की पलायन धारा को दर्शाया गया है। टेबल 6 से अध्ययन

के दौरान 1253 भागिया मजदूरों के बारे में जानका
इकट्ठा करने का पता चलता है। अध्ययन के दौरान भा
-खेती करने वाले प्रवासी मजदूरों के किए सौराष्ट्र त
कच्छ क्षेत्र को पसंद करने की बात कई बार साम
आई। गुजरात के दाहोद, पंचमहल एवं महिसाग
मध्य प्रदेश के बड़वानी, अलीराजपुर, झबुआ, धार ए
खरगोन, महाराष्ट्र के नंदुरब
एवं राजस्थान के बांसवा
जिलों के खेत मजदूर सौरा
कच्छ क्षेत्र में पलायन करते
जूनागढ़, राजकोट, अमरेल
बोतड़, द्वारका, सुरेंद्रनग
मोर्बी, पोरबंदर, भावनग
जामनगर एवं कच्छ प्रवा
भागिया का मुख्य गंतव्य है।

सर्वे में हिस्सा लेने वाले 125
मजदूरों में से 908 मजदूरों
भाग खेत मजदूरी के लिए इ
क्षेत्र में पलायन किया है। म
गुजरात में राज्य के दाहो
पंचमहल, बड़ोदरा ए
महिसागर जिलों से एवं म

मैप 4: स्रोत से गंतव्य तक खेत मज़दूरों के प्रवास का विस्तार

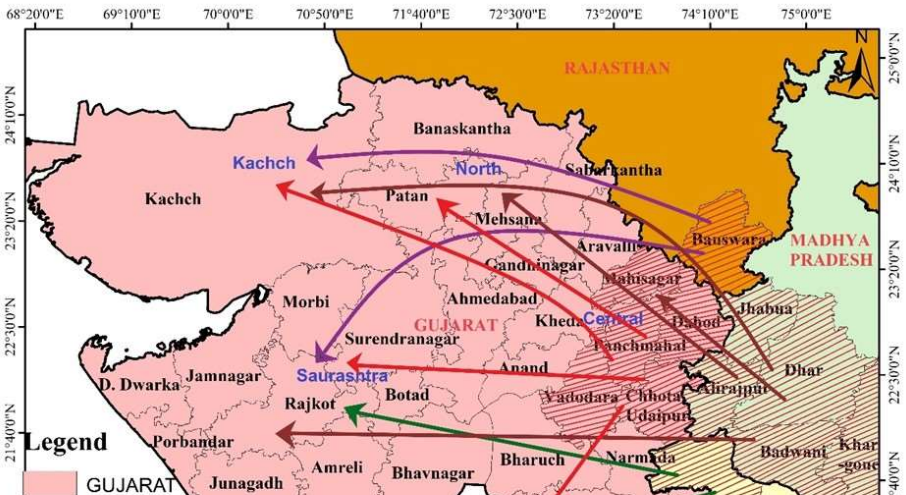

मैप 5 : स्रोत से गंतव्य तक खेत भगिया के प्रवास का प्रवाह

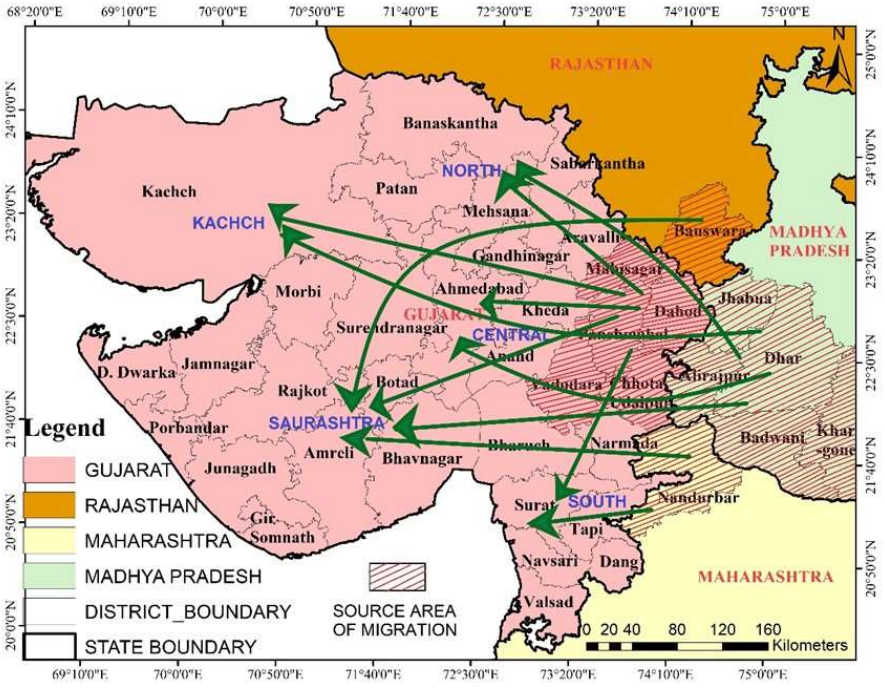

के गांवों से पलायन करते हैं। इसी तरह से छोटा-उदयपुर, दाहोद, पंचमहल एवं महिसागर जिलों के मजदूरों के लिए उत्तरी गुजरात का गांधीनगर, साबरकांठा, अहमदाबाद, बनासकांठा, अरावली एवं मेहसाना जिला पसंदीदा गंतव्य है। बहुत कम संख्या में (41) भागिया मध्य गुजरात के आनंद, बड़ोदरा, महिसागर एवं खेड़ा जिला एवं दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत एवं वलसाद में पलायन करते हैं।

गुजरात राज्य में सौराष्ट्र –कच्छ क्षेत्र कृषि-प्रवासियों के लिए सबसे बड़े क्षेत्रों के रूप में उभरा है। हालांकि अध्ययन ने दिखाया है कि प्रवासी खेत मजदूरों का गंतव्य पूरे राज्य में फैला हुआ है, लेकिन संख्या में भिन्नता जरूर है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से सटी हुई आदिवासी पट्टी पलायन का मुख्य स्रोत है। अगले अध्याय में स्रोत क्षेत्र के गांवों की प्रोफ़ाइल एवं प्रवासी कृषि मजदूरों की प्रोफ़ाइल को विस्तृत किया जायेगा।

Table 6: *Migration Mapping of Bhagiya Labourers*

State	Gujarat Regions/ District Name	Saurashtra -Kutch	Central	North	South	Total
Gujarat	Chhota Udaipur	135	0	25	1	161
	Dahod	256	7	145	2	410
	Mahisagar	155	26	131	0	312
	Panchma-hal	6	0	0	0	6
Madhya Pradesh	Barwani	164	4	3	1	172
	Alirajpur	61	0	0	0	61
	Jhabua	2	0	0	0	2
	Khargone	2	0	0	0	2
	Dhar	15	0	0	0	15

अध्याय 5:

गांवों की रूपरेखा एवं जनसंख्या से संबंधी विवरण

इस अध्याय में पलायन के स्रोत क्षेत्र में सर्वे के लिए चयनित आबादी की जनसांख्यिकी पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। पाठकों को याद होगा कि अध्ययन में पलायन धारा के बारे में व्यापक समझदारी बनाने के लिए अनुसंधान उपकरण का उपयोग किया गया है। साथ ही आदिवासी प्रवासी खेत मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन के चलन के परिमाण को आँकने की कोशिश की गई है। शोध का एक उद्देश्य पलायन के चलन एवं उसके गलियारों का खाका बनाना था। मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर करने वाली स्थितियों को समझे बगैर चयनित परिवारों के बारे में समझदारी का अधूरा एवं अपर्याप्त होने के बारे में शोध टीम सहमत थी। इसलिए गांवों की पृष्ठभूमि जानना एवं मजदूरों तथा परिवारों की जनसांख्यिकी का नक्शा बनाना जरूरी था। यह मजदूरों को कृषि मजदूर के रूप

कई परिस्थितयों के कारण मजदूर पलायन के लि
मजबूर होते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के
जिलों के 7 ब्लॉक में फैले स्रोत क्लस्टर के 64 गांवों
स्थिति का खाका बनाने के दौरान मिले आंकड़ों पर नी
चर्चा की गई है। इस चरण से मिली जानकारी ए
समझदारी को पारिवारिक सर्वे द्वारा संग्रहित मजदू
की पृष्ठभूमि के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जा
चाहिए। 64 गांवों के 700 परिवारों का सर्वे कि
गया। इसमें 413 खेत मजूर परिवार एवं 287 भागि
परिवार शामिल थे।

दिए गई टेबल 7 में अध्ययन में शामिल गांवों का विवरण दिया गया है।

इस चरण के चित्रण में गांवों के पलायन का इतिहास केंद्र में था। पलायन करने वाले परिवारों की संख्या, पलायन करने वालों द्वारा चुने गए आर्थिक क्षेत्र, गुजरात में पलायन के गंतव्य एवं गाँव वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर तथ्य इकट्ठा किया गया। यह सर्वे कोविड-19 की तालाबंदी के बाद में अगस्त 2020

Table 7: *Spread of Villages Surveyed*

State	District	Block, District	Number of Villages
Madhya Pradesh	Barwani	Rajpur	11
		Barwani	10
		Pati	10

Table 8:*Social Composition of the Households Surveyed in all the Villages*	
Category	**Number of Villages (Percentage)**
Only ST	28
SC and ST	29
ST and OBC	3
SC, ST and OBC	3
All	1

में शुरू किया गया था। इसलिए अनुसूची में संक्षिप्त रूप से गाँव के प्रवासी मजदूरों पर महामारी एवं तालाबंदी के प्रभाव का भी जिक्र किया गया।

डाटा संग्रह करने की रणनीति हमारे जमीनी भागीदारों के साथ मिलकर तय की गई थी। हमारे जमीनी सहयोगियों ने प्रवासी कृषि मजदूरों का डाटा इकट्ठा करने एवं उनका खाका बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय टीम को तैनात किया था। प्राथमिक डाटा संग्रह के लिए ब्लॉक, जिला एवं गांवों के चयन के काम को हमारे जमीनी सहयोगियों ने सुगम बनाया था। भागीदारों की सलाह से सैंपल लिये गये गांवों का चयन किया गया था। शोध टीम अपने जमीनी स्तर के सहयोगियों के ज्ञान तथा अनुभव पर निर्भर थी जिन्हें दशकों से आदिवासी प्रवासी मजदूरों के साथ काम करने का समृद्ध एवं व्यापक अनुभव था। शोध टीम ने अपने सहयोगियों की मदद से कृषि मजदूरों के पलायन स्रोतों (जिला एवं ब्लॉकों) की पहचान कर पाया जहां से मजदूर गुजरात के अलग-अलग जगहों पर पलायन कर गये थे। महामारी के कारण सुरक्षा नियमों के चलते विभिन्न क्षेत्रीय टीमों की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगने की बात को भी ध्यान में रखना चाहिये। इसके कारण मजदूरों तथा उनके गांवों तक पहुँचने की कोशिश को प्रभावित किया। कोविड-19 की चुनौतियों के कारण क्षेत्रीय टीमों की गतिशीलता प्रभावित हुई एवं उसके नतीजे में मजदूर तथा उनके गाँव तक पहुँचने का दायरा सिमट गया। इन स्थितियों में शोध टीम ने क्षेत्रीय शोध टीम की विश्वसनीयता पर भरोसा करने एवं कोविड-19 से संबन्धित सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आसानी से पहुँच पाने वाले स्थानो का चित्रण करने का निर्णय लिया।.

भाग 1: गाँव की सामाजिक संरचना: क्षेत्रीय टीम पलायन की घटना एवं स्रोत क्षेत्र के गांवों की सामाजिक संरचना के बारे में समझदारी बनाने के लिए गांवों का खाका बनाने का काम शुरू किया। 2011 के सेंसस के अनुसार अध्ययन के लिए चयनित

तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित भील आदिवा समुदाय की पट्टी से सटे होने के कारण गाँव के सर्वे सभी गांवों में आदिवासी समुदाय के लोग थे। टेबल से पता चलता है कि 28 गाँव में सिर्फ आदिवा समुदाय के लोग रहते हैं। सर्वे किये गांवों के 4 प्रतिशत गांवों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचि जनजाति के लोग रहते हैं। शेष गांवों में अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति साथ मुट्ठी भर सामान्य जाति एवं मुसलमान हैं।

पलायन की परिदृश्य: गांवों की मैपिंग से लोगों पलायन की परिदृश्य सामने आती है। सर्वे किये गये 6 गांवों के 63 प्रतिशत परिवारों ने पलायन किया थ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर ब्लॉक के 1 गांवों के 59 प्रतिशत परिवार मौसमी पलायन कर हैं। इसी तरह से इस जिले के पाती एवं बड़वानी ब्लॉ के 80 प्रतिशत से ज्यादा परिवारों ने पलायन करने पुष्टि की। यही रुझान गुजरात के छोटा-उदयपुर ब्लॉ में देखा गया जहां 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी रोजगार के लिए गुजरात के अलग-अलग हिस्सों जाने की बात बताई। टेबल 9 में गुजरात के अल अलग हिस्सों में रोजगार के लिए पलायन करने वा परिवारों का ब्लॉक के अनुसार वितरण दिखाया ग है।

इस चरण में इकट्ठा किये गये डाटा से ग्रामी रोजगार में पलायन की आवश्यक भूमिका सामने आ है। पलायन करने वाले परिवारों को किसी विशेष त के या विशेष क्षेत्र के रोजगार के रूप में सीमित वर्गीकृत करना संभव नहीं है। इसके बजाय सर्वे मजदूरों द्वारा चक्राकार पलायन करने को तवज्जो दे हुए पाया गया। सर्वे में उत्तरदाताओं ने बताया कि

Table 9: *Percentage of Households that Migrate from Different Blocks*

Block, District	Number of Villages Surveyed	Total Number of Households Mapped	Total Number of Migrant Households	Percentage of Migration in the Block (in percent)
Rajpur,Barwani	11	4,937	2,928	59
Barwani,Barwani	10	2,424	2,035	84
Pati, Barwani	10	3,496	2,805	80
Sondwa,Alirajpur	10	3,530	2,614	74
Sanjeli, Dahod	10	3,550	1,718	51
Chhota Udaipur	3	1,300	1,050	81
Shahade, Nandurbar	10	1,885	241	13
Total	64	21,122	13381	63

समय या लंबे समय के लिए कृषि क्षेत्र में अनियमित मजदूर के रूप में पलायन करने की बात बताई।

पलायन का इतिहास: पलायन स्रोत के गांवों की भौतिक स्थिति को समझने एवं विस्तृत सर्वे डाटा से संयोजन करने के लिए अलग-अलग जगहों (गांवों एवं क्लस्टरों) पर लोगों के साथ समूह में चर्चा की गई। चर्चा का उद्देश्य गाँव में पलायन की परिपाटी के शुरू होने को समझना था। इस तरह की चर्चा नंदुरबार में हुई जहां फील्ड रिसर्चर को शहदा ब्लॉक के आर. ठाकरे एवं एस. ठाकरे से बात करने का अवसर मिला। इन दोनों ने सबसे पहले अपने गाँव से पलायन किया था। उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने तीन दशक पहले सौराष्ट्र के गन्ना खेतों में काम करने के लिए पलायन किया था। उन्होंने बताया उस समय उन्हें 12 रुपए

Table 10: *Years of Migration from the Village*

Years of Migration	No. of Villages	No of Village (In percent)
< 5years	4	6
5-10 years	8	12.50
10-15 years	33	52
15-20 years	8	12.50
>20 years	11	17
	64	100

सौराष्ट्र में ज्यादा मजदूरी के लिए गुजरात के भीतरी इलाकों के गन्ना खेतों में काम करने के लिए पलायन किया। जल्दी ही बाकी लोगों ने उनका अनुसरण किया एवं इस क्षेत्र से तीस साल से कृषि मजदूरी या अन्य आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन चल रहा है। स्रोत क्षेत्रों के क्लस्टरों का डाटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पलायन का लंबा इतिहास होने की पुष्टि करता है। नीचे प्रस्तुत टेबल 10 के अनुसार सर्वे किये गये 64 गांवों के 52 प्रतिशत गांवों के लोग पिछले 10-15 साल से पलायन करते आ रहे हैं। चयनित 64 गांवों के 8 गांवों में लोग पिछले 15-20 साल से पलायन करते आ रहे हैं। सिर्फ 6 प्रतिशत गाँव के लोगों ने पाँच साल से कम समय से पलायन शुरू होने की बात कही। गाँव के प्रोफ़ाइल में सबसे पहले पलायन करने वाले समुदाय का नाम का उल्लेख किया जाता है इसलिए हमें आदिवासी समुदाय के बरेला समुदाय (पाटी ब्लॉक के चयनित गांवों से), संजेली एवं छोटा-उदयपुर ब्लॉक के भील समुदाय का सबसे पहले पलायन करने के बारे में पता चला।

अधिकांश गांवों के लोग एक पीढ़ी से कम समय से पलायन करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से पलायन हाल के वर्षों की परिघटना है। मैदानी गुजरात के नजदीक की जगहों दाहोद एवं छोटा -उदयपुर से पलायन का क्रम सबसे पुराना है। इन जगहों से 40 साल पहले से पलायन शुरू होने की बात सामने आई। कृषि मजदूरी के लिए कुल परिवारों की

Table 11: *Age Distribution Among Migrant Agricultural Workers*				
Age Range (in years)	**Number of Labour**	**Seasonal Workers (In percent)**	**Number of Labour**	**Wage Sharecrop-pers (In percent)**
Less than 18	35	8	1	0
19-29	164	40	74	26
30-39	123	30	110	38
40-49	59	14	84	30
More than 50	32	8	18	6
Total	413	100	287	100

किया। इन 700 परिवारों में 413 खेत मजदूर थे एवं 287 भाग खेती करने वाले भागिया थे। सर्वे का काम चलने के समय भाग-खेती करने वाले अपने परिवार के साथ खरीफ फसल की खेती करने के लिए गंतव्य पर पलायन कर चुके थे। इसके कारण सर्वे करने वालों ने ज्यादा संख्या में अनियमित खेत मजदूर परिवारों का सर्वे किया। सर्वे में भाग खेती करने वाले भागियाओं के वनिस्पत खेत मजदूरों की ज्यादा संख्या होने के पीछे यही कारण है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण फैले पागलपन के कारण बहुत सारे लोग सर्वे करने वालों के साथ बातचीत करने से झिझक रहे थे। सर्वे टीम ने मजदूरों को बाहरी लोगों से बातचीत करने में झिझक को देखा एवं उन्हें लगा कि लोग अध्ययन टीम को जानकारी देने से मना कर सकते हैं। टीम ने विस्तार से कई बार अपने दौरे एवं अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बताया लेकिन इसके बावजूद अपरिचित लोगों से बातचीत करने एवं जानकारी साझा करने को लेकर लोगों की शंका एवं अविश्वास बरकरार रहा। लोगों का अविश्वास लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों द्वारा तालाबंदी के कारण उठाई गई परेशानियों के कारण घोर निराशा में बदल गया। सर्वे के कई चरणों एवं कई मौके पर मजदूरों ने अपने परिवार एवं परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देने से इंकार किया एवं इसके कारण अध्ययन का काम प्रभावित हुआ। ऐसे समय में हमारे जमीनी सहयोगियों की मान्यता एवं प्रतिष्ठा काम आई एवं सहयोगियों के प्रभाव क्षेत्र के गांवों के परिवारों का सर्वे संभव हो

प्रवासी खेत मजदूरों की उम्र श्रेणी : नी दिए गए टेबल 11 में अनियमित खेत मजदूर ए भागियाओं का उम्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया अनियमित खेत मजदूरों के 40 प्रतिशत 19-29 साल हैं, 30 प्रतिशत 30-40 साल की उम्र के हैं। भाग खे करने वाले भागियों का बड़ा हिस्सा 19-49 साल उम्र समूह के हैं एवं 38 प्रतिशत 30-39 उम्र समूह हैं।

आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप ज्यादा जवान 19-29 साल का मजदूर अनियमि मजदूरी करना ज्यादा पसंद करता है लेकिन उम्र बढ़ के साथ वे मजदूरी बटाईदारी जैसे तुलनात्मक रूप ज्यादा स्थायी तथा टिकाउ रोजगार पसंद करते पाटी ब्लॉक के जगदीश जामरे इसे समझाते हैं। जाम साक्षात्कार के समय गुजरात में 10 साल तक काम क चुके थे। उन्होंने बताया कि उनकी तरह कई लोगों पहले कुछ साल मौसमी खेत मजदूर के रूप में का किया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मजदूरों में भाग खे करने की रुचि बढ़ी। जगदीश खुद पिछले 8 सालों अमरेली में एक मालिक किसान के साथ भाग खे करते आ रहे हैं। उन्होने बताया कि कम समय की खे मजदूरी के काम में भाग खेती के वनिस्पत ज्यादा पै मिलता था। लेकिन इसके बावजूद लोग भाग खे करते हुए अपने बच्चे तथा परिवारों की देखभाल कर एवं उन्हें सुरक्षित रखने का मौका देता है, इसलिए भाग खेती के काम को ज्यादा पसंद करते हैं। जामरे विस्तार से बताया कि खेत मजदूरों को हर दिन अल

जमीन मालिक अक्सर मजदूरों पर उनके द्वारा काम के समय बच्चों की देखभाल करने के कारण जुर्माना लगाते है। किसी दिन बच्चे की देखभाल करने के कारण काम पर पहुँचने में देरी होने पर या बच्चे की बीमारी के कारण देर होने पर एक दिन का मजदूरी काट ली जाती है। लेकिन भागियाओं को एक ही खेत में एक जगह पर रहने का मौका मिलता है। भागिया के लिए अपनी पत्नी एवं बच्चों को गंतव्य में काम की जगह पर रखना संभव हो पाता है एवं उसके लिए खेत में काम करने के साथ अपने परिवार की देखभाल करना संभव होता है। भागिया पर काम के लिए किसी और का दवाब नहीं रहता। जगदीश ने बताया कि खेत मजदूर महीने में 9000-10000 रुपया कमा सकता है लेकिन भागिया के लिए इतना पैसा कमाना अपवाद है।

खेत मजदूरों का शैक्षणिक स्तर:

मजदूरों के साथ रोजगार चयन के बारे में चर्चा के समय मजदूरों ने बताया कि उनके पास तकनीकी कौशल नहीं रहने के कारण उन्हें कृषि क्षेत्र से ज्यादा कमाई होने वाले क्षेत्र में काम नहीं मिल सकता था। इसलिए उनके पास कृषि क्षेत्र में काम करने का विकल्प ही बचता है। अक्सर मजदूरों ने बताया कि शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा हासिल किया गया कौशल नहीं रहने के कारण उन्हें निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला। बहुतों ने बताया कि वे खेती करना जानते हैं एवं इसलिए उन्होंने रोजगार के लिए खेती पर भरोसा किया।

चर्चा एवं बातचीत के समय मजदूर एवं उसके परिवार वालों ने बताया कि शिक्षा की कमी के कारण उन्हें खेती के अलावा और कोई काम नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्हें कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। इसके लिए वे मजदूरों के स्कूली शिक्षा के अभाव को जिम्मेदार मानते हैं। ऊपर के टेबल में कृषि क्षेत्र में पलायन करने वाले मजदूरों में 81 प्रतिशत अनपढ़ हैं एवं 19 प्रतिशत ने सिर्फ प्राथमिक या उससे थोड़ा ऊपर तक पढ़ाई की है। इनमें 9 प्रतिशत को प्राथमिक, 5 प्रतिशत मिडिल एवं 5 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिली है।

Table 12: *Education among the Households*

Education	Number of Agricultural Labour	Percentage
Illiterate	567	81
Primary	65	9
Middle	34	5
Secondary	34	5
	700	100

चयनित परिवारों में जमीन का वितरण:

जमीन को ग्रामीण परिवारों के प्रमुख साधन होने की बात को बारबार दोहराया गया है। समूह चर्चा में वैकल्पिक रोजगार के अभाव के साथ जमीन नहीं होने या अपर्याप्त जमीन होने को पलायन की ओर धकेलने वाले प्रमुख कारणो में से एक कारण के रूप में चिन्हित किया गया है।

टेबल 13 में 90 प्रतिशत अनियमित खेत मजदूरों के पास एक एकड़ से कम जमीन होने की बात सामने आई है। 2.5 एकड़ तक जमीन को सीमांत जमीन कहा जाता है। इस हिसाब से 90

Table 13: *Distribution of Landholding of Agricultural Labour*

Size of Landholding (in Acres)	Casual Workers		Wage Sharecroppers	
	Number of Households	Percentage	Number of House-	Percentage
<1	85	21	35	12

प्रतिशत खेत मजदूर सीमांत किसान है।[6] सिर्फ 10 प्रतिशत परिवार के पास छोटी जमीन है।[7] 90 प्रतिशत परिवारों में सिर्फ 21 प्रतिशत के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। इतनी कम जमीन से पाँच सदस्य परिवार की न्यूनतम जरूरत भी पूरी नहीं होने की बात सामने आई। 69 परिवारों ने खेती के लिए कोई जमीन नहीं रहने की बात बताई।

अनियमित कृषि मजदूरों की तरह भागिया [परिवारों में भी 90 प्रतिशत सीमांत किसान हैं एवं 10 प्रतिशत परिवार को छोटे किसान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 35 भागिया परिवार के पास एक एकड़ से कम जमीन है। 191 परिवार (67 प्रतिशत) के पास 1-1.5 एकड़ जमीन है।

अनियमित खेत मजदूर एवं भागियाओं में जमीन वितरण की तुलना करने पर खेत मजदूरों के पास उनके गाँव में भागियाओं के वनिस्पत थोड़ा सी ज्यादा जमीन है (हालांकि यह अपर्याप्त है)। भागियाओं के पास और ज्यादा कम जमीन की जोत है। इसलिए कम जमीन होने के कारण भागियाओं को लंबे समय के लिए पलायन के लिए मजबूर होने का अनुमान लगाया जा सकता है एवं अनियमित मजदूरों की स्थिति इस मामले में थोड़ी बेहतर होने के कारण वे कम समय के लिए पलायन करते हैं। खेत मजदूर खाली मौसम में अक्सर अपनी जमीन पर काम करते हैं। कम जमीन या थोड़ी ज्यादा जमीन के साथ पलायन स्वरूप का अंतरसंबंध कई बार चर्चा में आया। बड़वानी में चर्चा के समय मजदूरों ने बताया कि सीमांत तथा अपर्याप्त जोत की जमीन पलायन के सबसे प्रमुख कारणो में है। अक्सर यह अपर्याप्त या सीमांत जमीन का मालिक पूरा परिवार होता है। इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का आकार घटता रहता है। सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने बताया कि पाँच सदस्यों के परिवार की खाद्य सुरक्षा तथा गुजर बसर को सुनिश्चित करने के लिए 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार

परिवार के साथ गंतव्य में पलायन :

मजदूरी बटाईदारी (भाग खेती) व्यवस्था भागिया परिवार के श्रम पर निर्भर है। खेत मजदू अकेला मजदूरों के श्रम पर निर्भर है। इसलिए य समझना आसान है कि परिवार के साथ पलायन कर वाले भागियों का प्रतिशत खेत मजदूरों से ज्यादा होग इसके अलावा गंतव्य में जमीन मालिक लंबे समय काम के लिए अक्सर बड़े प्रवासी मजदूर परिवारों साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस कारण उन्हें अतिरिक्त मजदूर को काम पर रखने क जरूरत नहीं होगी। टेबल 14 में भागिया के सा पलायन करने वाले 14 साल के उम्र से ज्यादा सदस्य की संख्या दी गई है।

भागिया परिवारों के कुल 986 सदस्यों भागिया के साथ गंतव्य में पलायन करने की बा बताई। कुल 280 परिवारों में से 30 प्रतिशत परिव चार सदस्यों के साथ, 26 प्रतिशत 3 सदस्यों के सा 24 प्रतिशत 2 या एक सदस्य के साथ भाग खेती कर के लिए पलायन किया। भागिया का कम लंबा सम

हैं, के साथ पलायन करते हैं। टेबल में दिखाया गया है कि 91 प्रतिशत परिवारों ने एक सदस्य से ज्यादा के साथ पलायन किया है।

सर्वे के लिए चयनित मजदूर परिवारों के सदस्य कम समय या ज्यादा समय के लिए कृषि मजदूर के रूप में गुजरात पलायन करते हैं। इन परिवारों का प्रारम्भिक खाका खीचने के बाद अगले अध्याय में गंतव्य में इन मजदूरों के काम करने की स्थिति, काम करने की शर्तों एवं काम करने के अनुभवों की बारीकियों को पाठक के साथ साझा किया जाएगा। यह अध्याय कृषि मजदूरों के प्रवास के समय उनके परिवारों की स्थिति पर केन्द्रित था। हम पलायन प्रवाह को जान चुके हैं, हमें पता है मजदूर किस जगह से किस जगह की ओर पलायन करते हैं, पलायन का कारण क्या है, मजदूरों के शैक्षणिक मजबूर या प्रेरित करने वाले कारणों को हम समझ सकते हैं। सर्वे के अगले चरण में मजदूर खुद काम का ढांचा, काम का बंदोबस्त, रहन-सहन की स्थिति, काम करने के अनुभव, कृषि मजदूरी से आर्थिक प्राप्ति, सरकारी सेवाओं तक पहुँच के बारे में उनकी राय को

Table 14: *Number of Family Members Accompanying Respondents*

Number of Family Members	Number of Households	Percentage
One member	26	9
Two members	42	15
Three members	72	26
Four members	85	30
Five members	33	12
Six members	13	5
More than six members	9	3
Total	280	100

अध्याय 6:

प्रवासी आदिवासी खेत मजदूरों के काम करने एवं रहन-सहन की स्थिति

इस अध्याय में हम कृषि मजदूरों के 357 परिवारों के विस्तृत सर्वे के निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे। इन परिवारों में 153 परिवार भाग खेती करने वाले भागियों का था एवं 204 परिवार अनियमित कृषि मजदूरों का था। दोनों तरह के कृषि मजदूर परिवारों के सर्वे के लिए अलग-अलग अनुसूची तैयार की गई थी। इसलिए सर्वे के निष्कर्षों पर दो हिस्सों में चर्चा की जायेगी। पहले भाग में भगिया के निष्कर्षों को विस्तृत किया जाएगा और दूसरे भाग में अनियमित व्यवस्था में भागिया एवं जमीन के मालिक के बीच समझौते के बारे में ठोस एवं

Table 15: *Geographic Distribution of Households Surveyed*

Tehsil Name	Block Name	No. of House-holds
Badwani	Badwani	
Bodeli	Chhota Udaipur	
Chhota Udaipur	Chhota Udaipur	

स्पष्ट समझ बनाने के लिए शोध टीम ने पलायन स्रोतों में भाग खेती करने वाले परिवारों के विस्तृत सर्वे करने का निर्णय लिया। पलायन स्रोत पर पारिवारिक सर्वे में लोग भाग खेती व्यवस्था के पहलुओं के बारे में विस्तार से बात कर सकते थे। शोध टीम ने गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पाँच जिलों के पलायन स्रोत के क्लस्टरों के 153 भागिया परिवारों का सर्वे किया। यह

मजदूर को रखने का खर्चा, फसल का रकवा, उत्पादन, फसल की बाजार कीमत, जमीन मालिक से लिया गया अग्रिम एवं साप्ताहिक भत्ता एवं भागिया की आमदनी पर जानकारी एवं समझ बनाई गई। इसी दौरान सरकारी सेवा तक भागियों की पहुँच एवं हिंसा के अनुभव के बारे में सवाल पूछे गये।

153 मजदूर बटाईदार (भागिया) परिवारों

Table 16: *Time Spent by Respondents as Wage Sharecroppers*

Time Spent as Bhag-kheti Workers	No of Households	No of Households (%)
1 year or less	14	9.15
2-5 years	100	65.36
6- 10 years	17	11.11
11- 15 years	14	9.15
More than 15 years	8	5.23
Total	153	100

Table 17: *Frequency of Migration for Wage Sharecroppers*

Frequency of Migration	No of House-holds	No of House-holds (Percentage)
Migrating for the first time as *bhagiya*	4	2.61
Migrated as *bhagiya* only when seasonal agricultural work was unavailable	11	7.19
Migrated every year	137	89.54
Migrated as per need	1	0.65
Total	153	100

किया है एवं वे एक साल या उससे कम समय से काम कर रहे थे।

एक साल या उससे कम समय भागिया के रूप में काम करने वाले 9 प्रतिशत परिवार अनियमित कृषि मजदूर के रूप में काम करना पसंद करते थे। भाग खेती में साल के लंबे समय तक स्थायी काम करने का अवसर होने के कारण वे पहली बार भाग खेती करने आए थे। यह काम उन्हें गाँव के लोग एवं रिश्तेदारों के संपर्क से मिली थी। उन्होंने बताया कि अनियमित खेत मजदूरी के काम में अनिश्चयता के कारण वे भागिया का

लेकिन परिवार की जरूरत के कारण भागिया का का करने आए हैं।

कुल भागिया परिवारों के लगभग दो-तिह परिवार 2-5 साल तक भागिया का काम किये हैं। इ परिवारों में से 11 परिवारों ने बताया कि उन परिवार एवं रिश्तेदार भागिया हैं, इसलिए वे भागि का काम करने आए थे। रिश्तेदारों एवं जान पहचान लोगों के द्वारा वे जमीन मालिक के संपर्क में आते इनमें से दो ने बताया कि भागिया के काम में आजा होने के कारण दूसरे कामों के वनिस्पत वे इ ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी क कि वे खुद जमीन मालिक के साथ संप किये थे। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 74 लो ने बताया कि वे मजदूरी बटाईदारी का का लंबे समय तक काम मिलने की निश्चयता कारण करना चाहते हैं। अक्सर वैकल्पि रोजगार की कमी एवं लंबे समय तक का कर पाने की निश्चयता के कारण ग्रामी आदिवासी को भाग खेती में खींच लाता (12 परिवारों ने अन्य विकल्पों के अभा एवं काम की लंबी अवधि को भाग खेती ओर धकेले जाने का कारण बताया , इनमें ने अन्य विकल्पों के नहीं रहने को भाग खे करने का कारण बताया)।

90 प्रतिशत परिवारों ने हर साल पलाय करने की बात कही। 7 प्रतिशत ने कहा कृषि मजदूर के रूप में काम नहीं मिलने स्थिति में वे भाग खेती करने के लि पलायन करेंगे।

टेबल 18 में मजदूरों द्वारा मजदू बटाईदारी करने के लिए मजबूर करने वाले कारणों प चर्चा की गई है। 60 प्रतिशत परिवारों ने रोजगार अन्य स्वरूपों के वनिस्पत मजदूरी बटाईदारी या भा खेती को लंबे समय तक काम मिलने की निश्चयता कारण तबज्जो दिया है। चर्चा के दौरान लोगों ने बता कि भाग खेती उन्हें लगातार काम खोजने के झंझट निजात दिलाने एवं साल के ज्यादा समय काम मिल की मानसिक निश्चयता दिलाता है जबकि अनियमि

Table 18: *Reasons Behind the Decision to Migrate and Work as Wage Sharecroppers*	
Reasons for Migration	**No of Households (Percentage)**
Due to length of the season (8-9 months)	60
Lack of other options of livelihood in the source	5
Because family members have been bhagiya	20
Because they liked bhag-kheti as work	2
Lack of any other skill	2
Other reasons: Because family members have been bhagiya, Lack of any other skills , Due to the length of the season	11
Total (n=153)	100

Table 19: *Agricultural Seasons for Which Migration is Undertaken*	
Agricultural Seasons of Cropping	**No of Respondents (Percentage)**
Kharif (July to October)	40
Rabi (October to March)	4.5
Zaid (March to June)	2
Kharif (July to October), Rabi (October to March)	38
Rabi (October to March) , Zaid (March to June)	3
Kharif (July to October), Zaid (March to June)	2
Kharif (July to October), Rabi (October to March), Zaid (March to June)	10.5
Total (n = 153)	100

18 परिवारों ने भाग खेती से जुड़े रहने के पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा अन्य काम के लिए कुशल नहीं होने एवं लंबे समय तक काम मिलने की निश्चयता को कारण बताया।

टेबल 19 में खेती के मौसम की लंबी अवधि के कारण लोगों का भाग खेती के लिए पलायन करने को ज्यादा तवज्जो देने का कारण बताया गया है। नीचे दिए गए टेबल से पता चलता है कि 40 प्रतिशत मजदूरी बटाईदारों ने खरीफ फसल के मौसम में पलायन किया है। 38 प्रतिशत परिवारों ने खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के मौसम (8-9 महीना) के लिए पलायन किया हैं। 16 परिवारों (10.5 प्रतिशत) ने तीनों मौसम के लिए पलायन किया है एवं इन परिवारों ने अपने मूल निवास पर मार्च-अप्रैल महीने में जब रबी फसल की कटाई हो चुकी है एवं इन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है, सिर्फ 2-3 सप्ताह के लिए लौटे। ये परिवार ज़ैद की अगली फसल चक्र शुरू होने से पहले फिर पलायन करेंगे।

टेबल 16 एवं ऊपर दिये गये चित्र 1 के अनुसार अधिकांश परिवार खरीफ फसल की खेती करते हैं। इनमें 110 परिवार कपास फाइबर की खेती करते हैं। इसके बाद 29 परिवार बादाम की खेती करते हैं। इसके अलावा लोगों ने खरीफ के मौसम में छोला, जीरा, डूंगरी, फूल, मूँगफली, आलू, तिल, तुअर एवं

Figure 1: ***Distribution of Workers as per the Season of Migration***

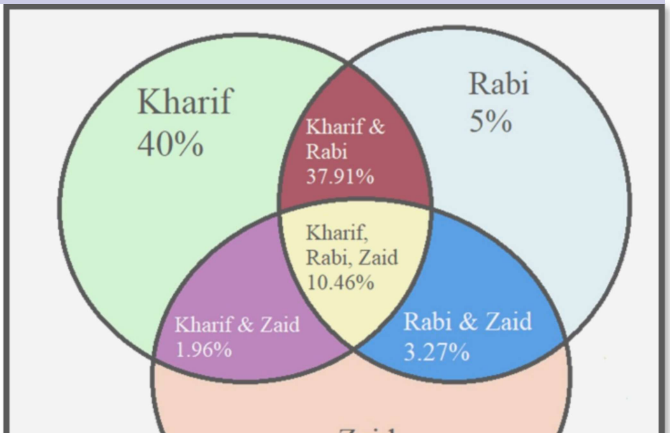

Table 20: *Modes of Recruitment Used by the Households to Find Work*		
Modes of Recruitment	**No of Households**	**No of Households (Percentage)**
Found work while performing casual labour	7	4.48
Contractors	2	1.3
Solely through the network of fellow village-men	12	8
Solely through the network of relatives	40	26
Relatives and contractors	4	3
Relatives and fellow village-men	88	57.52
Total	**153**	100

Figure 2: *Networks Used by the Respondents to Find Work as Bhagiya*

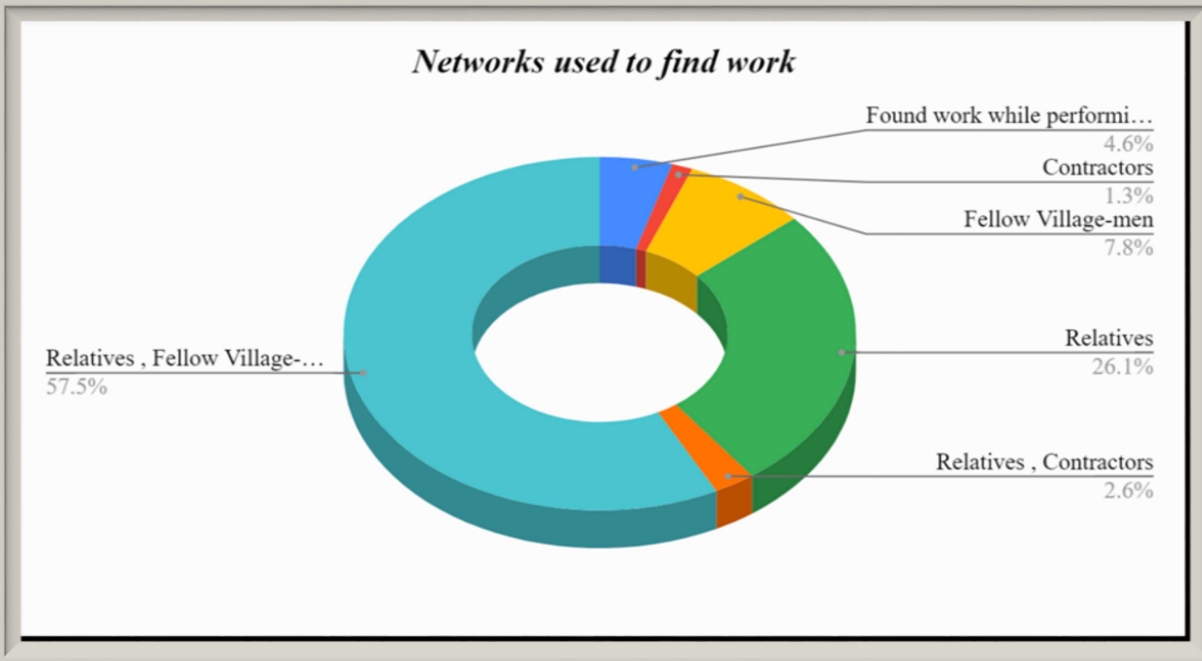

नातेदारी के संपर्क जाल से होकर गुजरती है। यह पारिवारिक नेटवर्क जमीन मालिकों को संभावित मजदूरी बटाईदारों के संपर्क में ले आता है एवं खेती के व्यस्त मौसम के लिए अनियमित खेत मजदूरों की पूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त गाँव के लोगों का नेटवर्क मजदूरों को काम खोजने में मदद करता है। पाठकों को टेबल 20 से मजदूरी बटाईदारी का काम मिलने के जरिए के बारे में पता चल सकता है। 57.5 प्रतिशत परिवारों ने पूरे राज्य में काम खोजने के लिए रिश्तेदारों एवं गाँव के लोगों के नेटवर्क का उपयोग

के बाद वे उनसे मुख्य रूप से उत्पाद में उन
(भागिया) हिस्सा एवं अग्रिम भुगतान की राशि
लेकर बात करते हैं। भागिया परिवारों ने बताया कि
काम के अनुभव से जानते हैं कि गुजरात के अलग-अल
क्षेत्र में भागिया व्यवस्था में भिन्नता है। उदाहरण
लिए सभी जानते हैं कि सौराष्ट्र के सभी जिलों
भागियाओं को सभी मौसम में उत्पाद का एक चौ
हिस्सा मिलता है जबकि कच्छ में जमीन मालि
भागिया को उत्पाद का एक तिहाई हिस्सा देते
उत्तरी एवं मध्य गुजरात में सिर्फ पांचवें हिस्से का ए

वहाँ भागियाओं को उत्पाद का सबसे कम हिस्सा मिलता है। कच्छ में पलायन करने के लिए भागिया को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसे वहाँ सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। अध्ययन टीम को एक गाँव में अलग-अलग हिस्सा देने के बारे में पता चला। शोध टीम द्वारा एक इलाके में भागिया को मिलने वाले हिस्सा में अंतर के बारे में पूछने पर बताया गया कि जमीन मालिक फसल का मौसम शुरू होने से पहले भागिया को काम पर नियुक्त नहीं कर पाता है तो उसे बाद में नियुक्त किये गये भागिया को ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ आलू में भागिया को छठा हिस्सा का एक हिस्सा दिया जाता है क्योंकि दूसरे फसलों की वनिस्पत आलू में कम शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है

भागिया किस जमीन मालिक के साथ काम करेगा यह उसे संभावित जमीन मालिक से मिलने वाले अग्रिम से तय होता है। काम करने के निर्धारित समय से पहले अग्रिम के रूप में उधार मिलने की व्यवस्था के कारण मजदूरी बटाईदारी व्यवस्था को पसंदीदा रोजगार तरीका बनाता है। शोध टीम के उत्तर-दाताओं के साथ बातचीत से यह स्पष्ट हो गया। भागिया जरूरत के समय उधार लेकर पूरे साल काम करके उसे चुका

Table 21: *Variations in the Share of the Produce Received*

Variations	No of Households (Percentage)
One- third	4
One- fourth	89
One- fifth	6
One-sixth	2
Total (n=153)	**100**

सकता है। परिवारों का भागिया के रूप में लंबे समय तक काम करने का अवसर देने के लिये लोग भाग खेती को कम समय के लिये खेत मजदूर के रूप में काम करने

अंत में अगर भागिया के पास कुछ नहीं बचता है एवं फसल खराब होने या फसल की कम कीमत मिलने के कारण उस पर कर्जा हो जाता है तो भी उसे काम मिलता रहेगा। उसके मालिक द्वारा मिला अग्रिम परिवार के लिये एक तरह की सुरक्षा है। संजेली (दाहोद) के अरविंदभाई का परिवार उनके साथ नहीं था। उन्होंने समझाया कि भागिया काम के लिये महीनों घर से दूर रहता है। लेकिन वह अग्रिम का एक हिस्सा परिवार के गुजारे के लिये छोड़ जाता है। परिवार वाले इस पैसे से गुजारे लायक खेती करते है एवं घर का खर्चा चलता है। दवाई-डॉक्टर पर खर्च, सामाजिक एवं सामुदायिक आयोजनों पर खर्च एवं घर की मरम्मत जैसे खर्चों में अग्रिम का उपयोग किया जाता है। कुछ समय पहले तक भागिया अग्रिम के पैसे का उपयोग पहले वाले जमीन मालिक का कर्ज चुकाने के लिये करता था। अरविंदभाई ने उनके गाँव के एक भागिया के बारे में बताया जो कर्ज के दुष्चक्र में फंस गया था। एक जमीन मालिक का पुराना कर्जा चुकाने एवं अगले साल फसल का नुकसान होने के कारण कर्जा नहीं चुका पा रहा था। ऐसी स्थिति में वह आदमी परिवार के साथ कर्जा चुकाने के लिये वर्षों जमीन मालिक के साथ काम करने के लिये

Figure 3: *No. of Respondents who had taken an Advance*

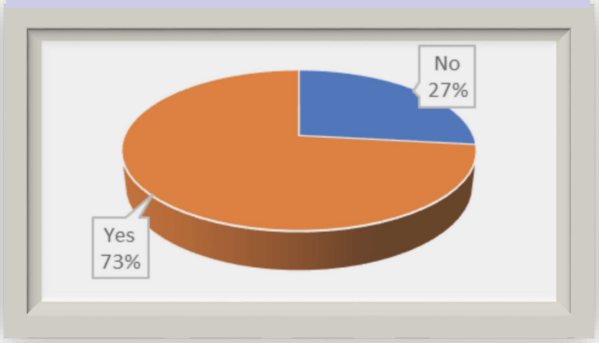

मजबूर हुआ। अग्रिम लेने के फायदे के साथ उसके दुष्परिणामों को देखते हुए कुछ भागिया उधार नहीं लेते हैं। चयनित परिवारों में 27 प्रतिशत परिवारों ने पिछले

रोजाना खर्चा के लिये किया जाता है।

भागियाओं की नजर में संविदा के दौरान अग्रिम पगहे (बांधने का रस्सी) का काम करता है एवं उसकी इसी खासियत के कारण उसे अन्य रोजगार के वनिस्पत ज्यादा पसंद किया जाता है।

भागिया एवं जमीन मालिक का संबंध: सर्वे

Table 22: *Distribution of the Advance Amount*

Amount of Advance Taken	No of Respondents	No of Respondents (Percentage)
Less than 10,000	5	4
10,000-25,000	89	80
25,000-50,000	9	8
50,000-75,000	7	6.4
75,000-1,00,000	1	0.8
More than 1,00,000	1	0.8
Total	112	100

से पता चलता है कि 40 प्रतिशत भागियाओं का जमीन मालिक के साथ कोई लिखित समझौता नहीं है। परिवारों ने बताया कि काम के दौरान पूरे साल वे लेनदेन का हिसाब नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश से पलायन करने वाले 95 परिवारों (62 प्रतिशत) ने डायरी में लेनदेन का हिसाब रखने की बात कही, लेकिन डायरी में सिर्फ जमीन मालिक का लिखा ही मिला। आंकड़ो से पता चलता है कि लेनदेन का हिसाब रखने के लिए भागिया जमीन मालिक पर निर्भर हैं। इस लेनदेन के हिसाब के मामले में भागिया के ऊपर जमीन मालिक का पूरा नियंत्रण दिखता है एवं इस पर सब कुछ उसकी मर्जी से होता है।

आदिवासी प्रवासी बटाईदार एवं जमीन मालिक के बीच सामाजिक-आर्थिक गतिकी में निहित सत्ता खेडुत को भागिया को शोषण करने का अवसर देता है। यह सामाजिक-आर्थिक संरचना जमीन मालिक को किसी तरह की जवाबदेही से बचाता है एवं उसे

जरूरत के समय आर्थिक मदद एवं सहयोग सिर्फ खेड़ु
से मिलता है। फसल बेचने में भागियाओं की भागीदा
के बारे में पूछे गये सवालों के जवाब में भागि
परिवार जमीन मालिक पर उसकी निर्भरता की बा
कहता रहा। 108 भागियाओं ने मालिक के साथ फस
बेचने के लिए जाने की बात कही, लेकिन इसमें उन
भूमिका सिर्फ माल लादने एवं उतारने की रहती
फसल बेचने के पूरे लेनदेन में भागिया की कोई भूमि
नहीं रहती एवं उस समय वह उपस्थित भी नहीं रहत
किसान के घर पर फसल खरीदने के लिए व्यापारी
आने पर (4 उत्तर-दाताओं ने ऐसा होने की रिपोर्ट क
भी फसल की कीमत को लेकर मोलतोल की चर्चा
भागिया को नहीं बुलाया जाता। एक उत्तर-दाता
कहा कि इस चर्चा में उसे बुलाये जाने पर भी व
व्यापारी तथा किसान के बीच स्थानीय भाषा में
रही बातचीत नहीं समझने के कारण हिस्सा नहीं
सकता। 37 भागिया परिवार ने बताया कि खेडुत
उन्हें फसल बेचने के काम में किसी तरह से भागीद
नहीं बनाया। तीन परिवारों ने बताया कि लेनदेन
भागिया की भागीदारी खेडुत के स्वभाव पर निर्भर
इसलिए कुछ अवसर पर खेडुत ने खुद इन भागि
परिवारों को फसल बेचने के समय उपस्थित रहने
लिए कहा।

छोटा-उदयपुर के जोज के परवतभाई नाई
पिछले 15 साल से सौराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्र में भा
खेती करते आ रहे हैं। उनके साथ विस्तार से की ग
चर्चा से खेडुत का भागिया पर नियंत्रण एवं सत्ता
बारे में साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। उन्हो
मालिक किसान एवं भागिया के समझौते में किसा
(खेडुत) का पलड़ा भारी रहने का कारण स्पष्ट किय
खेडुत एवं भागिया की जाति में अंतर, खेडुत
स्थानीय होना एवं भागिया के बाहरी होने एवं खेड़ु
के आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं भागिया के गरीब होने
कारणों से खेडुत का पलड़ा हमेशा भारी होता है ए
वह सभी तरह की ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेही से मु
रहता है। उन्होंने अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा
समझौता सिर्फ खेती करने को लेकर किया जाता
लेकिन सभी जानते हैं कि भागिया एवं उसके परिव

एक तरह की नहीं है लेकिन अधिकांश भागिया इन कामों को करने के लिये तैयार रहते हैं। मैपिंग के समय 62 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होंने पिछले साल खेडुत एवं उसके परिवार के लिये कुछ अतिरिक्त काम किया है एवं 38 प्रतिशत ने बताया कि पिछले साल खेडुत ने उनसे खेती के अलावा और कोई काम करने के लिये नहीं कहा।

खेडुत एवं भागिया के सत्ता-समीकरण में अंतर्निहित असमानता के कारण कई बार खेडुत हिसाब में गड़बड़ करके भागिया का कुछ हिस्सा हड़प लेता है एवं कई बार तो वह भागिया का पूरा हिस्सा हजम कर जाता है। । हालांकि कुछ भागिया परिवारों ने उनके रिश्तेदारों या परिचित लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होने की बात कही लेकिन 6 भागिया

Table 23: *Additional Tasks Performed by the Bhagiyas*

Type of Work	No of Respondents (Percentage)
No additional work	38
Only tending to animals	30
All kinds of work: household work, fetching water, tending to animals, cleaning/weeding the fields	32
Total	100

Table 24: *Daily Wages of Bhagiyas in 2019*

Daily Wages Earned Bhagiyas	No. of Respondents	No. of Respondents (Percentage)
Less than Rs. 75	64	70.33
Rs. 75- 100	11	12.09
Rs. 100- 150	10	10.99
Rs. 150- 178	4	4.40
More than Rs. 178	2	2.20
Total	91	100

चर्चा की है। आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों में साक्षरता का न्यूनतम स्तर के कारण बहुत सारे भागिया परिवार सभी फसलों से उनकी कुल आमदनी का पता लगाने के लिये जरूरी तथ्य नहीं दे पाये। इसके बावजूद अध्ययन टीम ने भागियाओं की कुल आमदनी का अनुमान लगाने के लिये गंतव्य में काम किये गये दिनों की संख्या, भागिया के साथ काम करने के लिये गये परिवार के सदस्यों की संख्या, हर फसल से आमदनी, भागिया द्वारा मजदूरी पर किए गए खर्चों के बारे में जानकारी जुटाई। कुल आय को भागिया के साथ काम करने गए परिवार की सदस्य संख्या से एवं खेत में काम किये गये दिनों की संख्या से भाग किया गया। इस तरह से भागिया का एक दिन की मजदूरी का पता चला। इसे नीचे दिये गये टेबल 24 में दिखाया गया है। भागियाओं को मिलने वाली मजदूरी को खेती के लिये गुजरात सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए से तुलना की जाती है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसे चित्र 4 में दिखाया गया है। दो भागिया को छोड़कर सभी भागिया मजदूरों को 178 रुपए से कम मजदूरी मिल रही थी। इन सभी को गुजरात में कृषि क्षेत्र के लिये घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिल रही थी।

Figure 4: ***Daily Wage Earned by the Bhagiya Workers Against the Minimum Agricultural Wages in Gujarat***

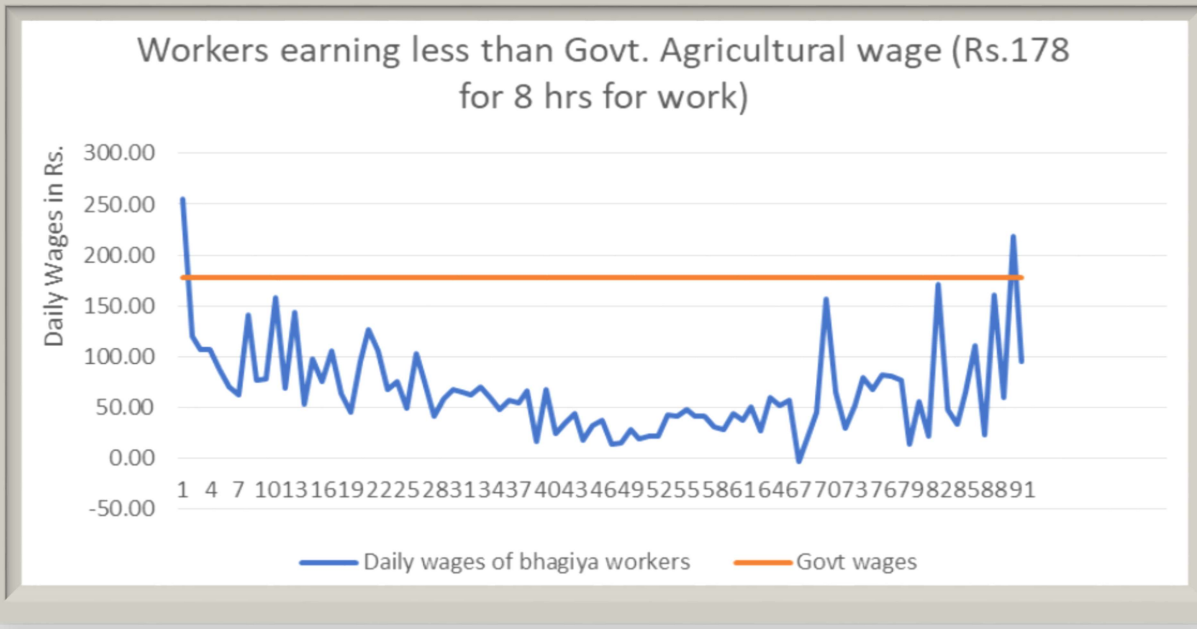

मजदूरों का ओवरटाइम का पैसा जोड़ने (न्यूनतम मजदूरी कानून,1948) पर इन्हें कम से कम 267 रुपए दिहाड़ी मिलनी चाहिए थी।

बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच: सर्वे के समय एवं फील्ड का दौरा करते समय अध्ययन टीम ने भागिया परिवारों को अक्सर खेत में सिंचाई के लिये बनाये गये बोरवेल के लिये ढांचा के पास रहते हुए देखा। चित्र 5 दिखाता है कि 114 परिवार कच्चे या अस्थायी ढांचा में रहते हैं। शेष भागिया परिवार अनाज का भंडारण या खेती के उपकरणो को रखने के लिये बनाये गये पक्के ढांचा में रहते हैं, इनके लिये इन ढांचों में आधे-खुले थोड़ी सी जगह पर भागिया परिवार रहते हैं।

सभी परिवारों ने पीने का पानी मिलने की बात कही। आम तौर पर भागिया परिवार बोरवेल के नजदीक रहते हैं। इस कारण से 83 प्रतिशत परिवा को बिजली मिलती है। 103 परिवारों को पीने क पानी एवं दूसरे कामों के लिए उपयोग में लेने वा पानी एवं बिजली मिलती है।

उत्तर-दाताओं ने बताया कि खेत में का करने के समय बीमार होने पर या चोट लगने पर खेड़ मदद करता है। 86 भागिया ने खेडुत द्वारा मदद कर के बारे में बताया। लेकिन भागिया के इलाज के लि खेडुत का पैसा खर्चा होने पर वह उसे बाद में भागि के हिस्से से काट लेता है। 67 भागिया परिवार ने का करने के समय चोटिल होने पर खेडुत द्वारा किसी तर की मदद नहीं करने की बात कही।

भागिया को ज्यादा से ज्यादा घंटे काम कर पड़ते हैं, इसलिए बीमार होने पर वह सरकारी स्वास्थ सेवा का उपयोग नहीं कर पाता। 135 भागि

Figure 5: ***Typology of Housing for the Bhagiyas***

Table 25: *Basic Amenities Available to the Bhagiyas*		
Basic Amenities	**No of Respondents**	**No of Respondents (Percentage)**
Drinking water	153	100
Electricity	128	83
Toilet	10	6.5
Water for other uses	114	74.30
Firewood available	2	1.20

परिवारों ने निजी डॉक्टर/निजी सेवा का उपयोग करने की बात कही। 18 परिवारों ने बीमार होने पर सरकारी डिस्पेन्सरी जाने की बात कही। 126 भागिया परिवारों ने गंतव्य पर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा नहीं मिलने की बात बताई। भागिया परिवार गाँव से दूर खेत के पास रहते हैं, आशा कर्मचारी उनके रहने की की बात बताई। 19 परिवारों ने अपने छोटे बच्चों को अपने मूलनिवास पर छोड़ आने या उनके परिवार के सदस्यों की इस सुविधा की जरूरत नहीं होने की बात कही।

भागियाओं एवं उनके परिवारों पर हिंसा: अध्ययन के लिए सर्वे एवं गंतव्य तथा स्रोत में समूह में चर्चा के दौरान भागिया तथा खेत मजदूरों पर गाली-गलौज, शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ की बहुत सारी घटनाओं का पता चला। यह चर्चा एवं सर्वे जूनागढ़, अमरेली एवं गोंडल जैसे गंतव्य पर एवं दाहोद तथा छोटा-उदयपुर जैसे स्रोत पर किए गये थे। बहुत सारे उत्तर-दाताओं ने खेडुत या जमीन मालिक (सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण ये अपनी ताकत तथा प्रभाव का उपयोग करते हैं) द्वारा उनकी (भागिया या खेत मजदूर) सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा का लाभ उठाकर उन्हें शारीरिक हिंसा एवं शोषण का शिकार बनाने की रिपोर्ट की। भागिया तथा खेत मजदूरों की असुरक्षित स्थिति उनके बाहरी एवं आदिवासी होने के कारण और बढ़ जाती है।

भागिया तथा खेत मजदूरों के साथ बातचीत से पता चला कि उनके बारे में जमीन मालिकों का आक्रामक, मौज-मस्ती करने वाला एवं असंवेदनशील होने की रूढ़िबद्ध धारणा रखने के कारण उनके ऊपर हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा खेडुत की जातिय-वर्गीय पृष्ठभूमि उसे सुरक्षा देती है एवं उसे स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है। इससे खेडुत को मजदूरों पर हिंसा करने एवं विषेश रूप से महिला प्रवासी मजदूरों का यौन उत्पीड़न करने का हौसला

मजदूरों को उन गांवों में एवं आसपास के गांवों में काम करने नहीं दिया जाता है जहां वे खेडुत की हिंसा या जुल्म का शिकार होते हैं। 81 प्रतिशत उत्तर-दाताओं ने हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट की लेकिन सिर्फ 15 परिवार हिंसा की घटनाओं को साझा करने के लिए तैयार थे।

बातचीत में सभी भागिया परिवारों का खेडुत की ज़मीनों पर रहने के बारे में पता चला। यह जमीन गाँव में लोगों के रहने की जगह से दूर होती है। इस तरह से भागिया अन्य भागिया परिवार तथा गाँव के अन्य गाँव वालों से अलग-थलग एकांत में रहता है। खेडुत एवं उसके परिवार किसी भी समय काम की देख -रेख के बहाने भागिया परिवार की कुटिया पर आ जाता है। खेडुत को भागिया की दिनचर्या का पता रहता है, इसलिए यौन शिकारी या यौन प्रताड़ना करने वाला खेडुत अक्सर भागिया को किसी काम के बहाने देर रात के समय या अजीब समय पर घर के बाहर भेज देता है एवं उसकी गैर-मौजूदगी में महिला के घर पर अकेले रहने के समय आ जाता है। उत्तर-दाताओं ने बताया कि भागिया औरतें अक्सर अपने पति एवं परिवार की सुरक्षा को लेकर डरी-सहमी रहने के कारण खेडुत के बर्ताव को परिवार को नहीं बताती हैं। वे पति को किसी दूसरे खेडुत के लिये काम करने के लिये कहती हैं। कुछ घटनाओं में महिला जब अपने परिवार को घटना के बारे में बताती है तो परिवार सामाजिक बदनामी एवं अपमान के डर के कारण घटना को छुपाने की कोशिश करता है। चर्चा में खेडुत द्वारा यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को उसके पति को मारने, उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करने या छोटे बच्चों का नुकसान पहुँचाने की धमकी देने की बात सामने आई। यह पीड़िताओं को घटना के बारे में बताने से हतोत्साहित करता है। इन चर्चाओं से भागिया तथा उनके परिवारों पर हिंसा एवं विशेष रूप से महिलाओं पर यौन हिंसा के संदर्भ में निराशाजनक तस्वीर उभर कर आती है। सामाजिक बंदिश एवं अपमान के अलावा पीड़िता के परिवारों को धमकी एवं उत्पीड़क को राजनीतिक संरक्षण के कारण से इन घटनाओं पर पर्दा

सुनीता[8] के साथ एफजीडी– (2019 अगस्त की रिपोर्टिंग)। टीम सुलेखा (42) ए सुनीता (22) से वादी में मिला। वे दोनों व पर 2017 से भागिया के बतौर काम क रहीं थी। सुलेखा अपने पति एवं तीनों ब के साथ उसी गाँव में पिछले 12 साल काम कर रही थी। सुनीता एवं उस परिवार उसी किसान के साथ पिछले 5 सा से काम कर रहा था।

हिंसा एवं यौन उत्पीड़न पर च के दौरान दोनों महिलाओं ने बताया कि घटनाओं के बारे में परिवार के लोगों तक स्रोत (अपने गाँव) में सामाजिक बहिष्क तथा सामाजिक अपमान के डर के कार नहीं बताया जाता है। गंतव्य में खेडुत राजनीतिक साख के कारण घटना बाहर आ पर पीड़िता के परिवार को उस गाँव त आसपास के गावों में 'झंझट' करने' इल्जाम में काम नहीं दिया जाता है। सुनी ने उन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताय इनमें सुलेखा के साथ होने वाली घटना शामिल है। सुलेखा 6 महीने पहले यौ उत्पीड़न का शिकार हुई थी जब उसके गाँ के एक दूसरे किसान ने उसके साथ छेड़छा की। सुलेखा ने बताया की भोर में 4 बजे खेत में शौच करने गयी थी एवं वापसी

करता रहा। सुलेखा ने उसे पत्थर से मारने की धमकी दी एवं भागकर अपना पिंड छुड़ाया। उसने पति को घटना के बारे में बताया एवं इसके बारे में उसके मालिक को बताने पर जोर दिया। पति ने कहा कि उस आदमी के दोबारा ऐसा करने पर मालिक को शिकायत करेगा। सुलेखा एवं सुनीता ने बताया कि पतियों एवं परिवार वालों की इस तरह की प्रतिक्रियाओं के कारण वे इन घटनाओं के बारे में परिवार को बताने में भी हिचकती हैं। यौन हिंसा, छेड़खानी एवं उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को पहले अपने परिवार को खुद के बेकसूर होने के बारे में सहमत करने के आघात को सहना पड़ता है। खुद को बचाने एवं सही साबित करने की को वह बेहतर समझती हैं।

रूपाखेड़ा, फतेहपुरा, पीड़िता एवं उसके परिवार के बारे में जानकारी को साझा नहीं किया गया (मार्च , 2020 में रिपोर्ट की गयी)।

प्रारम्भिक फील्ड अध्ययन के समय उत्तर-दाताओं ने एक घटना साझा की जिससे महिला भागिया मजदूरों के लिये काम करने एवं रहने की असुरक्षित स्थिति का पता चलता है। इस घटना की रिपोर्ट करने वाली महिला दाहोद जिले के रूपाखेड़ा की हैं एवं उनका बेटा पिछले दो सालों से अमरेली के सावरकुंडला में भागिया मजदूर है। महिला ने बताया कि महिलाओं पर उत्पीड़न एवं यौन हिंसा की बहुत सारी घटना होते रहती

होने वाले खतरे के अंदेशा के कारण इन घटनाओं को नहीं बताती। ऊपर से प्रवासी मजदूर उत्पीड़क खेडुत या उसके रिश्तेदार या अन्य खेडुत की ताकत के आगे कहीं नहीं टिक सकता क्योंकि वे पूरी ताकत से उत्पीड़क को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पीड़क के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही शुरू करना लगभग असंभव है। घटना उत्पीड़क के गांवों में होती है एवं स्थानीय पुलिस या गाँव की पंचायत पीड़ित को किसी तरह से मदद एवं समर्थन नहीं करता। इसके कारण जघन्य अपराध के बावजूद पीड़ित तथा उसके परिवार को रिपोर्ट नहीं करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। कुछ घटनाओं में जहां पीड़ित तथा उसका परिवार हिम्मत के साथ घटना को लेकर कार्यवाही शुरू करता है वहाँ पुलिस का उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार एवं आरोपी के प्रति सहानुभूति एवं उसके साथ साँठगांठ के कारण वह किसी तरह की कार्यवाही नहीं करता। इससे पीड़ित परिवार का मनोबल कमजोर होता है।

ऐसी एक घटना के बारे प्रांरभिक शोध के समय में हमें बताया गया। घटना जनवरी 2020 की है। घटना में जामनगर में काम करने वाले भागिया मजदूर की कम उम्र की साली का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है। घटना की रिपोर्टिंग करने वाले ने पीड़ित के परिवार एवं उनके घर के बारे में बताने में हिचक रहे थे। इस घटना ने भागिया मजदूरों को परेशान किया था लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ था। पीड़िता शाम के समय जब अपनी बहन एवं जीजा को खेत में खाना देने के लिये गयी तो खेडुत एवं उसके दो रिश्तेदारों ने लड़की को अगवा कर लिया। खेडुत को लड़की तथा उसके परिवार की दिनचर्या का पता था। उन्होंने लड़की को बोरवेल रखने वाले कमरे में बलात्कार किया। पीड़िता के इस घटना की रिपोर्ट करने की धमकी देने पर बलात्कारियों ने उसका गला बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी है। परिव
किसी भी तरह से एफआइआर दर्ज करा पाया लेकि
उन्हें पटेल तथा उनके परिवारों की धमकी के डर
गाँव छोड़कर भागना पड़ा। परिवार को काम छोड़
पड़ा एवं किए गये काम की मजदूरी से भी हाथ धो
पड़ा एवं उन्होंने वापस उस गाँव में कभी नहीं आने
निर्णय किया। इस घटना का व्यौरा देने वाले ने क
कि भागिया के लिये बचकर भागना उसकी स्वाय
की हद है। प्रवासी आदिवासी परिवारों को न्यायि
प्रक्रिया द्वारा इंसाफ मिलने पर कोई भरोसा नहीं
उनकी आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षा उन्हें ग
आघात के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लि
मजबूर करता है न कि न्याय के लिये उत्पीड़क
खिलाफ मुकदमा दर्ज करना।

छोटा उदयपुर, राजीव एवं सुरे
(सितंबर 2020 में रिपोर्ट किया गया)

भागिया तथा खेत मजदूरों के स्
क्लस्टरों में चर्चा जारी रही। चर्चा में भा
लेने वालों ने भागियाओं, उनके परिवार त
खेत मजदूरों पर खेडुत तथा उसके परिवा
द्वारा कि गई हिंसाओं के अलग-अल
स्वरूपों पर बात की। लेकिन उनके ऊपर हु
हिंसा का अनुभव साझा करने के लिये क
तैयार नहीं हुआ। इसके बाद राजीव ए
सुरेश भागिया के रूप में काम करने
अनुभव साझा करने के लिये आगे आ
उन्होने सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा के कार
उनके तथा उनके परिवार को जिस तकलीफ़
एवं आतंक से गुजरना पड़ा उसके बारे
बताया। उनकी सामाजिक–आर्थिक असुरक्ष
उन्हें लाचार बनाती है एवं उनके ऊपर जु
करने वाले खेडुत एवं उनके परिवार इस
फायदा उठाते हैं।

राजीव एवं सुरेश दोनों तीस साल की उ
के हैं एवं दोनों दूसरी पीढ़ी के भागिया हैं। दोनों
भागिया तथा उनके परिवारों पर क्रूर हिंसा को झेला
एवं यह उनकी अपनी जिंदगी का अनुभव है। उन्हो
बताया कि 4-5 साल पहले उन्होंने भाग खेती का का

काम करते समय अत्याचार का शिकार होने की घटना की रिपोर्ट की। राजीव ने बताया कि हर रोज गली-गलोज करने के साथ जब खेडुत ने उसे पीटा एवं खेत की निराई करने के लिए बैल के साथ हल ढोने के लिए मजबूर किया तो उसे गाँव छोड़ना पड़ा। उसने बताया कि कच्छ में काम करने के चौथे महीने में कपास निराई के लिए तैयार हो गया था एवं खेडुत ने बारिश से पहले निराई करने के लिए कहा। निराई का काम बैल द्वारा खींचे गया हल खपेडु से होना था। लेकिन एक बैल के घायल हो जाने पर खेडुत ने राजीव को बैल की जगह लेने के लिए मजबूर किया। राजीव की मिन्नतों के बावजूद खेडुत गली-गलोज करने के साथ साथ उसे बैल को मारने वाले छड़ी से पीटता रहा एवं 8 घंटे तक उससे काम करवाता रहा। राजीव ने उसी दिन वह गाँव छोड़ने एवं भागिया का काम नहीं करने का फैसला किया। राजीव ने बताया कि उसने अपने माता-पिता को अमानवीय एवं दयनीय हालत में भागिया का काम करते हुए देखा है एवं प्रवासी गाँव छोड़ना पड़ा क्योंकि अन्य भागिया अक्सर खेडुत को किसी के भागने की शिकायत कर देते हैं। भागने की कोशिश में पकड़े जाने का मतलब और ज्यादा ज्यादती का शिकार होना। हिंसा एवं उत्पीड़न का शिकार होने वाले परिवार रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से अक्सर अपने सामान एवं महीनों तक किये गए कठोर मेहनत के लिए अपने मजदूरी का हिस्सा लिए बगैर भाग जाते हैं।

सुरेश एवं राजीव ने विस्तार से बताया कि किस तरह गाली-गलोज के रूप में कि गई हिंसा को भागिया परिवार ने सामान्य एवं स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार कर लिया। भागिया परिवारों के लिए यह कोई हिंसा भी नहीं है एवं इसलिए इसकी कोई शिकायत या रिपोर्टिंग नहीं होती। बहुत सारे आदिवासी परिवार बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की घटनाओं को भी पुलिस का शत्रुतामूलक रुख के कारण रिपोर्ट नहीं करते। दूसरा उन्हें हमेशा रोजगार से निकाले जाने की धमकी मिलती है। ज्यादती के खिलाफ शिकायत करने वाले आदिवासी

पीड़ित को दोषी मान लेने की मानसिकता का सामना करना पड़ता है तो गंतव्य में शिकायत या रिपोर्ट करने वाले भागिया को कोई किसान अपने साथ काम पर रखना नहीं चाहता। इसके अलावा बहुत सारी घटनाओं में जुल्म करने वाले खेडुत पीड़ित भागिया परिवार पर चोरी की रिपोर्ट लिखाने की धमकी देता है।

इसके अलावा बहुत सारी घटनाओं में जुल्म करने वाले खेडुत पीड़ित भागिया परिवार पर चोरी का रिपोर्ट लिखाने की धमकी देता है। इसके ऊपर खेडुत की राजनीतिक पहुँच एवं स्थानीय प्रशासन का समर्थन पीड़ित एवं उसके परिवार की पीड़ा को और बढ़ाता है। पीड़ित को शिकायत वापस लेनी पड़ती है या उसे परिवार के साथ अपने सामान, मजदूरी , उत्पाद का हिस्सा एवं गरिमा छोड़कर भागना पड़ता है।

.

खेत मजदूरों पर निष्कर्ष:

इस भाग में कृषि क्षेत्र में अनियमित मजदूर के रूप में काम करने वाले 204 परिवारों के सर्वे का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह 204 परिवार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के सटे हुए आदिवासी क्षेत्र के 5 जिलों के 9 ब्लॉक के रहने वाले हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अनियमित मजदूरी करने के लिए गुजरात में पलायन किया।

कृषि काम का स्वरूप चक्रीय होने के कारण पिछले साल की सूचना इकट्ठा की गई। यह कोविड-19 के कारण की गई तालाबंदी के पहले किये गये पलायन का आंकड़ा है।

काम करने की स्थिति: अनुसूची में सबसे पह पिछले मौसम में मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस् द्वारा पलायन अवधि की जानकारी ली गई है। टेबल 27 अनुसार 26 प्रतिशत मजदूर 30 से 45 दिन, 22 प्रतिश मजदूर 90 से 105 दिन एवं 13 प्रतिशत मजदूरों 75-9 दिन के लिए पलायन किया था।

मैपिंग के समय इन राज्यों से मजदूरों ने कपा संग्रह ,मूँगफली संग्रह ,धान की बुवाई ,सोयाबीन की कटा ,गेंहू कटाई एवं गन्ना कटाई के काम के लिये पलायन कि था। सर्वे का काम खरीफ फसल की कटाई के बाद शु हुआ। इसमें रबी फसल के मौसम के कामों को शामिल नह किया जा सका। टेबल 28 एवं चित्र 6 में पिछले बार पलायन में उनके द्वारा किए गए अलग-अलग तरह कामों को प्रस्तुत किया गया है। टेबल के अनुसार 4 प्रतिशत मजदूरों ने कपास के काम के लिये पलायन कि था। यह काम श्रम प्रधान है जिसमें मजदूरों के ज्यादा घ काम करने की जरूरत होती है। गंतव्य में मजदूरों के सा बातचीत से पता चलता है कि अनियमित मजदूरों पलायन का पैटर्न इस तरह का है कि एक गाँव में मजदू का जत्था काम पर पहुँचने के बाद वे कई सारे जमी मालिकों की खेत में कटाई करते हैं। इसलिए कपास संग्र का काम करने के लिये पलायन करने वाले मजदूरों क गंतव्य में 75-90 दिन तक रहना पड़ता है।

अक्सर कपास की कटाई एवं मूँगफली की कट का मौसम एक के बाद बगैर किसी अंतराल में

Table 26: ***Distribution of Workers Across the Source Blocks***

No. of Workers Mapped from Various Blocks	Name of the District	No. of Respondents (Percentage)
Badwani	Badwani	87
Bodeli	Chhota Udaipur	10
Chhota Udaipur	Chhota Udaipur	10
Fatehpura	Dahod	3
Pati	Badwani	21

Table 27: ***Number of Da Worked by the Respond***

No. of days Worked	No. o spond (Percen
0-30 days	
30-45 days	
45-60 days	
60-75 days	
75-90 days	
90-105 days	
105-120 days	

Table 28: *Types of Work Performed in the Last Season of Migration*	
Type of Work in the Last Time Respondent Migrated	**No. of Respondents (Percentage)**
Cotton Picking	47
Groundnut Harvesting	45
Wheat Harvesting	3
Others (Paddy Sowing, Soyabean Harvesting, Sugarcane Harvesting)	5

Figure 6: *Types of Work performed by the Respondents*

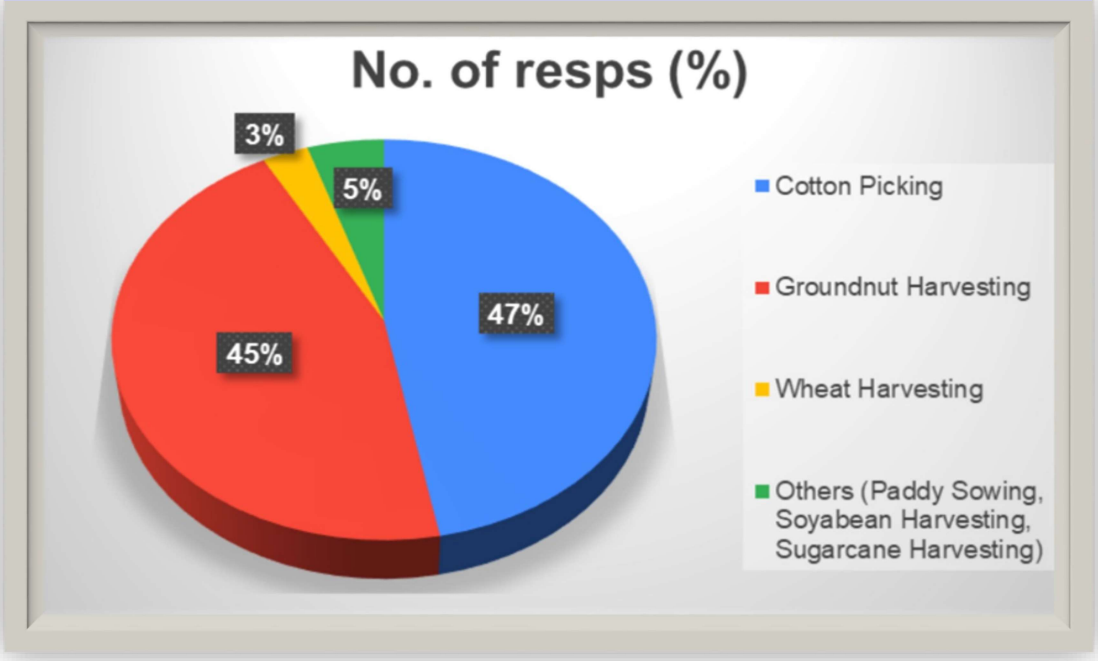

आता है। इसलिए मजदूर कपास का काम करने के बाद मूँगफली कटाई का काम करना चाहते हैं। कमलाबेन नाइका एक दशक से ज्यादा समय अनियमित कृषि मजदूर के रूप में काम करती आ रही हैं। शोध टीम उनसे बोदेली में मिली थी। उन्होंने बताया कि दोनों फसल की कटाई का समय बगैर किसी अंतराल के होने के कारण मजदूर 90-100 दिन काम कर पाते हैं। यह मजदूरों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार पलायन करना पड़ता है एवं लगातार 2-3 महीने काम करने का मौका मिलता है। इससे वे साल भर के लिए गुजर बसर का इंतजाम कर सकते हैं।

सुखीबेन नाइका ने अनियमित कृषि मजदूर के रूप में पलायन किया है। उनका कहना है कि कपास एवं मूँगफली कटाई करने वाले मजदूरों को इस कारण से ज्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं। कम समय में दो फसल साथ मोलतोल करता है। टेबल में कृषि मजदूरों के दिन के काम के घंटे दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मजदूर (चयनित मजदूरों में यह 68 प्रतिशत हैं) एवं शहदा के मजदूर मिलकर कुल मजदूरों का 82 प्रतिशत है। इन दोनों क्षेत्र के मजदूरों ने दिन में 8 घंटे काम किया, 14 प्रतिशत मजदूरों ने दिन में 8-12 घंटे काम काम किया लेकिन 4 प्रतिशत मजदूरों (सभी मजदूर दाहोद के थे) को 12 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया गया था। हमारे सहयोगी संगठन विचारधारा फ़ाउंडेशन ने नंदुरबार के शहदा ब्लॉक के असूस में महिला खेत मजदूरों के साथ समूह में चर्चा की। इस चर्चा में महिलाओं ने बताया कि वे भोर में 4 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा के सबेरे 7 बजे काम करने के लिए निकलती थी एवं शाम 7 बजे तक काम करती थी। 7 बजे के बाद घर के मर्द लकड़ी एवं ग्रोसरी लाने के लिए जाते थे एवं महिला खाना बनाने

Figure 7: *No. of Hours Spent working by the Casual Workers*

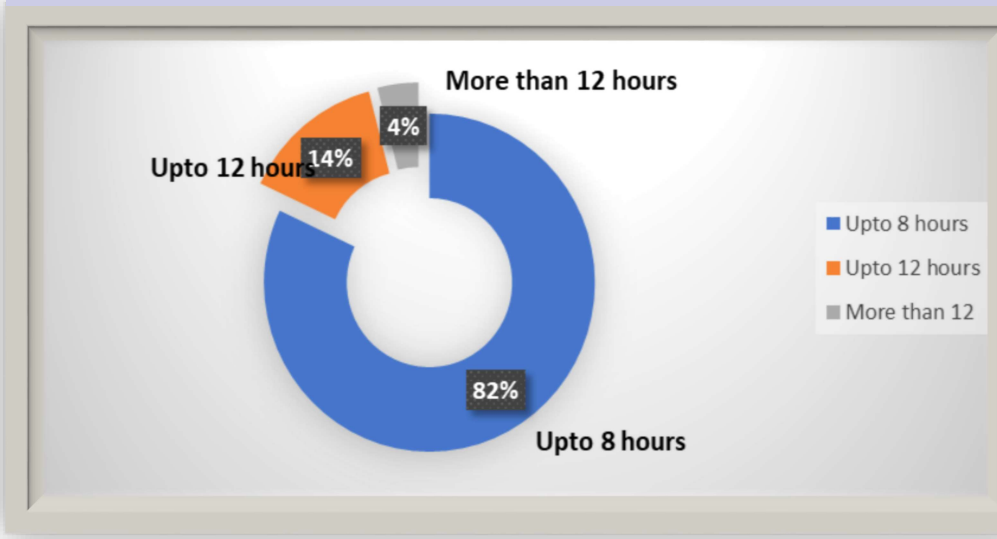

Table 29: *Wages Received by the Respondents*

Wages Received (Rs.)	No of Respondents (Percentage)
150- 200	3
200-250	61
250-300	21
300-350	13.70
More than 350	2.3

Figure 8: *Type of Accommodation Reported by the Casual Workers*

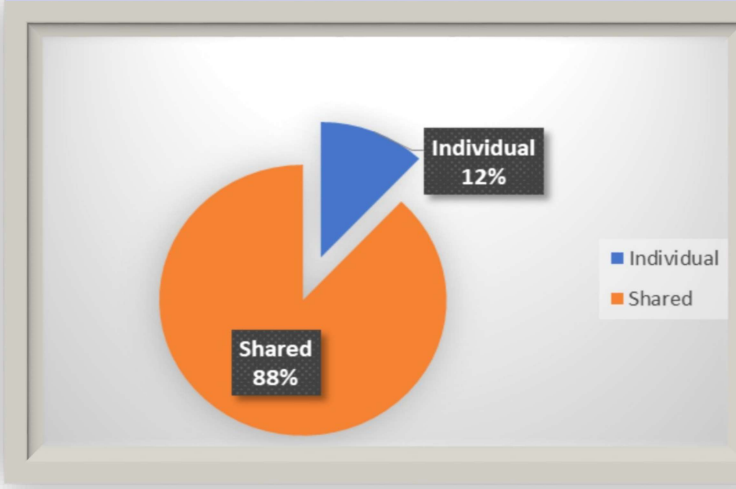

दिखाया गया है। इसके आंकड़ों के अनुसार 61 प्रतिशत उत्तर-दाताओं को 200-250 रुपए दिहाड़ी मिली जबकि 21 प्रतिशत को 250-300 रुपए दिहाड़ी दी गई। दाहोद के मजदूरों ने बातचीत में बताया कि उन्हें एक समय गेंहू कटाई के लिए 300 रुपए दिहाड़ी, मूँगफली के लिए 400 रुपए दिहाड़ी एवं 20 किलो कपास के एवज में 100 रुपए मिलते थे। कपास के व्यस्त सीजन में उत्तर-दाताओं ने 1 क्विंटल कपास के एवज में 500 रुपए दिहाड़ी मिलने की बात बताई। बड़वानी एवं दाहोद के मजदूरों को कपास, मूँगफली एवं धान की बुवाई के 8 घंटे काम के लिए 250 रुपए मिले। बड़वानी के मजदूरों ने बताया कि उन्हें कपास एवं गेंहू कटाई के लिए 11-12 घंटा काम करने पर 300 रुपया मिलते थे।

रहन-सहन की स्थिति : कम समय के लिए पलायन करने के कारण अनियमित कृषि मजदूर अक्सर गाँव के बाहर कैंप में रहते हैं। चित्र 8 में दिखाया गया कि 88 प्रतिशत मजदूर खुले में साथ में रहते हैं। 12 प्रतिशत

सुविधाओं से वंचित होते हैं। मजदूरों ने बताया कि वे गाँ के सार्वजनिक नल से पीने का पानी लेते हैं लेकिन दूस कामों के लिए जरूरी पानी दूर से लाना पड़ता है। लक भी बाहर से लानी पड़ती है। खुले कैंप में रहने के कार मजदूरों को बिजली नहीं मिलती। मजदूर फोन चार्ज कर के लिये नजदीक जगह पर जाते हैं।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: मजदूरों ने बताया कि कम समय के लिए पलायन के कारण बच्चे एवं गर्भव महिलाओं को अक्सर वे साथ नहीं लाते हैं। लेकि मजदूरों के साथ गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली म को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिलता। मजदूर पूरा दि खेत में काम करते हैं एवं एएनएम एवं आशा कार्यक गाँव के बाहर बहुत कम आती हैं। लंबे एवं थका देने वा काम के साथ बच्चों की देख-भाल करना बहुत मुश्कि

सरकारी डिस्पेन्सरी बंद रहने पर ही वे निजी डिस्पेन्सरी में जाते हैं। मजदूरों के काम के लंबे घंटे एवं सरकारी डिस्पेन्सरी के खुलने के समय में सामंजस्य नहीं रहने के कारण मजदूरों को मजबूरी में निजी डिस्पेन्सरी जाना पड़ता है। 56 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि काम के समय किसी दुर्घटना होने या बीमार होने पर जमीन मालिक या ठेकेदार मजदूरों को आर्थिक मदद करता है। लेकिन 44 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि बीमारी एवं दुर्घटना होने पर उन्हें खुद अपना इंतजाम करना पड़ता है।

काम के बारे में विचार: मजदूरों से रोजगार के लिये कृषि क्षेत्र में अनियमित मजदूरी को चुनने के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि भाग खेती के बनिस्बत खेत मजूरी में जोखिम कम रहता है एवं उन्हें वापस कम समय के अंतराल में घर आने का अवसर मिलता है। संझेली, फतेहपुरा, बोदेली एवं छोटा उदयपुर में मिलने वाले मजदूरों ने बताया कि दिहाड़ी मजदूर होने के कारण उन्हें मजदूरी मिलने की निश्चयता है। खेती का हर सीजन समाप्त होने पर उन्हें मजदूरी मिल जाती है लेकिन भागिया को अपना हिस्सा मिलने में पूरा एक साल लगता है। 95 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि मजदूरी भुगतान नहीं करने की कोई घटना उन्होंने नहीं देखी।

बोदेली की कमलाबेन ने बताया की उन्हें अक्सर भागिया परिवार के सदस्यों पर हिंसा की खबर मिलती है, खासकर महिलाओं पर अत्याचार की खबर। कमलाबेन ने बताया कि भागिया व्यवस्था में भागिया खेडत पर पूरी

Table 30: *Violent Incidents Reported by the Respondents*

Kind of Violence Faced	No. of Respondents
None faced	151
Verbal abuse	49
Pressurised to work and verbal abuse	3
Physical abuse	1
	206

महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न सामान्य घटना बन गई है, खेत मजूर महिलाएं को इस तरह का खतरा कम है। पहले भाग में बताया गया कि भागिया मजदूर अपने समुदाय में अपमानित एवं कलंकित होने के डर एवं जमीन मालिकों द्वारा उन्हें काम पर रखने से इंकार करने के डर से यौन हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट नहीं करती। कमलाबेन ने बताया कि वे हिंसा का शिकार नहीं बनी हैं लेकिन खेत मजदूरों के साथ ऐसा होने का उदाहरण है। टेबल 30 के अनुसार 74 प्रतिशत मजदूरों ने किसी तरह की हिंसा नहीं होने की बात कही लेकिन 53 मजदूरों ने जमीन मालिक द्वारा हिंसा करने की पुष्टि की। मजदूरों ने जमीन मालिक द्वारा गली-गलौज, जाति–सूचक गाली दी एवं ज्यादा घंटे काम करने का दवाब बनाया एवं एक घटना में मारपीट की गई। इसके बावजूद खेत मजदूरी की व्यवस्था में

अध्याय 7 :

समापन टिप्पणी

यह अध्ययन कृषि में ग्रामीण क्षेत्र से पलायन की उभरती जमीनी वास्तविकता का परिणाम मानता है। बहुत सारे सामाजिक-आर्थिक कारकों ने आदिवासी समुदाय को रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने के लिये मजबूर किया है। इन स्थितियों में पूरे गुजरात के कृषि क्षेत्र में पलायन आदिवासी समुदाय के गुजर बसर करने का अभिन्न उपाय बन चुका है। अपर्याप्त कृषि जमीन, संसाधन का अभाव, जलवायु परिवर्तन, वैकल्पिक टिकाउ रोजगार की कमी एवं तकनीकी कुशलता की कमी (तकनीकी कुशलता होने से आदिवासी समुदाय औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्र में रोजगार के लिये जा सकते थे) जैसे करणों से आदिवासी समुदाय के छोटे एवं सीमांत किसानों को गुजरात के विस्तृत इलाकों के कृषि क्षेत्र में मौसमी इलाकों में पलायन की परिघटना विकास के अंतर्भा एवं परिधि के अंतर्विरोध के बरकरार रहने को दिखा

गुजरात एवं सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पिछले तीन

बनाया जहां संभावनाओं का अंबार लगा हुआ है,

आर्थिक क्षेत्र में काम आने वाले कौशल की कमी है। इसलिए राज्य के सिर्फ कुछ इलाकों में अवसर पैदा करने एवं राज्य में आदिवासी बहुल इलाके को नजरंदाज करने की नीतियाँ आदिवासी क्षेत्र में कृषि कार्यबल की आरक्षित सेना को जन्म दिया है।

भाग खेती की व्यवस्था बड़ी जमीन के मालिक वर्ग को आदिवासी प्रवासी मजदूरों की आरक्षित सेना के बदौलत सस्ता कृषि मजदूर मुहैया करने की संभावना पैदा करता है। इसे भाग खेती व्यवस्था एवं आदिवासी समाज का नातेदारी नेटवर्क सुगम करता है। यह नेटवर्क निरंतर कृषि मजदूर की पूर्ति को सुनिश्चित करता है। प्रवासी मजदूर कम मजदूरी पर ज्यादा घंटे काम करने के लिये तैयार थे। जमीन मालिकों ने स्थानीय मजदूरों की जगह तुलनात्मक रूप से सस्ता, दब्बू एवं आज्ञाकारी प्रवासी मजदूरों को काम पर रखना शुरू किया। प्रवासी मजदूर 200-250 रुपया की मजदूरी पर ज्यादा से ज्यादा

उन्हें हमेशा जमीन मालिक पर आश्रित रखता है। मैपि
समूह में चर्चा एवं निर्देशित संवादो में उत्तर-दाताओं
हमेशा बारबार सभी मामलों में जमीन मालिक
निरंकुश एवं निर्विवाद अधिकार होने की बात पर ज़
देते हैं। इसमें मजदूर के लिये संवाद एवं मोलतोल क
का कोई अवसर नहीं होता। परिवार की अनुसूची
भागिया का भाग –खेती से आमदनी का अनुमान लग
के लिए सवाल पूछने पर बताया गया कि हिसाब माल
रखते हैं एवं हिसाब का फैसला भी वही करते हैं। ब
सारे भागियाओं ने बताया कि उन्हें मालिक के हिसाब
भरोसा है एवं उन्हें मालिक जो भी देगा वह मंजूर होगा

यह सवाल लाजिम है कि आखिर भागिया
खेडुत को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने से क्या रोक
है? बहुत सारे मजदूरों ने बताया कि खेडुत के खिला
मजदूर खेडुत के राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थि
हैसियत एवं मजदूरों का अपने समुदाय तथा स्थानी

सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी से लैस है। इसके कारण उसके खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करना सचमुच कठिन है। मजदूरों ने बताया कि खेडुत के खिलाफ पुलिस तथा पंचायत में शिकायत करने पर उसे न्याय नहीं मिलता। खेडुत के भागिया के साथ गाली-गलौज एवं हिंसा करने पर भागिया उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की जगह वहाँ से भाग जाने में अपनी भलाई देखता है क्योंकि वह जमीन मालिक की राजनीतिक ताकत को जानता है।

दूसरा कृषि मजदूर एवं विशेष रूप से भागिया का एकांत एवं अलगाव में रहना उसके लिये प्रतिकूल स्थिति पैदा करता है। खेत मजदूर एवं विशेष रूप से बटाईदार मजदूर (भागिया) अक्सर गाँव में बसत से दूरी पर अकेला अपने परिवार के साथ रहता है। भागिया को खेत में रहना पड़ता है एवं खेत मजदूरों को गाँव की परिधि से बाहर चारागाह की जमीन पर कैंप लगाकर

अध्ययन क्षेत्र में दौरा करने के समय हमें जमीन मालिक एवं स्थानीय मजदूरों से प्रवासी कृषि मजदूरों के बारे में कई तरह की नाकारात्मक बातें सुनने को मिली। जमीन मालिक एवं स्थानीय मजदूर दोनों की नजर में प्रवासी मजदूर आलसी एवं आत्मसंतुष्ट समुदाय के हैं एवं इन्होंने अपने मूलनिवास की भीषण वंचना से बचने के लिये राज्य के आर्थिक रूप से विकसित एवं सम्पन्न क्षेत्र में पलायन किया है। इस तरह की बातचीतों से जमीन मालिकों का प्रवासी भागियाओं के प्रति नफरत की बदबू सामने आती है। मालिकों की नजर में प्रवासी भागिया बाहर से आ कर उनके खेतों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। मजदूरों एवं जमीन मालिकों के साथ बातचीत में दोनों वर्गो के बीच संबंधो की गतिकी में तीव्र असमानता झलकती है। गोंडल के भोजपुरा (राजकोट जिला) में जमीन मालिकों के साथ समूह चर्चा में उन्होने भागिया एवं खेत मजदूरों को 'चोर' कहा जो उनकी संपति

बताया था कि भागिया एवं खेत मजदूर यहाँ से बहुत बड़ी रकम लेकर अपने गाँव लौटे एवं अपनी संपत्ति बढ़ाई। जमीन मालिकों द्वारा फैलाई गई इस तरह की कहानियों से आदिवासी प्रवासी मजदूरों के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिला। शोध टीम को जूनागढ़ के हड़मटिया गाँव के कभी कृषि मजदूरी का काम करने वाले स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। रामजीभाई ने बताया कि स्थानीय समुदाय के मन में प्रवासी मजदूरों के प्रति खटास है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों के कारण जमीन मालिक स्थानीय मजदूरों को काम पर नहीं रखते क्योंकि प्रवासी मजदूर बगैर किसी तरह का विरोध किये कम मजदूरी पर ज्यादा घंटे काम करने के लिये तैयार रहते हैं। गंतव्य में सघन मैपिंग का काम करना संभव नहीं था, इसलिए शोध टीम ने प्रवासी कृषि मजदूरों एवं उनकी स्थिति के बारे में स्थानीय लोगों की सोच को समझने के लिये समूह में चर्चा एवं निर्देशित बातचीत का सहारा लिया। मालिया, अमरेली, जूनागढ़ एवं राजकोट में किए गए समूह में चर्चा से गंतव्य के राजनीतिक अर्थशास्त्र में मजदूरों की स्थिति एवं उनकी हैसियत के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि मिली। इन चर्चाओं से आदिवासियों को हाशिये पर धकेलने एवं उनकी इस स्थिति को भागिया व्यवस्था द्वारा बनाये रखने के सामाजिक आयामों के परत-दर परत खुलते जाते हैं। बटाईदार मजदूर एवं अनियमित मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक तानेबाने में शुरू से हाशिये पर रखा गया है एवं आज भी वे उसी तरह की वंचना या उससे कहीं ज्यादा वंचना का शिकार हो रहे हैं।

ऊपर की चर्चा भाग खेती व्यवस्था के सत्ता समीकरण का झुकाव पूरे गुजरात में भूस्वामियों के पक्ष में होने की पुष्टि करता है। यह व्यवस्था खेडुत को सभी तरह की ज़िम्मेदारी एवं जवावदेही से मुक्त करता है एवं सिर्फ मुनाफा बटोरने का अवसर देता है। दोनों पक्षों के बीच संबंध का असंतुलन अक्सर खेडुत को फ़रेव करने एवं भागिया को ठगने का मौका देता है। भागिया अपनी किस्मत को खेडुत के हाथ में सौंप कर उसे निरंतर प्रताड़ित करने का साधन मुहैया कराता है। इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि नवउदारवाद के शोषण के तरीके को

कृषि मजदूर अपने को :

- खेडुतों द्वारा प्रवासी कृषि मजदूरों के खिलाफ फैलाए गए जातिय पूर्वाग्रहों के कारण स्थानीय प्रताड़ित मजदूर वर्ग से अलगाव महसूस करता है।
- भूस्वामी वर्ग की राजनीतिक एवं स्थानीय ताकत के कारण कोई संस्थान खेडुत को जवाबदेह नहीं बनायेगा।
- गंतव्य में अलग-अलग जगह बिखरे हुए (भागिया के लिए सच है) आदिवासी समुदाय में एक दूसरे के प्रति समर्थन का अभाव
- काम करने की बहुत ही खराब स्थिति में ज्यादा घंटे

अध्ययन आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों की असुरक्षा एवं वंचना को बरकरार रखने वाली ढांचागत स्थिति को सामने लाता है। इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी है कि शोषण को बरकरार रखने वाली व्यवस्था के तहत काम करने के लिए मजदूर हर साल क्यों पलायन करते हैं। इस तरह का अनुसंधान सिर्फ प्रश्नावली एवं अनुसूची के द्वारा किया नहीं जा सकता इसलिए समूह में चर्चा, कुछ हद तक संरचित साक्षात्कार एवं निर्देशित संवाद जैसे गुणात्मक पद्धति को अपनाया गया। इनके द्वारा शोध टीम को मजदूरों द्वारा श्रम स्थितियों के

की जगह चुनने के पीछे दो कारण बताया

- स्वायत्तता की भावना
- खेती करने के अलावा और किसी तरह के काम में कुशल[10] नहीं होना।

छोटा उदयपुर के बोदेली के राजीव एवं सुरेश[11] के साथ चर्चा में उन्होंने बताया कि "भाग-खेती" नाम से एक तरह की साझेदारी का अहसास होता है। ऐसा लगता है कि प्रवासी कृषि मजदूर जमीन मालिक के साथ मिलकर आर्थिक उद्यम में काम करेंगे। राजीव[12] ने

है। इस व्यवस्था में भागिया पूरे साल फसल के एक छोटे से हिस्से के लिये मेहनत करता है एवं जमीन मालिक आदिवासी प्रवासी मजदूर एवं उसके परिवार की कठोर मेहनत का फल हड़प लेता है। दोनों ने बताया कि शोषण के इस व्यवस्था को दशकों से पुख्ता किया गया है। ऊपर से भागिया की भूमिका हितधारक जैसी लगती है लेकिन वास्तव में वह लंबे समय के लिये अनुबंधित कृषि मजदूर है। भागिया दिहाड़ी पर काम करने वाले अनियमित कृषि मजदूरों की तुलना में कम मजदूरी पर काम करता है। अनियमित कृषि मजदूर एक पहले से तय किए गए निश्चित घंटे काम करता है, भागिया को अपने परिवार के साथ दिन -रात काम करते हुए देखा जाता है। भागिया के साथ परिवार का पलायन होने के कारण बच्चों को अक्सर माता-पिता के साथ खेत में काम करते हुए देखा जाता है। बहुत कम भागिया परिवार अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला पाते हैं। इन लोगों ने बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की दयनीय हालत के बारे में बताया।[13]

साझेदारी का झांसा देकर जमीन मालिक अक्सर जोखिम एवं उत्तर-दायित्व को भागिया को हस्तांतरित कर देता है जबकि फसल का एक छोटा हिस्सा भागिया को मिलता है। इसके ऊपर फसल खराब होने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित क्षतिपूर्ति की रकम अक्सर जमीन मालिक को मिलती है। यह रकम भागिया को

साझेदारी का आलंकारिक प्रयोग द्वारा भागि को सभी तरह की ज्यादती सहने के लिये मजबूर कि जाता है। इस 'साझेदारी' के नाम पर भागिया बगैर कि छुट्टी के दिन में 15-18 घंटा काम करता है। साझेदारी आलंकारिक प्रयोग खेडुत के सभी मनमानी मांग को जाय ठहराता है। भाग खेती व्यवस्था में भागिया खुद अप समुदाय के मजदूरों के शोषण का कारण बनता है एवं व खुद इस शोषण व्यवस्था का विस्तार करने वाला बन जा है। भागिया को मजदूरी संबन्धित सभी खर्चे का बो उठाना पड़ता है। इसलिए कम से कम मजदूरी में ज्यादा ज्यादा समय काम करने के लिये तैयार मजदूरों की निरंत पूर्ति भागिया के हित में है एवं इसे अंजाम देने के लिये व अपने गाँव या नजदीक के गाँव के मजदूरों को काम प रखता है। इस तरह से जमीन मालिक भागिया के माध्य से अपने खेती के लिये सस्ते मजदूर की पूर्ति को सुनिश्चि करता है। काम करने की स्थिति के बारे में चर्चा करने समय खेत मजदूरों ने जमीन मालिक द्वारा उनसे ज्या समय काम लेने के लिये दवाब डालने एवं तय की ग मजदूरी से कम मजदूरी देने का उदाहरण दिया।[14] य नातेदारी एवं रिश्तेदारों का नेटवर्क जमीन मालिक के लि शोषण का उपकरण बन जाता है जिसके उपयोग से व सस्ता एवं दब्बू खेत मजदूरों को अपने खेत में काम करने लिये रखता है।

मजदूर परिवारों को छोड़कर सभी गुजरात सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम कमा रहे थे। गुजरात सरकार की घोषित न्यूनतम मजदूरी 8 घंटे काम के लिये 178 रुपए है। यह न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे कम न्यूनतम मज़दूरियों में से एक है। हमने ये भी देखा कि 250-300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले अनियमित मजदूर 12 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से 8 घंटे काम के लिये इन्हें 167 रुपया मिलते हैं। यह मजदूरी घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम है।

अध्ययन से आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूर गाली-गलौज, मारपीट, यौन उत्पीड़न के साथ आर्थिक उत्पीड़न का शिकार होने की पुष्टि होती है। साथ ही मजदूर के रूप में उनके अधिकारों एवं नागरिक के रूप में सरकारी सेवा का पात्र होने के अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है।

कृषि मजदूरों से संबन्धित कानूनों को देखने पर आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों के लिये परिभाषित कानूनी प्रावधान एवं उनके सरकारी योजनाओं के पात्रता का अधिकार पर कोई कानून नहीं है। लेकिन अलग-अलग कानूनों के कुछ हिस्से प्रवासी कृषि मजदूरों के लिये

- न्यूनतम मजदूरी कानून,1948– कुछ तरह के रोजगार में न्यूनतम मजदूरी तय करने लिये बनाया गया कानून।
- अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर कानून (रोजगार एवं सेवा की शर्त का विनियमन), 1979: यह कानून अंतर-राज्य प्रवासी मजदूरों के रोजगार का विनियमन करने एवं उनके काम की सेवा शर्त एवं उनसे संबन्धित विषय (सिर्फ अंतर-राज्य पलायन करने वाले कृषि मजदूरों पर लागू होता है)।
- बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) कानून, 1976। कमजोर तबके के लोगों का आर्थिक एवं दैहिक शोषण रोकने एवं उससे संबन्धित बंधुआ मजदूरी व्यवस्था खतम करने के लिये बनाया गया कानून
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन कानून, 2015: इस कानून में गैर -अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जनजाति लोगों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किये गये कामों को अपराध माना गया है। संशोधित कानून ने कुछ मौजूदा श्रेणी में संशोधन किया है एवं कुछ नए श्रेणी के कामों को

1. इस कानून में अपराध की श्रेणी में शामिल किये गये काम: (क) चप्पल की माला पहनाना, (ख) मानव या जानवरों के शवों को निपटाने या ले जाने के लिए बाध्य करना, या मैनुअल स्कैवेंजिंग करना, (ग) सार्वजनिक रूप से जाति के नाम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को गाली देना, (घ) SC / ST के खिलाफ भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करना या किसी उच्च सम्मानित मृत व्यक्ति का अपमान करना, (ड़) सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार को थोपना या थोपने की धमकी देना।
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर यौन हमला करना या उनके यौन शोषण करने को इस कानून के तहत अपराध माना गया है। संशोधित कानून इसके साथ जोड़ता है (क) एससी एवं एसटी महिला को उनकी सहमति के बिना जानबूझकर यौनिक रूप से छूना, या यौनिक स्वरूप के शब्द, काम, इशारा या (ख) किसी मंदिर को एससी एवं एसटी महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित या इस तरह के किसी व्यवहार को अपराध समझा जायेगा। सहमति मौखिक या अनकहे संचार के द्वारा स्वैच्छिक समझौते के रूप में

हैं।

- असुरक्षा का दुरुपयोग करना
- छल
- अलगाव
- आने-जाने पर प्रतिबन्ध
- शारीरिक एवं यौन हिंसा
- धमकी देना
- मजदूरी रोक लेना
- ऋण बंधन
- काम करने एवं रहने की अपमानजनक स्थिति
- अत्यधिक ओवरटाइम

एक मापक को छोड़कर बंधुआ मजदूरी के सभी सूच
भागिया मजदूरों पर लागू होते हैं। जबकि खेत-मजदूर के लि
ये सभी सूचक लागू होते है:

- अलगाव
- असुरक्षा का दुरुपयोग करना
- छल
- आने-जाने पर प्रतिबन्ध

इस तरह से फूटलूज़ आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूर नए तरह की बंधुआ दशा से तुलनीय स्थिति में काम करते हैं। ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भाग खेती की व्यवस्था एवं कृषि मजदूर 21 वीं सदी में पूंजीवादी उत्पादन विधि में नए बंधुआ दशा के बरकरार रहने का प्रमुख उदाहरण है। सामंती युग में मजदूर अपने मालिक के साथ ऋण या प्रथागत व्यवहार के द्वारा लंबे समय के लिये बंधा हुआ था। नई व्यवस्था में कोई एक मालिक नहीं है। लेकिन मजदूर बंधुआ स्थिति में कर्ज के बोझ तले दबकर काम कर रहा है।

पश्चिमी भारत में कृषि मजदूरों के लिये समर्थन समूह बनाना : अध्ययन के निष्कर्ष मजदूरों के लिये एक मंच बनाने के महत्वपूर्ण काम की जरूरत को दिखाता है। इस मंच का उपयोग गंतव्य में मजदूर संकट के समय करेंगे। भाग खेती एवं अनियमित कृषि मजदूरी न सिर्फ किसी तरह के श्रम कानून की अनुपस्थिति का आधार बन गया है बल्कि यह मानव अधिकार उल्लंघन के उदहरणों से भरा हुआ है। समर्थन समूह का नेटवर्क मजदूरों को अपनी अलगाव की समस्या का समाधान करने में मदद करेगा, वह उनके अधिकारों से वंचित रखने,उन्हें मजदूरी का भुगतान कराने एवं उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की समस्याओं का हल करने में मददगार होगा। समर्थन नेटवर्क भाग खेती एवं अनियमित कृषि मजदूरी में मजदूरों पर हो रही ज्यादती को रोकने का एक कदम हो सकता है।

इसके लिये गुजरात, मध्य प्रदेशएवं महाराष्ट्र के जमीनी संगठन सीएलआरए के साथ मंच बनाने के लिये एक साथ आए हैं। इन संगठनों का इन क्षेत्रों में एवं पलायन गंतव्यों में पकड़ है। इस तरह के मंच की जरूरत शोध टीम उत्तर-दाताओं के साथ चर्चा एवं बातचीत शुरू किया एवं लोगों ने गुजरात में पलायन करने वाले कृषि मजदूरों के दुर्दशा तथा उनके ऊपर हो रहे ज़्यादतियों के बारे में विस्तार से बताया। हमारे टीम के सामने ऐसी घटनाएँ आयी जहां जमीन मालिक ने उचित तरह से हिसाब करने से मना कर दिया एवं मजदूर को मजदूरी का भुगतान नहीं जिला के पाटी ब्लॉक के 17 कृषि मजदूरों के बारे में सूचना दिया गया। ये मजदूर गुजरात के केशोद (जूनागढ़) पलायन किये थे। इन मजदूरों पर जमीन मालिक मौखिक एवं शारीरिक हिंसा कर रहा था। मंच के टीमने जब मजदूरों से सपर्क किया तो उन्हे बताया गया की जमीन मालिक ने मजदूरों को धमकी दीऔर मजदूरों को काम छोड़कर भागना पड़ा। मालिकने मजदूरों का बकाया 160000 रुपया देने से मना कर दिया है। प्रवासी कृषि मजदूरों का स्थिति बहुत असुरक्षित थाएवं गंतव्य के सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ मजदूरों को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी लाचारी और बढ़ जाती है। मंच के टीम ने हमारे जमीनी साझेदार जूनागढ़ के सौराष्ट्र दलित संगठन से संपर्क किया। जमीन मालिक से जूनागढ़ के संगठन संपर्क किया एवं उसने मामला को सुलझाया तथा मजदूरों को उनका बकाया दिलवाया। हालांकि यह इस तरह की अनगिनत घटनाओं में एक घटना है जिससे मजदूरों की दुर्दशा का पता चलता है। अध्ययन शुरू होने के समय से शोध टीम एवं सहभागी संगठनो के पास मजदूरों के तकलीफ़ों की घटनाओंकीसूचनाएं मिल रही था। मजदूरों द्वारा उनके परेशानियों को सामने लाने पर स्रोत क्षेत्र के सहभागी संगठनो ने दिसंबर 2020 में गंतव्यों का दौरा किया एवं मजदूरी भुगतान नहीं करने के सात शिकायतों को सुलझाया।

समर्थन समूह आकार ले रहा है एवं इसने गंतव्य का यात्रा शुरू किया। सहभागी संगठनो ने एक प्रमुख गंतव्य जूनागढ़ का दौरा किया। स्रोत पर काम करने वाले संगठनो ने बहुत सारे आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों के पसंदीदा गंतव्य जूनागढ़ का दौरा किया। टीम भागियों के हिस्सा का भुगतान से संबन्धित अमरेली,जूनागढ़ एवं जामनगर के गावों के 9 मामले को सुलझाया।

समर्थन समूह का गठन स्रोत क्षेत्र में काम करने वाले जमीनी संगठनो एवं वहाँ के मजदूर प्रतिनिधियों को लेकर किया गया है। समर्थन समूहने एक साथ काम करने का फैसला किया है। यह स्रोत एवं गंतव्य दोनों जगहों पर मजदूरों से संपर्क कर रहा है एवं आम सभा करना चाहता है। साथ ही मंच जागरूकता अभियान चलाने का योजना बनाया है। शायद मंच आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों के

टेबल की सूची :

टेबल 1: प्रवास के मूल निवास क्षेत्र के रूप में इलाके का स्थान
टेबल 2: प्रवास के गंतव्य का स्थान
टेबल 3: बेसलाइन सर्वेक्षण में मानचित्रित किए गए गांवों की संख्या
टेबल 4: श्रमिको के मूल निवास क्षेत्र और प्रवास के गंतव्य पर उनकी जनसंख्या के एक नमूने का वितरण
टेबल 5: सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में कृषि श्रम का वितरण
टेबल 6: भागिया मजदूरों के प्रवास का मानचित्रण
टेबल 7: सर्वेक्षण किए गए गांवों का प्रसार
टेबल 8: सभी गांवों में सर्वेक्षण किए गए परिवारों का सामाजिक संघटन
टेबल 9: विभिन्न ब्लॉकों से प्रवास करने वाले परिवारों का प्रतिशत
टेबल 10: गाँव से प्रवास के वर्ष
टेबल 11: प्रवासी कृषि श्रमिकों के बीच बिभिन्न आयु वर्ग का वितरण
टेबल 12: कृषि श्रमिक परिवारों में शिक्षा
सारणी 13: कृषि श्रमिकों के बीच जमीन का वितरण
टेबल 14: साथ में आये उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या
टेबल 15: सर्वेक्षण किए गए घरों का भौगोलिक वितरण
टेबल 16: उत्तरदाताओं द्वारा के बटाई –मजदूर के रूप में बिताया गया समय
टेबल 17: बटाई-मजदूरी के लिए प्रवास की आवृत्ति
टेबल 18: बटाई-मजदूरी के रूप में प्रवास और काम करने के निर्णय के पीछे की वजह
टेबल 19: वे कृषि मौसम जिनके लिए प्रवास किया जाता है
टेबल 20: काम पाने के लिए परिवारों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली नियुक्ति की विधि
टेबल 21: प्राप्त उत्पाद के हिस्से में भिन्नता
टेबल 22: अग्रिम राशि का वितरण
टेबल 23: भगियों द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त कार्य
सारणी 24: 2019 में भगियों की अर्जित दैनिक मजदूरी
कार्यकाल में दिनों की संख्या
टेबल 28: अंतिम मौसम के प्रवास में किए गए कार्य के प्रकार
टेबल 29: उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त मजदूरी
:टेबल 30उत्तरदाताओं द्वारा सूचित हिंसक घटनाएं

मैप की सूच

मैप 1 : पलायन स्रोत क्षेत्र का स्थान
मैप 2 : पलायन गंतव्य क्षेत्र का स्थान
मैप 3: आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूर का स्रोत क्षे
मैप 4: स्रोत से गंतव्य तक खेत मज़दूरों के प्रवास का विस्तार
मैप 5 : स्रोत से गंतव्य तक खेत भगिया के प्रवास क प्रवाह

चित्र की सूच

चित्र 1: प्रवास के मौसम के अनुसार श्रमिकों के वितरण को दर्शाने वाला नक्शा
चित्र 2: उत्तरदाताओं द्वारा भगिया के रूप में काम पाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क (तंत्र) का चित्रण
चित्र 3: उत्तरदाताओं की संख्या जिन्होंने अग्रिम रा ली थी
चित्र 4: गुजरात में न्यूनतम कृषि मजदूरी की तुलना में भगिया श्रमिकों द्वारा अर्जित दैनिक वेतन
चित्र 5: भागिया के लिए आवास की प्ररूपता
चित्र 6: किए गए कार्य के प्रकार के अनुसार उत्तरदाताओं की संख्या पर चर्चा करते हुए पाई-चा

परिशिष्ट:

परिशिष्ट – 1

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन
सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन
द्वारा एक अध्ययन

गाँव अनुसूची 1 :विलेज शेड्यूल -1 (वीएस -1)

इस खंड को गांव के लोगों के ऐसे समूह जिनमे कुछ खेत मजदूर शामिल हों के साथ की गयी चर्चा के माध्यम से भरना है । इस खंड का उद्देश्य भगिया श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांव से प्रवास के स्वरूप की पूरी जानकारी प्राप्त करना है। यह बैठक घरेलू भेंट और घरेलू कार्यक्रम के प्रचार के बाद होनी है।

सर्वेक्षक का नाम:

_____

_____

सर्वेक्षक का संपर्क नंबर:

_____

__

प्रवास से संबंधित विवरण:

इस खंड को गांव में जानकार और शिक्षित लोगों के परामर्श से भरा जाना है:

1. गाँव का नाम / खेड़ा:

_____

2. पंचायत:

_____

3. ब्लॉक:

_____

_

4. जिला:

अ. छोटा उदयपुर

फ. अरावली

ग. बनासकांठा

ज. बड़वानी

ई . झबुआ

ज. अलीराजपुर

क. बुरहानपुर

ल. खंडवा

म. नंदुरबार

5. गाँव में कुल परिवारों की संख्या / आवास:_____

6. जाति प्रोफ़ाइल

अ. एससी

ब. एसटी

स. ओबीसी

द. सामान्य

इ. अन्य

7. प्रवास करने वाले परिवारों की कुल संख्या

8. लोग कितने समय से पलायन कर रहे हैं?

9. पलायन करने वाले पहले परिवार कौन थे?

10. मजदूर किस क्षेत्र में प्रवास करते हैं?

अ. भगिया खेती / बटाई मजदूरी

ब. निर्माण क्षेत्र

स. ईंट भट्टा

11. वे कौन से स्थान हैं जहाँ गाँव के भीतर से श्रमिक पलायन करते हैं?

अ. अहमदाबाद
ब. राजकोट
स. सूरत
द. गांधीनगर
इ. जामनगर
फ. सुरेंद्रनगर
ग. मोरबी
च. मेहसाणा
ई. भरुच
ज. अहमदनगर
क. धुले
ल. औरंगाबाद
म. अकोला
न. जलगाँव
ओ. नासिक
प. पुणे
क्ष. सोलापुर
र. कोल्हापुर
श. खंडवा
ट. खरगोन
य. इंदौर
व. बड़वानी)

अतिरिक्त टिप्पणी:_____
_____
_____
_____

परिशिष्ट – 2

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन
सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन
द्वारा एक अध्ययन

विलेज शेड्यूल (ग्राम अनुसूची) 2) वीएस -2):

इस फॉर्म का उपयोग ग्राम अनुसूची (वीएस (1-के साथ किया जाना है। इस फॉर्म का उद्देश्य उन श्रमिकों के बारे में आधारभूत जानकारी को सूचीबद्ध करना है जो कृषि मजदूरों या भगिया खेत मजदूरों के रूप में पलायन करते हैं।

1. गाँव का नाम:_____
2. मजदूर का नाम:_____
3. मजदूर का संपर्क नंबर:_____
4. पिता का नाम:_____
5. उत्तरदाता के कार्य का प्रकार :_____
6. ब्लॉक नाम (प्रवास का गंतव्य):____
7. जिला का नाम (प्रवास का गंतव्य):__

परिशिष्ट – 3

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन
सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन
द्वारा एक अध्ययन

घरेलू अनुसूची 1 :इसे श्रमशक्ति ऐप के माध्यम से भरे

मजदूर का प्रोफाइल (रुपरेखा)

व्यक्तिगत प्रोफाइल (रुपरेखा)

1. सर्वेक्षक का नाम
2. मानचित्रण की तारीख
3. परियोजना का नाम:

आरएलएस_भाग्य स्टडी 2020

4. मजदूर का कुलनाम
10. धर्म
11. जाति
12. जाति श्रेणी - एससी / एसटी / ओबीसी / जनरल
13. वैवाहिक स्थिति: अविवाहित / विवाहित / विधवा / तलाकशुदा

पता

मूल निवास क्षेत्र पता

19. पता

20. पिनकोड

21. पुलिस स्टेशन

गंतव्य पता

22. मोबाइल नंबर

23. राज्य (विकल्प नीचे रखें)

24. जिला (विकल्प नीचे रखें)

25. ब्लॉक (विकल्प नीचे रखें)

26. ग्राम / क्षेत्र

27. गंतव्य पर आवास

अ. मालिक द्वारा प्रदान किया गया कार्य

ब. श्रमिक शिविर

स. किराये पर

द. खुले में

इ. खुद का आवास

फ. अन्य

ज. अनाधिकृत बस्ती में

च. सरकारी रैन बसेरा

ई. तबादला / बदली

28. पता

29. पिनकोड

30. पुलिस थाना

शिक्षा का विवरण

31. अंतिम शैक्षिक स्तर

अ. अशिक्षित

ब. प्राथमिक

स. माध्यमिक

द. उच्च

इ. स्नातक

फ. आईटीआई

पहचान के दस्तावेज

32. दस्तावेज़ का प्रकार

33. पहचान पत्र (आईडी नंबर)

34. पहचान (आईडी) पता

अ. स्रोत

ब. गंतव्य

35. संघ की सदस्यता संख्या (यदि कोई हो)

36. सदस्यता की तिथि (यदि लागू हो)

37. फोटोग्राफ अपलोड करें

एसेट्स

38. जमीन एकड़ में

परिवार के सदस्यों का विवरण:

1. परिवार के सदस्य का नाम:

2. मजदूर के साथ संबंध:

3. लिंग: पुरुष / महिला / अन्य

4. आयु:

5. शिक्षा की स्थिति:

6. क्या घर में कोई गर्भवती महिला है? हां नहीं एन / ए

7. क्या घर में कोई स्तनपान कराने वाली महिला है? हां नहीं एन / ए

8. क्या वह / वह / वे गंतव्य में श्रम के साथ रह रहे हैं? हां नहीं एन / ए

9. क्या आप कभी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मिले हैं? हां नहीं एन / ए

परिशिष्ट – 4

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा एक अध्ययन

घरेलू अनुसूची 2 (HS-2) (एचएस-2):

यह अनुसूची भगिया या कृषि श्रमिक के साथ चर्चा के माध्यम से भरी जानी है। इस अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया गया है: एक खंड भगिया काम के बारे में है और दूसरा खंड कृषि श्रम के बारे में है जो कृषि के सबसे वयस्त मौसम के दौरान प्रवास करते है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कृषि कार्य पर समग्र जानकारी प्राप्त करना है ,विशेष रूप से श्रम की परिस्थितियाँ और कार्य-स्थल पर हुई घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस इंटरव्यू को श्रमशक्ति एप्लीकेशन में व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के बाद लिया जाना चाहिए।

सर्वेक्षेक का नाम:

1. श्रमिक का पूरा नाम:

2. मूल निवास क्षेत्र का पता (गाँव का नाम / ब्लॉक / जिला / राज्य):

3. मजदूर का काम:

I. भगिया

II. कृषि श्रम

खंड 2: भागिया कार्य का विवरण (भगिया खेती का विवरण)

यह खंड श्रम की परिस्थिति से संबंधित विशिष्ट विवरणों को पकड़ने का प्रयास करता है। कृपया पिछले वर्ष के डेटा का दस्तावेज़ दें।

2.1 आप कब से भगिया का काम कर रहे हैं (वर्षों में)?

2.2 आपने भगिया के रूप में काम करना

भगिया रहे हैं

स. काम के अन्य विकल्पों का अभाव

द. अन्य

2.3 आपको बटाई में मजदूरी कैसे मिली?

अ. रिश्तेदारों

ब. ठेकेदार

स. गावं के संगी-साथी

द. अन्य

2.4. घर में कितने सदस्य हैं?

2.5 आपके घर से कितने परिवार के सदस आपके साथ प्रवास करते हैं?

2.6 आपके घर से 14 वर्ष की आयु से ऊप के कितने सदस्य आपके साथ प्रवास करते हैं?

2.7 क्या आपने वर्तमान सत्र के लिए कोई अग्रिम लिया है ? हां नहीं

2.8 यदि हाँ ,तो क्या आप ली गई अग्रिम राशि को साझा कर सकते हैं?

2.9 अग्रिम राशि मांगने के क्या कारण हैं

अ. ऋण चुकाने के लिए

ब. दैनिक घरेलू खर्च के लिए

स. सामाजिक अनुष्ठान करने के लिए (मृत्यु ,जन्म ,विवाह , धार्मिक)

द. चिकित्सा व्यय

इ. शिक्षा

2.10 समझौतों का माध्यम क्या हैं?

अ. मौखिक

ब. कागज पर

स. एक डायरी बनाए रखना

द. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

2.11 परिवार काम के लिए कब आया) ? तिथि का स्वरुप)

2.12 आप कितने फसल वाले मौसम में काम करने के लिए सहमत हुए हैं?

अ. खरीफ (जुलाई से अक्टूबर)

ब. रबी (अक्टूबर से मार्च)

स. ज़ैद (मार्च से जून)

द. अन्य

2.13 आप किन फसलों की खेती करते हैं?

अ. कपास

ब. मूंगफली

स. सब्जियां

द. मसाले (धनिया ,हल्दी)

इ. फूल

च. अन्य

2.14. भाग पर दी गई भूमि का आकार क्या है) ? एकर में)

2.15 आपको कितना साप्ताहिक भत्ता मिलता है?

2.16 क्या आप उपज की बिक्री के दौरान किसान / खेडुत के साथ होते हैं?

अ. हाँ

ब. नहीं

स. कभी-कभी

द. अन्य

2.17 परिवार वापस घर कब गया ?

_____दिन ,माह ,वर्ष प्रारूप

खंड :3 पिछले साल के काम का विवरण

3.1 पहली फसल का नाम:

3.2 आप उपज के कितने हिस्से पर काम करने के लिए सहमत हुए?

अ. 1/3 ब.¼ स, 1/5 ड.1/6

इ. अन्य

3.3 एकरेज (एकड़ में):

3.4 उत्पादन क्विंटल में:

3.5 फसल अवशेषों से अर्जित आय:

3.6 बाजार मूल्य:

3.7 उपज में प्राप्त हिस्सा:

3.8 नकद में प्राप्त हिस्सा:

3.9 अगर काम पर देहाड़ी मजदूरी रखा जाए, तो काम के लिए ,कुल दिन ?

3.10 किराए पर लिए गए कृषि श्रम के भुगतान की मजदूरी दर (प्रति दिन)?

3.11 उत्तरदाता द्वारा भुगतान किया गया कोई अन्य खर्च?

3.12 कृषि श्रम के अलावा आप और क्या काम करते हैं ?

अ. जानवरों / मवेशी की देख-रेख में रहना

ब. खेडुत के लिए घरेलू काम (ज़मींदार)

स. पानी लाना

द. अन्य

3.13 कार्य की अंतिम अवधि के दौरान किए गए कुल यात्रा व्यय:

खंड - 4 दूसरी फसल के लिए विवरण

खंड -5 तीसरी फसल के लिए विवरण

खंड - 6 चौथी फसल के लिए विवरण

खंड - 7 पांचवीं फसल के लिए विवरण

खंड :8 सार्वजनिक सेवा

अ. हाँ. ब. नहीं

स. लागू नहीं

8.2 क्या आंगनवाड़ी से 3-0 साल के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को खाने के पैकेट मिलता हैं?

अ. हाँ ब. नहीं

स. लागू नहीं.

8.3 क्या 6-14 वर्ष के बच्चे प्रवास की गई जगह पर स्कूल जाते हैं?

अ. हाँ ब. नहीं

स. लागू नहीं

8.4 यदि कोई गर्भवती महिला है ,तो क्या कोई एएनएम उसकी नियमित रूप से (प्रवास के गंतव्य पर) जाँच के लिए जाती है ?

अ. हाँ ब. नहीं

स. लागू नहीं

8.5 बीमारी के मामले में ,आप या आपके परिवार के सदस्य इलाज के लिए कहां जाते हैं?

अ. सरकारी अस्पताल / औषधालय ब. निजी अस्पताल / औषधालय

स. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

खंड :9 कार्य स्थल पर हिंसा की घटनाओं का सामना करना पड़ा

यह खंड काम के दौरान भगिया द्वारा की गई हिंसा की पड़ताल करती है।

9.1 क्या आपने खेडुत द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना किया है

अ. हाँ ब. नहीं

स. शायद

स. मानसिक उत्पीड़न

द. यौन शोषण / उत्पीड़न

इ. अन्य

9.3 हिंसा की कोई भी घटना जिसे आप साझा / सूचित करना चाहते हैं:

9.4 क्या आपने कभी काम के अंत में भुगतान ना मिलने का सामना किया है

अ. हाँ ब. नहीं

9.5 अतिरिक्त टिप्पणी

खंड 10 - कृषि-श्रम विवरण

यह खंड कृषि श्रम के कार्य विवरण पर अपनी पकड़ कायम करना चाहता है। कृषि श्रमिक य परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करके जानकारी भर जा सकती है। पिछले काम की अवधि या कालावधि के लिए जानकारी भरी जानी चाहिए।

10.1 आप कृषि श्रम कार्यों में कैसे आए?

क) ठेकेदार

ख) गांव के संगी-साथी

ग) रिश्तेदार

घ (अन्य

10.2 पिछले साल में आप कितनी बार कृषि कार्य के लिए गए थे?

10.3 जब आप पिछली बार कृषि कार्य के लिए चले गए थे उसकी कालावधि:

क (मार्च-अप्रैल

ख (जून-जुलाई

ग (नवंबर-दिसंबर

घ (अन्य

10.4 आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रका

अ (धान की बुआई

ब) गेहूं की कटाई

स) मूंगफली की कटाई

ज) गेहूं की थ्रेशिंग (ताड़ना)
ई (अन्य

10.5 कृषि श्रमिक के रूप में प्रवास के पिछले मौसम में काम का प्रकार
अ (धान की बुआई
ब) गेहूं की कटाई
स) मूंगफली की कटाई
द (सोयाबीन की कटाई
इ) बाजरा कटाई
फ) कपास चुनाई
छ) प्याज की फसल की कटाई
ज) गेहूं की थ्रेशिंग (ताड़ना)
ई (अन्य
10.6 पिछले मौसम के काम के लिए कुल काम के दिन:
10.7 आपने एक दिन में कितने घंटे काम किया?
10.8 यदि दैनिक वेतन पर है ,तो मजदूरी की दर क्या है?
10.9 कृषि कार्य के लिए अनुबंध के अनुसार प्रति दिन आपका वेतन क्या था?
10.10 यदि अनुबंध और भुगतान नकद में प्राप्त हुआ ,तो आपको प्राप्त कुल राशि क्या थी?
10.11 यदि अनुबंध और भुगतान उपज में प्राप्त हुआ ,तो आपको प्राप्त कुल राशि क्या थी?
10.12 पिछले काम के दौरान यात्रा का खर्च?
खंड :11 कार्य स्थल पर झेली गयीं हिंसा के घटनाएँ
यह खंड काम के दौरान भगिया द्वारा झेली शायद
11.2 आपको किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है?
अ. मौखिक दुर्व्यवहार / उत्पीड़न
ब. शारीरिक शोषण
स. मानसिक उत्पीड़न
द. यौन शोषण / उत्पीड़न
इ. अन्य
11.3 हिंसा की कोई भी घटना आप साझा / सूचित करना चाहेंगे?
11.4 क्या आपने कभी काम के अंत में भुगतान ना मिलने का सामना किया है?
अ. हाँ ब. नहीं
11.5 अतिरिक्त टिप्पणी:
_____
_____
_____
_____

परिशिष्ट – 5

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा एक अध्ययन

प्रवासी खेतिहर मजदुर के साथ फोकस्ड ग्रुप चर्चा (केन्द्रित सामूहिक चर्चा) के लिए मार्गदर्शक प्रश्न:

निम्नलिखित प्रश्नों की सूची गांव या समूह के स्तर पर सामान्य रुझानों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। ये चर्चाएँ गाँव के लोगों के एक समूह जिनमें कुछ खेत मजदूर भी शामिल हैं के साथ होने वाली हैं । इस एफजीडी का उद्देश्य गांव से प्रवास के स्वरुप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है ,जिसमें भगिया श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए , उनके भर्ती करने का तरीका ,उनके समझौते की शर्तें ,उनके रहने की स्थिति और काम ,प्रवास करने वाले परिवारों द्वारा कलह की घटनाएं और कोविद -19 के कारण हुए लॉकडाउन का उनका अनुभव शामिल है। एफजीडी प्रवास प्रवृत्ति और खेत मजूरी तथा भगिया खेती के प्रथा की एक समग्र तस्वीर प्रदान करने में सहायक साबित होगा।

खंड 1: गाँव का प्रवास का इतिहास

अ. आपके गाँव में प्रवास कब व्यापक हुआ ?आप क्या सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ?

ब. पहले प्रवास करने वाले परिवार कौन से थे?

स. क्या उन क्षेत्रों / स्थानों में ,जहाँ से श्रमिक प्रवास कर रहे हैं, बदलाव आया है?

द. यदि हां ,तो लोग कौन से क्षेत्रों में प्रवास कर गए थे?

इ. इसके बाद वे कौन से स्थानों पर चले गए?

खंड 2: भूमि और संपत्ति से संबंधित

अ. उन परिवारों का क्या अनुपात है जो (या तो कृषि श्रमिक / भगिया) अपनी जमीन से पलायन करते हैं?

ब .क्या यह आपके परिवार के लिए पर्याप्त है ?क्यों नहीं?

स. जो लोग प्रवास करते हैं ,उनके पास अन्य संपत्ति क्या हैं?

द. क्या प्रवास के माध्यम से अर्जित धन के कारण उन्होंने संपत्ति अर्जित की है?

खंड 3 : श्रम की परिस्थितियाँ

	भगिया मजदूर के लिए	कृषि श्रमिक के लिए
भर्ती की विधि:	अ .गांव से लोग कैसे प्रवास करते हैं ?ठेकेदार के माध्यम से ,गांव के संगी-साथी पुरुषों या रिश्तेदारों के नेटवर्क के माध्यम से ,नियोक्ता ने सीधे संपर्क किया ख। आप यह कैसे तय करते हैं कि कहाँ आप भगिया के लिए प्रवास करना चाहते है / किन के साथ आप काम करना चाहते हैं? स. क्या आपने कभी जिनके साथ आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उनसे अलग ठेकेदार / मकान मालिक के साथ काम किया है? द. गाँव में मकान मालिक / ठेकेदार और प्रभावशाली लोगों के बीच क्या (यदि कोई है) संबंध है?	
सहमति की शर्त के लिए तोल-मोल	अ .छोड़ने से पहले या पहुंचने के बाद समझौते की शर्तें तय की गई हैं? ब. यदि पहुंचने के बाद ,तो जाने से पहले आपको काम की शर्तों के बारे में क्या पता था? C. क्या काम की शर्तें भूस्वामी के अनुसार तय की गई हैं या उसमे मजदूर का प्रभाव है? द. क्या आपने कभी बेहतर काम करने और रहने की स्थिति के लिए तोल-मोल किया है? इ. कैसे / क्या और कब (छोड़ने से पहले / पहुंचने के बाद) कार्य की शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई थी? फ. जब आपने पहली बार यात्रा करने का निर्णय लिया था ,तब आपको काम की शर्तों के बारे में क्या पता था ? क्या वास्तविक परिस्थितियाँ आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरीं ?तब से आपका अनुभव क्या रहा है?	
यात्रा	आपने कैसे यात्रा किया ?इसका भुगतान किसने किया?	
रहन-सहन के हालात	अ .आवास का प्रकार: खेडुत / ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई या खुद से व्यवस्था करनी पड़ी थी ;कच्चा / पक्का ;व्यक्तिगत या साझा ब .सार्वजनिक उपयोगिताओं- पानी (पीने और धोने के उद्देश्य) ,शौचालय ,बिजली स. कार्यस्थल पर चोट / बीमारी के मामले में क्या होता है ?क्या आपको मकान मालिक / ठेकेदार से या अपने घर गाँव से कोई सहायता मिलती है?	
श्रम के हालात	अ .आप किए गए कार्य / भुगतान पर नजर कैसे रखते हैं? ब. मकान मालिक कैसे इन पर नज़र रखता है? स. क्या आप काम के एक खास दिन का वर्णन कर सकते हैं?	A. क्या मकान मालिक दिन के दौरान अबकाश की अनुमति देता है ?किसी विशेष कार्य के लिए कोई निर्धारित समय? B. आपने एक दिन में कितने घंटे काम किया? C. काम के घंटों के बाद ,क्या श्रमिकों को बाहर

श्रम के लिए वेतन	अ. क्या आपके सामने उपज के हिस्से की गणना की जाती है या आप उपज की बिक्री के दौरान किसान के साथ होते हैं? ब .हिस्से का भुगतान कैसे किया जाता है) ?नकद में ,उपज में ,दोनों) स. क्या वे पर्याप्त हैं ?आप क्या चाहते हैं वो कितना हो? द. फसल क्षति के मामले में क्या होता है? इ. क्या आपको कभी अपने भाग से ठगा गया है? फ. क्या आपने कभी काम के अंत में भुगतान ना दिए जाने का सामना किया है? ज. क्या होगा यदि मजदूर अनुबंध को बीच में छोड़ने की कोशिश करता है (उस मामले में क्या होता है जिसमे अग्रिम राशि ले ली गयी हो)?	अ. दैनिक / प्रति घंटा मजदूरी ?मजदूरी दर? ब. कृषि कार्य के लिए अनुबंध के अनुसार आपका वेतन क्या था? स. मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है ? क्या मजदूरी नियमित रूप से दी जाती है ?क्या वे पर्याप्त हैं ?आप क्या चाहते हैं वे कितने हो? द. आप किए गए कार्य / भुगतान पर नजर कैसे रखते हैं? इ. मकान मालिक कैसे नज़र रखता है? फ. क्या आपने कभी काम के अंत में भुगतान ना मिलने का सामना किया है? ग. क्या होगा यदि मजदूर अनुबंध के बीच में छोड़ने की कोशिश करता है (उस मामले में क्या होता है जिसमे अग्रिम राशि ले ली गयी हो)?
भत्ता	अ. आपको कितना साप्ताहिक भत्ता मिला ?नकद में या उपज के रूप में? ब. क्या साप्ताहिक भत्ते का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है ?क्या वे पर्याप्त हैं ?आप क्या चाहते हैं उन्हें कितना होना चाहिए?	
अग्रिम राशि	अ.क्या आपने नियुक्ति से पहले अग्रिम राशि ली थी ?यदि हाँ ,तो मूल निवास क्षेत्र या गंतव्य पर (अर्थात किसके द्वारा) ब. क्या आप ली गई अग्रिम राशि को साझा कर सकते हैं? स. क्या आम तौर पर अग्रिम राशि डी जाती है? द. क्या वे सभी को भुगतान करते हैं या आपको इसके लिए कहना पड़ता है? इ. क्या तब अग्रिम राशि को अंतिम भुगतान से समायोजित कर लिया जाता है?	
अन्य	अ. आपके गाँव और आप जहाँ काम करते हैं उस गाँव में क्या अंतर है ?क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ब. गाँव में की जाने वाली खेती और अपने गंतव्य गाँव में की जाने वाली खेती में क्या अंतर है ?क्या अच्छा है और क्या बुरा है? स. क्या आप किसी स्थानीय संगठन से परिचित हैं / में भाग लेते हैं) ?धार्मिक / नागरिक समाज आदि) द. आपके पास आम तौर पर भोजन के लिए क्या होता है ?आपके पास एक दिन के लिए कितने भोजन हैं ?क्य आप कृपया बता सकते हैं कि प्रत्येक भोजन के लिए आपके पास क्या है ?आपको अनाज कहाँ से मिलता है ?क्या	

झगड़ो का निपटारा:	अ. गंतव्य गाँव के अन्य लोग जैसे पंचायत के सदस्यों का प्रवासियों के साथ क्या संबंध है? ब. ठेकेदार के साथ क्या संबंध है? स. मकान मालिक के साथ क्या संबंध है) ?क्या वह एक अच्छा आदमी है / क्या उसने समय पर मजदूरी का भुगतान किया / क्या उसने कभी आपको धोखा दिया है / क्या आपको उसके साथ धोखाधड़ी का संदेह है)? द. क्या कभी मकान मालिक / ठेकेदार से शिकायतें हुई हैं? इ. क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रवासी परिवार के सदस्यों को कार्यस्थल पर किसी भी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो? फ. यदि हाँ ,तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ? ग. क्या हिंसा की घटनाएं कभी पुलिस को बताई गई हैं ?यदि हाँ ,तो उस बातचीत का स्वरुप क्या था?
कोवीड 19- के कारण हुए तालाबंदी का अनुभव	A. क्या आप हमें लॉकडाउन के अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं? ब. तालाबंदी के दौरान ये मजदूर कैसे प्रभावित हुए? स. उनमें से कितने वापस लौटने में सक्षम थे? द. मजदूर कैसे लौटे ?पैदल ,सहयात्री ,विशेष ट्रेन ,निजी वाहन से इ. उनमें से कितने लोगों ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामलों की सूचना दी (जब वो सीमाओं को पार कर रहें थें)? फ. कितने प्रवासियों को किसी भी प्रकार की सहायता मिली? ग. जिन लोगों को सहायता प्रबंधन नहीं मिला ,उन्होंने यह कैसे किया?

परिशिष्ट – 6

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा एक अध्ययन

महिलाओं के साथ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन (केन्द्रित समूह विवेचना) (FGD)(एफजीडी) के लिए एक निर्देशित प्रश्नावली

निम्नलिखित प्रश्नों की सूची गांव के स्तर पर महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों पर पकड़न बनाने के लिए बनाई गई है। ये चर्चा उन महिलाओ से जो सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से बहार काम करने के लिए प्रवास करती हैं उनके साथ होने वाली है। इस एफजीडी का उद्देश्य प्रवासी महिला श्रमिकों की समग्र स्थितियों को समझना है , जैसे श्रम विभाजन और श्रम का बोझ , काम से संबंधित फैसलों में उनकी हिस्सेदारी , काम के बारे में महिलाओं की धारणा ,स्वास्थ्य और हिंसा संबंधी जानकारी। हमें उम्मीद है कि एफजीडी प्रवासी महिलाओं की स्थितियों की एक समग्र तस्वीर को समझने में मदद करेगा।

धारणाएं और काम का बोझ

कार्य का विभाजन और बोझ: यह खंड वैसे किस्म की कार्य पर केंद्रित है जिसे एक महिला करने के लिए जिम्मेदार है ,और इस तरह महिलाएं गंतव्य में रहते हुए काम में कितना समय व्यतीत करती हैं ऐसे मुद्दों प अपनी पकड़ कायम करना चाहता है।

I. घरों का काम:

1. प्रवास के गंतव्य पर नमूने के तौर पर एक दिन का वर्णन करें?
2. आपके दिन का कितना समय घर के कामों के लिए समर्पित है ?
3. पानी इकट्ठा करने में कितना समय लगता है?
4. क्या आपके पास खाना पकाने के लिए शौचालय ,बिजली ,ईंधन समाग्री जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं
5. क्या आपके परिवार के पुरुष घर के किसी भी काम में आपकी सहायता करते हैं ?I

II. कृषि कार्य:

1. प्रवास के गंतव्य स्थान पर नमूने के तौर पर ए दिन का वर्णन करें ?
2. वे कौन से कार्य हैं जो विशेष रूप से आप के द्वारा या महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं (भगिया खेती या खेत मजदूरी में) ?
3. एक दिन में आपका कितना समय ऐसे कार्यों क करने के लिए समर्पित है?

खाना देना ,गोबर को इकट्ठा करना आदि। क्या पूरे परिवार को इन कार्यों के लिए जिम्मेदार समझा जाता है या केवल महिलाएं ही ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं .5?बाकी परिवार की तुलना में आपके द्वारा कितना काम किया जाता है ?

6. क्या आप किसी भी दिन काम के भार के मामले में परिवार के सदस्यों को सोपान क्रम बना सकते हैं?
7. (स्वयं ,पति ,बड़े बेटे / बेटी ,सबसे बड़े बेटे की पत्नी ,सास या ससुर (यदि लागू हो)) ।

III कार्य के बारे में धारणाएँ:

1. जब आप कृषि श्रमिकों के रूप में प्रवास करते हैं तो आपके गाँव) मूल निवास स्थान) के लोग आपके काम को कैसे देखते हैं ?
2. जब आप कृषि श्रमिकों के रूप में प्रवास करते हैं तो आपके गाँव) गंतव्य में) के लोग आपके काम को कैसे देखते हैं ?
3. जब आप कृषि श्रमिकों के रूप में प्रवास करते हैं तो आप अपने काम को कैसे देखते हैं?
4. क्या आप भगिया या खेत मज़ूर के रूप में काम करना पसंद करते हैं) ?यदि हाँ ,तो कृपया विस्तार से बताएं)
5. यदि कोई विकल्प दिया जाता है ,तो क्या आप भागिया या खेत मजदूरी के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में काम करेंगे या अन्य कार्य करने के निर्णय में आपकी कोई भूमिका है?
2. क्या आपको उस स्थान या फसलों के प्रकार के बारे में पूछा जाता है जिसकी खेती की जाती है (क्योंकि आप ही काम के अधिकांश हिस्से को पूरा करेंगे)?
3. क्या आप निवेश/ बटाई / मजदूरी के निर्णय में भूमिका निभाते हैं?
4. जब खेडुत या ठेकेदार से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हैं तब क्या आपकी राय मांगी गयी?
5. क्या समझौते या काम और रहन-सहन की शर्तों को तय करते समय जब आपके परिवार के पुरुष और ठेकेदार / खेडुत द्वारा निर्णय लिया जाता है तब आपकी राय मांगी गयी?
6. क्या आप मौसम के अंत में प्राप्त होने वाले लेन-देन या उपज के हिस्से से अवगत हैं?
7. क्या आपको आय या हिस्सेदारी में कोई हिस्सा प्राप्त हुआ) नकद या उपज के रूप में)?
8. क्या आप यह निर्णय लेते हैं कि लाभ कैसे खर्च किया जाएगा?
9. इस तरह के आर्थिक फैसलों और काम के बोझ में जो वे प्रवास के स्थान पर करते हैं पुरुषों की क्या भूमिका है?

V. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच:

1. बीमारी के मामले में ,आप इलाज के लिए कहाँ

3. एएनएम जैसी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सुलभ हैं?
4. क्या आपने स्वास्थ्य सेवाओं (निजी और सरकारी) का उपयोग करते समय भेदभाव का सामना किया है?
5. मासिक धर्म के दिनों में ,आप काम और घरेलू कार्य का प्रबंधन कैसे करते हैं?
6. प्रवासियों के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालोँ का रवैया / व्यवहार क्या है?
7. क्या आप अन्य श्रमिक परिवारों में प्रसव या गर्भपात के मामलों से अवगत हैं ?वे उपचार के लिए किसका हवाला देते हैं?
8. स्वास्थ्य की आपात कालिक स्थिति या काम पर होने वाली घटनाओं के मामले में - क्या खेडुत या ठेकेदार आपकी सहायता करते हैं?
9. आप जंगली जानवरों या जहरीले जीवों द्वारा किये गए हमले की स्थिति में क्या करते हैं?

VI महिलाओं की सुरक्षा के इर्दगिर्द होने वाली हिंसा और उनसे संबधित चिंताएं:

अ. कार्य स्थल पर हिंसा:

1. क्या आपने नौकरी देने वाले के हाथों किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न का सामना किया है?
2. यदि हाँ ,तो क्या आपने किसी को घटना की करते हैं या इनसे कैसे निपटते हैं (आत्म रक्षा का तंत्र क्या हैं)?
4. क्या आप अन्य महिलाओं के बारे में जानते हैं जो उत्पीड़न और हिंसा का शिकार हुई हैं यदि हाँ ,तो कृपया विस्तार से बताएं।
5. क्या प्रवासी महिलाएँ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं से अधिक असुरक्षित हैं – प्रवासी होने की हैसियत के कारण?
6. ऐसे उदाहरण सामने आने पर स्थानीय लोग कैसी प्रतिक्रिया देंते हैं ?क्या वे सहायक है
7. उस कार्यस्थल पर ऐसे कौन से कदम उठाये जा चाहिए जो आपको सुरक्षित महसूस कराए?

ब. घरेलू क्षेत्र में हिंसा:

1. क्या आपने अपने घरों में (पुरुषों या बड़ी महिलाओं द्वारा) हिंसा / उत्पीड़न का सामना किया है
2. क्या आप प्रवास के स्थल पर अन्य महिलाओं जे घरेलू हिंसा की चपेट में हैं से अवगत हैं?
3. घरेलू क्षेत्र में इस तरह की हिंसा को हवा देने वाले प्रवल कारक क्या हैं) ?उदाहरणों में बताया गया है कि जो ध्यान उन्हें दिया जाता है उसके लिए पुरुषों ने ठेकेदार या ज़मींदार से महिलाओं के बात करने को दोषी ठहराया है)
4.उस कार्यस्थल पर ऐसे कौन से कदम उठाये जा

काम के लिए कैसे अनुकूलित हुई?

(कपड़े ,आदतों के संदर्भ में - विशेष रूप से महिलाओं को अनुकूल बनाने वाले व्यवहार). .2 प्रवास के महीनों के दौरान परिवार खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है ?क्या परिवार अपने अनाज (खासकर मक्का) को अपने साथ ले जाते हैं या उन्होंने गंतव्य पर बाजरे या गेहूं का सेवन शुरू कर दिया है?

3. अन्य चुनौतियां या चिंताएं जिनका गंतव्य में सामना हुआ (जो कि ऊपर दिए गए अनुभागों में शामिल नहीं किए गए हैं)।

परिशिष्ट – 7

प्रवासी कृषि श्रम ,गुजरात पर अध्ययन सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा एक अध्ययन

खेडूत/किसान के साथ फोकस्ड ग्रुप चर्चा (केन्द्रित सामूहिक चर्चा) के लिए मार्गदर्शक प्रश्न:

निम्नलिखित प्रश्नों की सूची गांव या समूह के स्तर पर सामान्य रुझानों को पकड़ने के लिए बनाई गई है ये चर्चाएँ गाँव के लोगों के एक समूह जिनमें खेडूत शामिल हैं के साथ होने वाली हैं । ये चर्चा किसानों / खेडूत के साथ होने वाली है जो आदिवासी प्रवासी कृषि मजदूरों को काम पर रखते हैं। इस एफजीडी का उद्देश्य आदिवासी प्रवासी कृषि श्रमिकों के विषय में किसानों / खेडूत की धारणा को समझने के लिए बनाया गया है। गाँव / ब्लॉक स्तर पर किसानों / खेडूत के समूह के साथ इस पर चर्चा की जा सकती है। यह आशा की जाती है कि FGD मालिकों की राय और कार्य स्थितियों की समग्र तस्वीर सामने लाएगा।

भाग 1: गांव का प्रोफाइल

1. गांव, पंचायत, तालुका, जिला का नाम
2. घरों की संख्या:
3. घरों का जाती वर्गीकरण:
4. भूमि मालिकों से संबंधित समुदाय:
5. वे समुदाय जो मजदूर या भूमिहीन श्रमिक हैं:
6. दोनों समुदायों के बीच कैसा/क्या संबंध है?

जाती									
घरों की संख्या									

भाग 2: गाँव में खेती की व्यवस्था

1. गाँव में कुल कृषि भूमि:
2. गाँव में सिंचित भूमि:
3. सिंचाई के मुख्य स्रोत: नहर / ट्यूबवेल / तालाब / अन्य

भाग 3: गाँव में खेत मजदूरों की स्थिति

1. खेत मजदुर कहां से आते हैं: स्थानीय / प्रवासी
2. गाँव में खेत मजदूरों का विवरण:
3. क्या आपको खेत मजदुर आसानी से मिल जाते है? क्या कोई कमी है?
4. कृषि कार्य के लिए आप किसे रोजगार देना पसंद करते हैं? स्थानीय श्रमिक या प्रवासी श्रमिक? क्यों?
5. प्रवासी मजदूरों के साथ काम करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

मजदूरों का वर्गीकरण	**खेत मजदुर**	**भागिया**	**साथी**
लोकल			
प्रवासी			
अगर प्रवासी, तो उनके स्रोत राज्य का नाम			

भाग 4: गाँव का प्रवासन इतिहास

1. आपके गाँव में प्रवास कब व्यापक हुआ? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
2. पहले गाँव में प्रवासियों को लाने वाले किसान कौन थे?
3. कौन से परिवार / समुदाय थे जो पहले आपके गाँव में चले गए थे?
4. वे कौन से स्थान हैं जिनसे श्रमिक पलायन करते हैं?
5. पहले गाँव में प्रवासी श्रमिकों को लाने वाले किसान कौन थे?

भाग 5: कार्य की शर्तें

	भागिया मजदूरों के लिए	खेत-मजदूरों के लिये
रिक्रूटमेंट की विधि	क. लोग गांव में कैसे जाते हैं? ठेकेदार के माध्यम से / रिश्तेदारों के माध्यम से / किसान उन्हें बुलाता है ख. क्या किसान तय करते हैं या उनके पास वरीयता है कि वे कहां लाएंगे ग. क्या किसान हर साल विभिन्न ठेकेदारों / श्रमिकों के समूह के साथ काम करते हैं?	
समझौते की शर्तों को समझना	क. क्या आपके गाँव में प्रवासियों के आने के बाद समझौते की शर्तें तय की गई हैं? ख. प्रवासियों ने बेहतर काम करने और रहने की स्थिति के लिए बातचीत की है? ग. कैसे / क्या और कब (जाने से पहले / पहुँचने के बाद) काम की शर्तें पर सहमति हुई थी?	
यात्रा	प्रवासी कैसे यात्रा करते हैं? इसका भुगतान कौन करता है?	

शब्दावली

भाग- कृषि उपज का कुछ हिस्सा

भाग-खेती - बटाईदारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दवाली। भाग-खेती एक कृषि व्यवस्था है, जहाँ एक परिवार भूमि के एक टुकड़े पर फसल के एक अंश के बदले में कृषि श्रम के सभी रूपों में योगदान देने और उसकी लागत को वहन करने के लिए सहमत होता है। यह व्यवस्था कृषि वर्ष के एक मौसम से लेकर सभी मौसमों में लागू हो सकती है।

भागिया - इसे भाग खेती मजदूर के नाम से भी जाना जाता है- एक व्यक्ति जो एक भू-स्वामी के साथ भाग-खेती के अनुबंध में शामिल होता है।

खेत मजदूर - कृषि श्रमिक। अक्सर इस शब्द का उपयोग बोलचाल की भाषा में उन अल्पकालिक चक्रीय मजदूरों की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है जो गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सबसे ज्यादा व्यस्त मौसमों के दौरान, जब खेत पर अतिरिक्त मजदूरों की मांग अधिक होती है, कृषि कार्य करने के लिए प्रवास करते हैं।

खेडुत - किसान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली । उत्तरदाताओं ने अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल गुजरात राज्य के उन भूस्वामियों की ओर संकेत करने के लिए किया था, जिनकी जमीनों पर वे काम करेंगे।

खरची - मंजिल की ओर प्रवास के समय किराने का सामान के खर्च के लिए भगियों द्वारा उधार लिया गया भत्ता

मजूर / मजदुर - कामगार/श्रमिक

खरीफ - भारत में कृषि का वह मौसम जो जुलाई में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है

रबी - भारत में कृषि का वह मौसम जो अक्टूबर में शुरू होता है और मार्च में समाप्त होता है

जैद - भारत में कृषि का वह मौसम जो मार्च में शुरू होता है और जून में समाप्त होता है

संदर्भ

अजिविका ब्यूरो (2010). शेयर-क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माइग्रेंट वर्कर एंड फार्मर्स : आजीविका-के.ए.एस. एक्सपीरियंस इन इदर-कोटडा. राजस्थान: आजीविका ब्यूरो (ड्राफ्ट रिपोर्ट)। 13 मार्च 2020 को लिया गया।

बिहेवियरल साइंस (2009)। सिचुएशन ऑफ़ ट्राइबल माइग्रेंट लेबर्स ऑफ़ साबरकांठा एंड बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ नार्थ गुजरात. http://www.clra.in/files/documents/BSC-wage-labour-mapping.pdf से लिया गया |

ब्रेमन, जे. (2020)। द पैंडेमिक इन इण्डिया एंड इट्स इमपैक्ट ऑन फूटलूज लेबर. इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, पृ.1-19।

डी हैन, ए. (1999)। लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी: द रोल ऑफ़ माइग्रेशन – क्रिटिकल रिव्यु ऑफ़ द माइग्रेशन लिटरेचर। द जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज, Vol.36, नंबर 2, पृ.1–47।

गाडगिल, एम. और गूहा आर. (1995)। इकोलॉजी एंड इक्विटी : द यूज़ एंड एब्यूज ऑफ़ नेचर इन कंटेम्पररी इण्डिया. लंदन और न्यूयॉर्क : http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Takrar%20se%20Karar%20Tak%20 (Sharecropping%20Contract).pdf से लिया गया।

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया। (2011)। सेन्सस ऑफ़ इण्डिया 2011 प्रोविजनल पापुलेशन टोटल्स। नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

अय्यर, एम। (2020)। माइग्रेशन इन इण्डिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ़ द लॉकडाउन ऑन माइग्रेंटस. पी.आर. एस. इंडिया । https://www.prsindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown-migrants से लिया गया।

कोठारी, यू. (2002)। माइग्रेशन एंड क्रोनिक पॉवर्टी (Vol. 16)। मैनचेस्टर: इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट: क्रॉनिक पॉवर्टी रिसर्च सेंटर.

कुमार, एस., मीना, पी. सी., और पाणिग्रही, एस. आर. (2017)। चेंजिग डायनामिक्स ऑफ़ टेनेंट

संदर्भ

मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट. (2017)। रिपोर्ट ऑफ़ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन। इण्डिया: मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट.

मोसेस, डी., गुप्ता, एस., मेहता, एम., शाह, वी., रीस, जे. एफ., और टीम, के. पी. (2002)। ब्रोकर्ड लाइव्लीहुड्स: डेब्ट, लेबर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट इन ट्राइबल वेस्टर्न इण्डिया. जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज, 38 (5): 59-88।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। भारत की जनगणना 2011-मेटाडेटा से उपलब्ध: www.censusindia.gov.in/2011census/HLO/Metadata_ Census _2011.pdf। 01 जनवरी, 2020 को एक्सेस किया गया।

पाढ़ी , के. (2007)। "एग्रीकल्चरल लेबर इन इण्डिया : ए क्लोज लुक." उड़ीसा रिव्यु 2328 (2007) ।

रीज़न, पीटर और ब्रैडबरी, हिलेरी (2008)। SAGE हैंडबुक ऑफ़ एक्शन रिसर्च: पार्टिसिपेटरी इंक्वायरी एंड प्रैक्टिस. (दूसरा संस्करण). लंदन: SAGE प्रकाशन।

सपकोता, के. (2018)। सीजनल लेबर माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड इन द मिडिल हिल ऑफ़ नेपाल: रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्घखांची डिस्ट्रिक्ट। रिसर्च नेपाल जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, 1 (1): 42-57।

थापा, आर., और यादव, एस. के. (2015)। रूरल लेबर माइग्रेशन इन इण्डिया : मैगनीट्यूड एंड करैक्टरस्टिक्स. IJAR, 1 (2), 114-118।

Centre for Labour Research and Action (CLRA)

Rosa Luxemburg Stiftung

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (CLRA) भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह राज्य के साथ नीति के प्रतिपालन के जरिये अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम की परिस्थितियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए अनुसंधान का कार्य करता है ताकि श्रमिकों को उनके उचित अधिकार प्राप्त हों। सेंटर ने श्रमिकों के मौसमी प्रवास धाराओं, जो श्रम गहन उद्योगों जैसे कृषि ,ईंट भट्ठों ,भवन और निर्माण के लिए श्रमिको की आपूर्ति करते हैं, के दस्तावेजीकरण में अग्रणी काम किया है। इसके काम ने श्रमिकों को संगठित करने के एक वैकल्पिक प्रतिमान के विकास की सुविधा प्रदान की है जो श्रमिकों के निरंतर गतिशीलता में ,मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका ,उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक रूप-रेखा के मामले में प्रासंगिक है ।

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग (आरएलएस) जर्मनी आधारित संस्था है जो महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहा है। यह एक संप्रभु ,समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है ,और इसका उद्देश्य ऐसी वयवस्था के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण वाले समाज के सदस्य और निर्णयकर्ता को प्रस्तुत करना है। शोध संगठनों ,सामाजिक मुक्ति के लिए काम करने वाले समूह ,और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन मॉडल के विकास के लिए जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की क्षमता रखते हैं लिए गये पहलकदमी में उनकी मदद करता है।

अस्वीकरण:

"जर्मनी संघीय गणराज्य के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टंग द्वारा प्रायोजित। जब तक वे मूल प्रकाशन का उचित संदर्भ प्रदान करते हैं , तब तक इस प्रकाशन या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग दूसरों द्वारा मुफ्त में किया जा सकता है।

प्रकाशन की सामग्री सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन